हाल के वर्षों में विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, जिन्हें दक्षिण की अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है, विकसित देशों की तुलना में अपनी उच्च आर्थिक विकास दर तथा व्यापार गतिविधियों के चलते वैश्विक विकास की संवाहक बनकर उभरी हैं। वैश्विक व्यापार में दक्षिण के इस बढ़ते महत्त्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक पण्य निर्यातों में इसका हिस्सा 2003 के 27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009 में लगभग 36 प्रतिशत हो गया है। साथ ही वैश्विक जी डी पी में भी इनका हिस्सा 2003 के 20.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010 में 34 प्रतिशत हो गया है।

इन उत्साही रूझानों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को विकासशील देशों, जो वैश्विक मंदी को झेलने में सफल रहे हैं, की समुत्थानशील प्रवृत्ति का भी सहारा मिला। वर्ष 2009 में जहाँ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की जी डी पी विकास दर में 3.4 प्रतिशत संकुचन हुआ, वहीं विकासशील देशों में यह वर्ष 2008 के 6.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009 में 2.7 प्रतिशत रह गई तथा वर्ष 2010 में इसके पुन: बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। निश्चित ही इससे वैश्विक जीडीपी को सहारा मिलेगा।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग

हाल के वर्षों में विकासशील देशों की सशक्त वृद्धि देखते हुए दक्षिण-दक्षिण सहयोग वैश्विक वृद्धि का एक नया संवाहक बनकर उभरा है तथा इसकी मान्यता अब वैश्विक स्तर पर दक्षिण के देशों के विकास की प्रमुख प्रणाली के रूप में हो रही है। दक्षिण-दक्षिण सहयोग संपोषी विकास तथा संपोषी वृद्धि के लिए सभी विकासशील तथा विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्थाओं के व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों के लिए व्यवहार्य अवसर प्रदान करता है।

वर्ष 2003-2009 की अवधि के दौरान दक्षिण-दक्षिण निर्यात 545 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 1.57 ट्रिलियन यू एस डॉलर हो गया है। तदनुसार, विकासशील देशों के कुल वैश्विक निर्यात में दक्षिण-दक्षिण निर्यात का हिस्सा वर्ष 2003 में 27 प्रतिशत से बढ़कर 2009 से 36 प्रतिशत हो गया है। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों के कुल आयात में दक्षिण-दक्षिण आयात का हिस्सा भी वर्ष 2003 के 31 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009 में 42 प्रतिशत हो गया है जो दक्षिण के देशों में परस्पर आयात वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विकासशील देशों के बीच सशक्त व्यापार एवं आर्थिक संबंध एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। विकासशील देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों ने विकास को गति देते हुए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया है।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक, 1982 में अपनी स्थापना के समय से ही, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में अपनी उत्प्रेरकीय भूमिका का निर्वहन करते हुए भारतीय व्यापार एवं निवेश का संवर्द्धन, वित्तपोषण तथा सुगमीकरण करता रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान इसने विशेषकर दक्षिण के देशों के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार दक्षिण-सहयोग को बढ़ाने में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। क्षेत्रीय व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1996 में स्थापित एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम तथा एक्ज़िम बैंकों एवं विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड), जिसकी स्थापना 2006 में दक्षिण-दक्षिण व्यापार एवं निवेश सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी, आदि ऐसी पहलें हैं जो इस दिशा में बैंक के गंभीर प्रयासों को रेखांकित करती हैं।

हाल के वर्षों में दक्षिण-दक्षिण व्यापार के आगामी वर्षों में और मजबूत होने की उम्मीद है क्योंकि, दक्षिण के देश अपने सहभागी देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के प्रति पूरी तरह गंभीर हैं। साथ ही दक्षिण की विकास दर को बनाए रखने के लिए इन देशों के आपसी व्यापार एवं सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। दक्षिण की प्रभावी वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देगी जो न केवल विकासशील देशों बल्कि औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी उतनी ही लाभदायक होगी क्योंकि दक्षिण में बढ़ती मांग सभी के लिए व्यापार अवसर सृजित करेगी।

विषय-वस्तु

निदेशक मंडल	1
गत दशक	2
अध्यक्ष का वक्तव्य	3
आर्थिक वातावरण	6
निदेशकों की रिपोर्ट	27
तुलन-पत्र एवं लाभ / हानि लेखा	47

इस वार्षिक रिपोर्ट की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए कृपया **www.eximbankindia.in** देखिए

निदेशक मंडल*

श्री टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

डॉ. राहुल खुल्लर
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री मनबीर सिंह
सचिव (ई आर)
विदेश मंत्रालय

श्री राजिंदर पाल सिंह
सचिव
औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

डॉ. कौशिक बसु
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय

श्रीमती रवनीत कौर
संयुक्त सचिव (आई एफ)
वित्तीय सेवाएँ विभाग
वित्त मंत्रालय

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री आर. एम. मल्ला
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आई डी बी आई बैंक लि.

श्री प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री एम. डी. मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ़ बड़ौदा

श्री आलोक कुमार मिश्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ़ इंडिया

*** 25 अप्रैल, 2011 की स्थिति**

गत दशक

(मिलियन ₹)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	संचयी (2001-2011)	वृद्धि (सीएजीआर)
ऋण												
अनुमोदन	42407	78283	92657	158535	204887	267622	328045	336285	388430	477984	2375134	31
संवितरण	34529	53203	69575	114352	150389	220760	271587	289327	332485	344233	1880440	29
ऋण-आस्तियाँ [1]	68260	87736	107751	129104	175931	228862	287767	341564	390357	456558		24
गारंटियाँ												
अनुमोदित	5450	9328	10792	15887	43264	49978	21994	16184	13508	32165	218550	22
जारी	4164	7275	5743	16602	21959	16972	20386	10315	3875	11535	118826	12
गारंटी संविभाग	11273	16133	15769	23727	34023	35360	34556	35401	22736	30557		12
संसाधन												
प्रदत्त पूँजी	6500	6500	6500	8500	9500	10000	11000	14000	17000	20000		
आरक्षित राशियाँ	12026	13171	14933	16625	17703	18741	21064	24681	28316	32302		
नोट, बाँड और डिबेंचर	33158	64902	76701	98972	126727	154230	179273	215786	242894	272040		
जमा राशियाँ [2]	3416	9121	20922	82	454	702	26741	28191	29383	32410		
अन्य उधार राशियाँ	16619	16467	21583	21064	32909	61684	111149	128046	132811	167468		
कुल संसाधन	82734	123189	155192	156922	201401	262439	373006	442017	470715	547508		
निष्पादन												
कर पूर्व लाभ	2212	2686	3042	3144	3769	3909	5334	6101	7724	8677	46598	
कर पश्चात लाभ	1712	2066	2292	2579	2707	2994	3330	4774	5135	5836	33425	
केंद्र सरकार को अंतरित/ अंतरणीय निवल लाभ अधिशेष	420	450	470	654	868	956	1008	1157	1500	1850	9333	
स्टाफ (संख्या)[3]	163	167	190	193	200	212	222	232	232	244		
अनुपात												
जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी अनुपात (%)	33.1	26.9	23.5	21.6	18.4	16.4	15.1	16.8	18.9	17.0		
पूँजी पर कर पूर्व लाभ (%)	36.9	41.3	46.8	41.9	41.9	40.1	50.8	48.8	49.8	46.9		
निवल संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%)	12.8	14.1	14.2	13.5	14.4	14.0	17.5	17.2	18.4	17.8		
आस्तियों पर कर पूर्व लाभ (%)	2.8	2.6	2.2	2.0	2.1	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7		
प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ (मिलियन रुपये)	14.0	16.3	17.0	16.4	19.2	19.0	24.6	26.9	33.3	36.5		

1 ऋण आस्तियाँ गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान का निवल हैं जो वर्ष 2004-05 से प्रभावी है।

2 जमा राशियाँ प्रति पक्षकारों के साथ रखी जमा राशियों / किए गए निवेशों की अनुरूपी निवल राशियाँ हैं जो 2004-05 से 2006-07 वर्षों के लिए हैं।

3 यह एक्ज़िम बैंक की सेवा में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है।

टिप्पणी : ये आँकड़े सामान्य निधि से संबंधित हैं।

अध्यक्ष का संदेश

मज़बूत आर्थिक आधार और समुत्थानशीलता प्रदर्शित करते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था गत वर्ष की 8 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में वर्ष 2010-11 में 8.5 प्रतिशत की मजबूत विकास दर दर्ज कर विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। कृषि क्षेत्र के सशक्त निष्पादन के साथ-साथ औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि ने भारत की इस शानदार विकास दर में योगदान दिया है। बाह्य स्तर पर निर्यातों में वर्ष 2010-11 के दौरान 37.5 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हुई जिसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा एशियाई क्षेत्र के देशों के बढ़ते निर्यात का फायदा मिला है। जहाँ तक आयात का सवाल है, जहाँ तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि ने अंशत: तेल आयात को बढ़ावा दिया वहीं गैर-तेल क्षेत्र के आयात में भी वर्ष के दौरान वृद्धि हुई जिसने समग्र रूप में आयात में 22 प्रतिशत का योगदान दिया। मध्यावधि में वर्ष 2013-2014 तक भारतीय निर्यातों के 500 बिलियन यू एस डॉलर का आँकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। भारतीय कंपनियों के वृद्धिशील वैश्वीकरण को प्रदर्शित करते हुए भारतीय विदेशी निवेश भी वर्ष के दौरान सतत रूप से बढ़ा है।

भारत की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था के रूप में तथा भारत की विदेश नीति के अनुरूप एक्ज़िम बैंक अपने विविध वित्तपोषी, परामर्शी एवं सलाहकारी कार्यक्रमों के जरिए भारतीय कंपनियों के अंतरराष्ट्रीयकरण को सहायता पहुँचाने, सुगमीकरण करने तथा संवर्द्धन करने का सक्रिय प्रयास करता है। इसके साथ ही बैंक अपने विविध वित्तपोषी, सलाहकारी एवं सहायता कार्यक्रमों के जरिए इनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का प्रयास भी करता है। इसके अतिरिक्त एक्ज़िम बैंक (एमएसएमई) अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यमों सहित ग्रासरूट तथा कृषि आधारित उद्यमों में निर्यात क्षमता निर्माण की दिशा में भी कार्य करता है।

व्यवसाय पहलें

भारत से परियोजना निर्यातों को सहायता प्रदान करने में बैंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष के दौरान 32 देशों में 28 कंपनियों द्वारा प्राप्त 58 परियोजना निर्यात संविदाओं को बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई है जो भारतीय कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को प्राप्त करने तथा उनके निष्पादन की क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने भारत से निर्यातों के संवर्द्धन के लिए 29 विदेशी कंपनियों को क्रेता ऋण भी प्रदान किया है। भारतीय परियोजना निर्यातों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक ने भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के साथ मिलकर भारत सरकार के 'राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते' के अंतर्गत एक नए उत्पाद का प्रारंभ किया है।

प्रभावी बाजार पहुँच माध्यम तथा बाजार विशाखन के माध्यम के रूप में बैंक ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर जोर देता है। इसी के अनुरूप बैंक ने वर्ष के दौरान 2.38 बिलियन यू एस डॉलर की 22 नई ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं जो भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देंगी। यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक की वर्तमान में अफ्रीका, एशिया, सीआईएस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में 72 देशों को शामिल करते हुए 138 ऋण-व्यवस्थाएं उपभोग के लिए उपलब्ध हैं जिनके अंतर्गत कुल 6.66 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण राशि उपलब्ध है।

भारतीय कंपनियों द्वारा स्वयं को वैश्विक स्तर पर निवेशकर्ता के रूप में स्थापित करने के साथ ही, बैंक ने उनके इन प्रयासों को भी सहायता प्रदान की है। इसके लिए बैंक ने 64 कंपनियों को 28 देशों में उनके विदेशी निवेशों के लिए आंशिक वित्तपोषण सहायता प्रदान की है। प्रौद्योगिकी उन्मुख निर्यातों के बढ़ते रूझान के अतिरिक्त भारतीय कंपनियाँ प्लांटेशन क्षेत्र सहित कृषि निर्यातों के क्षेत्र में भी अपनी बढ़त बना रही हैं। विदेशी मुद्रा अर्जन में अपने योगदान तथा बड़े स्तर पर रोजगार सृजन एवं क्षेत्रीय विकास के चलते इसका महत्त्व काफी बढ़ा है। प्लांटेशन क्षेत्र की सहायता के लिए बैंक ने भारतीय प्लांटेशन क्षेत्र की संभाव्यता पर एक शोध अध्ययन भी प्रकाशित किया है।

भारत सहित बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं आज शोध एवं विकास पर अपने खर्चों को बढ़ा रही हैं। भारत में प्रौद्योगिकी गहन निर्यातों के रूझान भी यह प्रदर्शित करते हैं कि न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि कई विदेशी कंपनियाँ भी शोध एवं विकास गतिविधियों में निवेश

को बढ़ाकर भारत में अपने केंद्र खोल रही हैं। शोध एवं विकास गतिविधियों में उच्च निवेश प्राय: उच्च प्रौद्योगिकी युक्त निर्यातों को बढ़ावा देता है। भारत में उच्च प्रौद्योगिकी युक्त निर्यातों का हिस्सा 2004 के 5 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2008 में 7 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि के दौरान उच्च प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों का निर्यात मूल्य तीन गुना बढ़कर 4 से 12 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है। इसीलिए यह आवश्यक है कि शोध एवं विकास गतिविधियों में नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जाए ताकि भारतीय कंपनियाँ वैश्विक बाजार में उपलब्ध बड़े अवसरों का लाभ उठा सकें। साथ ही यह भी आवश्यक है कि निजी क्षेत्र, विशेषकर निर्यातोन्मुखी इकाइयों को बड़े स्तर पर शोध एवं विकास गतिविधियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे देश के उच्च प्रौद्योगिकी युक्त निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

निर्यात उन्मुख कंपनियों के शोध एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने इन कंपनियों की शोध एवं विकास गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक नया ऋण कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। यह ऋण सुविधा आवधिक ऋण अथवा हाइब्रिड ऋण सुविधा के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इसके अंतर्गत कुल शोध एवं विकास लागत का 80 प्रतिशत तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। शोध संस्थाएँ, कंपनियों द्वारा प्रवर्तित विशेष शोध कंपनियाँ आदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण के लिए प्राप्त होंगी। एक्ज़िम बैंक ने यूरोपीय निवेश बैंक (ई आई बी) के साथ भी 15 वर्ष की अवधि के लिए 150 मिलियन यूरो के दीर्घावधि ऋण संबंधी एक फ्रेमवर्क करार किया है। इस ऋण का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन में कमी लाने वाली निवेश परियोजनाओं के लिए उपकरणों के आयातों का आंशिक वित्तपोषण अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए यूरोप से भारत को प्रौद्योगिकी अंतरण का वित्तपोषण करना है। इस सुविधा का उपयोग अक्षय ऊर्जा क्षमता संवर्द्धन सहित ऐसी परियोजनाएं, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाती हैं तथा स्वच्छ पर्यावरण एवं वानिकीकरण को बढ़ावा देती हैं, के लिए उपकरणों के आयात के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न लिखतों, विभिन्न प्रकार के निवेशकों तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से 1.38 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के मध्य/दीर्घावधि तथा 1.19 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के अल्पावधि विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए।

हमने अपने व्यवसाय पहल कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमों तथा ग्रामीण व्यवसाय के वैश्वीकरण को भी सहायता प्रदान की है। मेरा मानना है कि उच्च प्रौद्योगिकी, आधुनिक डिजाइन तथा उत्पाद एवं प्रक्रिया में नवोन्मेष के जरिए भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में मूल्य संवर्द्धन किया जा सकता है जो अपनी गुणवत्ता के बावजूद सीमित प्रौद्योगिकी के चलते पिछड़ा है।

राष्ट्रकुल के सदस्य देशों में लघु एवं मध्यम उद्यमों में क्षमता विकास के लिए हमने राष्ट्रकुल सचिवालय द्वारा चलाए जा रहे 11वें कॉमनवेल्थ -इंडिया स्मॉल बिज़नेस कॉम्पीटिटीवनेस डेवेलपमेंट प्रोग्राम में बैंक द्वारा सहभागिता की। चंडीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम थी 'उद्यमिता विकास : वित्तपोषण का मूल्य एवं युवा उद्यमियों की भूमिका।'

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रकाशित शोध अध्ययन जहां पूर्व तथा दक्षिण अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा), कैरीबियाई समुदाय (कैरीकॉम) तथा पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारतीय निवेश एवं व्यापार संभाव्यता के अध्ययन पर केन्द्रित रहे, वहीं क्षेत्रीय अध्ययन, भारतीय जहाजरानी उद्योग; भारत में नव अक्षय ऊर्जा तथा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में संभावनाओं पर केन्द्रित रहे। एक अन्य अध्ययन 'नवाचार अनुकरण एवं उत्तर दक्षिण व्यापार : आर्थिक सिद्धांत एवं नीति' पर केन्द्रित रहा।

वर्ष के दौरान हमारे एक्ज़िमिअस केंद्र द्वारा भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाज़ार की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए विभिन्न विषयों पर 30 कार्यक्रम आयोजित किए गए । केंद्र द्वारा देश एवं क्षेत्र विशिष्ट सेमिनारों के अलावा 'फोकस अफ्रीका' तथा 'राउंड टेबल ऑफ़ फार्मा इंडस्ट्री-इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड में अवसर' आदि विषयों पर बैंगलोर, दिल्ली तथा हैदराबाद में सेमिनार आयोजित किए गए। केंद्र ने अगरतला तथा शिलांग में निर्यात प्रकिया तथा दस्तावेज़ीकरण पर सेमिनार; कानपुर में क्लस्टर निर्माण तथा वित्तपोषण पर सेमिनार; गुड़गांव, रायपुर तथा इन्दौर में लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए संस्थागत पहलों पर सेमिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन भी किया।

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की 16वीं वार्षिक बैठक सितंबर 2010 में बुसान, कोरिया में संपन्न हुई। इस फोरम की संकल्पना तथा स्थापना एक्ज़िम बैंक की पहल पर 1996 में की गई थी। वर्ष 2010 की बैठक का मुख्य विषय था -'वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एशियाई एक्ज़िम बैंकों के समक्ष चुनौतियाँ - संपोषी एवं संतुलित वृद्धि का सुगमीकरण'। इस बैठक ने सभी सदस्य देशों की संस्थाओं को संकट उपरांत निवेश एवं व्यापार बढ़ाने संबंधी मुद्दों तथा उनके समाधान पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया।

संस्थागत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से बैंक ने ब्राजील, रूस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) के चार प्रमुख विकास बैंकों के साथ वित्तीय सहयोग के लिए हाल ही में सान्या, चीन में संपन्न हुई ब्रिक बैठक में एक फ्रेमवर्क सहयोग करार किया है। इसके अंतर्गत ब्रिक देशों के सहभागी बैंक व्यापार, निवेश तथा आर्थिक विकास के संवर्द्धन के लिए परस्पर वित्तीय सहयोग करेंगे। इसके साथ ही बैंक ने व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल माहौल सृजित करने हेतु रिपब्लिक बैंक ऑफ़ ऊरूग्वे, साउथ कोरिया एक्ज़िम बैंक, कोरिया ट्रेड - इनवेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, चाइना डेवेलपमेंट बैंक तथा सिड बांका, स्लोवेनिया के साथ भी सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्लस्टर वित्तपोषण को बढ़ावा देने संबंधी अपनी पहल के अंतर्गत हमने आई एल एंड एफ एस क्लस्टर डेवेलपमेंट इनिशिएटिव लिमिटेड (सी डी आई एल) तथा अहमदाबाद स्थित क्लस्टर पल्स के साथ सहयोग करार किए हैं। इन सहयोग ज्ञापनों का उद्देश्य क्लस्टर परियोजनाओं के लिए समुचित ऋण प्रणाली की स्थापना करते हुए क्लस्टर परियोजनाओं के लिए व्यवसाय अवसरों एवं विपणन योजनाओं पर अध्ययन करना तथा ज्ञान संवर्द्धन के लिए कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है।

हमने वर्ष के दौरान अदिस अबाबा, इथियोपिया में अपना पूर्व अफ्रीकी प्रतिनिधि कार्यालय खोला जो अफ्रीका में तीसरा तथा विदेशों में सातवाँ क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके साथ ही बैंक ने अपने लंदन कार्यालय को पूर्ण रूपेण बैंकिंग शाखा के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह शाखा भारत के बाह्य व्यापार एवं निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनियों की बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ (ईसीबी) के जरिए मदद करेगी। इसके साथ ही यह शाखा अंतरराष्ट्रीय ऋण एवं बांड बाजारों से विदेशी मुद्रा जुटाने का कार्य भी करेगी।

व्यवसाय परिणाम

बैंक का कार्य निष्पादन बैंक के सशक्त वित्तीय आधार को प्रदर्शित करता है। बैंक की ऋण आस्तियाँ गत वर्ष के 17 प्रतिशत से बढ़कर ₹ 460.41 बिलियन हो गईं। कुल मंजूरियां ₹ 477.98 बिलियन की रहीं जो गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 23 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। कर पूर्व लाभ गत वर्ष के ₹ 7.72 बिलियन से बढ़कर ₹ 8.68 बिलियन रहा। जबकि कर पश्चात लाभ गत वर्ष के ₹ 5.13 बिलियन से बढ़कर ₹ 5.84 बिलियन रहा। जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात 17.04 प्रतिशत के अच्छे स्तर पर रहा, जबकि निवल ऋण आस्तियों की तुलना में निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 0.20 प्रतिशत रहीं। वर्ष के दौरान भारत सरकार से बैंक को ₹ 3 बिलियन का पूंजी सहयोग प्राप्त हुआ जिससे बैंक की प्रदत्त पूंजी बढ़कर ₹ 20 बिलियन हो गई जो बैंक को भारत सरकार के निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करता है।

यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक को मूडीज ने बी ए ए 3(स्थिर) रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बी बीबी$^-$ (स्थिर) तथा फिच ने बी बी बी$^-$ (स्थिर) रेटिंग दी है तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जे सी आर ए) द्वारा बी बी बी$^+$ (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक को निवेश ग्रेड या उससे ऊपर रेटिंग प्रदान की गई है जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की रेटिंग है।

भविष्य में भी हम अपनी वृद्धि की गति बनाए रखेंगे। हम अपनी शक्तियों का लाभ उठाकर देश की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए अपने विभिन्न वित्तपोषक कार्यक्रमों तथा परामर्शी एवं सहयोग सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे।

संस्थागत संबद्धताएं

व्यापार तथा निवेश के संवर्धन में लगी एजेंसियों तथा संस्थाओं के साथ विकसित बैंक के विशिष्ट तथा अनौपचारिक संस्थागत संबंधों से बैंक के विभिन्न प्रयासों को सहायता मिली है। सी आई आई, फिक्की, एसोचेम, फिओ, ईईपीसी, पीएचडीसीसीआई भारतीय परियोजना निर्यात संवर्द्धन परिषद, इंडो-ई यू चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, अन्य निर्यात संवर्द्धन परिषदें, वाणिज्य मंडल और आर्थिक शोध संस्थाएं बैंक के कार्य में ज्ञान तथा सहायता का एक मूल्यवान स्रोत रही हैं। बैंक को उद्योगों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, भारत सरकार के मंत्रालयों, विशेषकर वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ परस्पर संवाद से भी शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त हुआ है।

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन हुआ है। श्री मनबीर सिंह, सचिव (आर्थिक संबंध) भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, श्री आर. एम. मल्ला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई डी बी आई बैंक लि., तथा श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को बैंक के बोर्ड में निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया।

श्रीमती पार्वती सेन व्यास, सचिव (आर्थिक संबंध) भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; श्री योगेश अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई डी बी आई बैंक लि.; श्री ए.वी. मुरलीधरन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.; श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर या कार्यालय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अपने-अपने निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिये हैं। निदेशकों के रूप में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बैंक उनका आभार मानता है।

बैंक के स्टाफ़ ने सतत समर्पण और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। मैं तथा बोर्ड में मेरे सहयोगी बैंक के मिशन को आगे बढ़ाने तथा कारोबार वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनके विशेष योगदान के लए धन्यवाद देते हैं। बैंक की सहभागी एवं पेशेवर कार्यसंस्कृति बैंक के लिए सदैव शक्ति का एक स्रोत रही है।

(टी. सी. ए. रंगनाथन)
25 अप्रैल, 2011

आर्थिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

गतवर्ष आर्थिक मंदी झेलने के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में 2010 में सुधार आया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2011 के अनुसार वर्ष 2010 में वैश्विक जी डी पी की वृद्धि दर में गत वर्ष के 0.5 प्रतिशत की कमी की तुलना में 5.0 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जी डी पी वृद्धि में सुधार होना है जिसने जी डी पी की वास्तविक वृद्धि को 2010 में 7.3 प्रतिशत तक पहुँचा दिया। वहीं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह 2009 के 3.4 प्रतिशत के संकुचन से 2010 में बढ़कर 3 प्रतिशत तक रही है।

सुधार संबद्ध जोखिमों के चलते विश्व उत्पादन में 2011 में 4.4 प्रतिशत तथा 2012 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाकलापों के वर्ष 2011 तथा 2012 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में इसके क्रमश: 2.4 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संभावनाएं अलग-अलग हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां वृद्धि तथा सुधार की संभावनाएं क्षीण हैं, वहीं विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाएं, जिनका आधार संकट से पूर्व मजबूत रहा है तथा जिन्होंने संकट के दौरान कम नुकसान सहा है और जिनके निर्यात भागीदार एक से अधिक देश रहे हैं, में शीघ्र सुधार एवं तेज गति से विकास करने की संभावना है। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय क्षेत्र को और झटके लग सकते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में ऋण वृद्धि में विस्तार वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर निर्भर करेगा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को घरेलू वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक मुद्रा विनिमय दर पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था वर्ष 2010 में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ निष्पादन की दृष्टि से लगभग संकट पूर्व के स्तर पर पहुंच चुकी है। यद्यपि वर्ष 2010 की दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधि मंद रही तथापि तीसरी और चौथी तिमाही में निजी क्षेत्र से बढ़ती मांग तथा उपभोक्ता खर्च में बढ़ोत्तरी से इसमें पुन: तेजी आई। फिर भी समग्र सुधार की गति श्रमिक बाजार में मंदी के चलते धीमी ही रही। अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2008 और 2009 के दौरान बड़े स्तर की छंटनी से उबरने

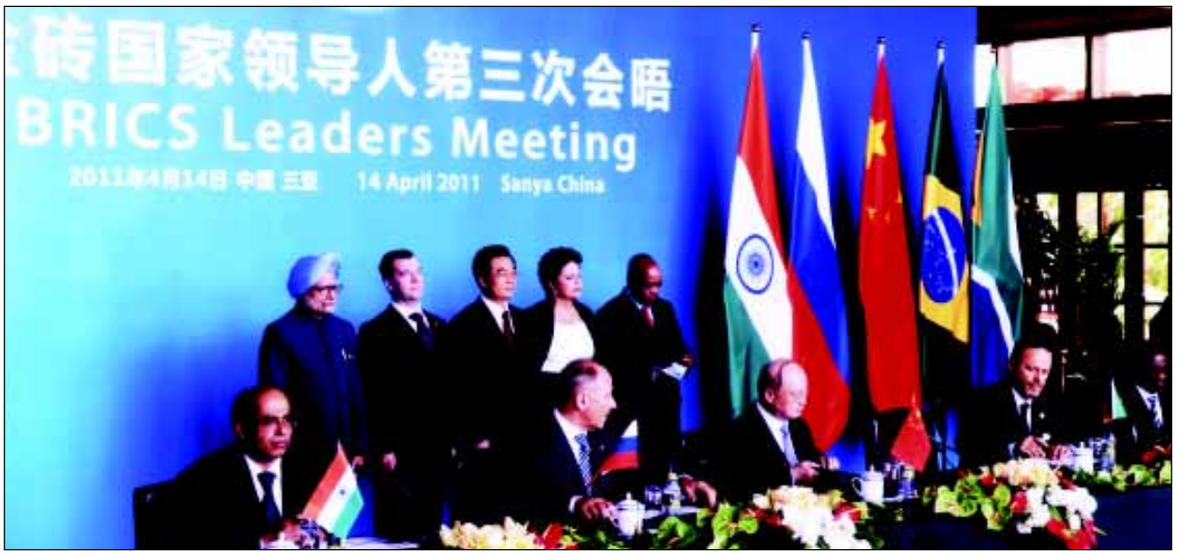

एक्ज़िम बैंक ने अन्य ब्रिक देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका) के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार पर चीन के सान्या शहर में भारत के प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह, रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री दमित्री मेदवेदेव, चीन के राष्ट्रपति श्री हु जिंताओ, ब्राज़ील की राष्ट्रपति सुश्री दिलमा रूसेफ तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री जैकब जुमा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

की प्रक्रिया में है। दिसंबर 2010 में अमेरिकी सरकार द्वारा घोषित वित्तीय सहायता पैकेज से निष्पादन के बढ़कर वर्ष 2011 में 2.8 प्रतिशत रहने तथा 2012 में अर्थव्यवस्था के 2.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है।

यूरो क्षेत्र में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2010 में 1.7 प्रतिशत के स्तर पर औसत ही रही जो मुख्यत: जर्मनी की अच्छी विकास दर से संचालित रही। घरेलू मांग में तेजी के चलते जर्मनी की विकास दर 2009 के 4.7 प्रतिशत के संकुचन से निकलकर 2010 में 3.5 प्रतिशत के स्तर पर रही। यद्यपि फ्रांस तथा इटली में वृद्धि वर्ष 2010 में घटकर क्रमश: 1.5 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत रही। ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल तथा स्पेन में वृद्धि दर राजकोषीय असंतुलनों के चलते काफी कम रही। वित्तीय दबावों के चलते वर्ष 2011 में क्षेत्र की वृद्धि के 1.6 प्रतिशत तथा 2012 में 1.8 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है जो बाजार प्रतिभागियों की चिंता का कारण रहेगा।

नव औद्योगिकीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के वर्ष 2010 में 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है जिसका प्रमुख कारण इनवेंट्री चक्र में सुधार, सशक्त घरेलू आर्थिक कार्यकलाप तथा इन अर्थव्यवस्थाओं से निर्यात मांग में तेजी रहा है। इन अर्थव्यवस्थाओं के संपत्ति बाजार में भी मूल्यों में तेजी महसूस की जा रही है जिसके लिए व्यापक विवेक सम्मत आर्थिक नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। इन नीतियों का असर आगामी वर्षों में देखने को मिलेगा जब 2011 तथा 2012 में वृद्धि घटकर क्रमश: 4.9 तथा 4.5 प्रतिशत रह जाएगी।

जापान की अर्थव्यवस्था भी प्रोत्साहक उपायों के चलते, जिन्होंने तीसरी तिमाही में उपभोग को मजबूती दी तथा निर्यातों को बढ़ाया तथा वर्ष 2010 में 3.9 प्रतिशत की दर से बढ़ी। सुनामी से आई आपदा, जिसने देश को तहस-नहस कर दिया, के चलते भी वर्ष 2011 में जापान में वृद्धि के कम होकर 1.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस वृद्धि को वर्ष 2011 की तीसरी तथा चौथी तिमाही में पुनर्निर्माण कार्यों के चलते सहारा मिलने का अनुमान है। इन पुनर्निर्माण कार्यों के वर्ष 2012 में भी जारी रहने की संभावना है। यद्यपि इनकी गति वर्ष 2011 की तुलना में कम हो सकती है। वर्ष 2012 में अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ इसके 2.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आशा है।

उभरती तथा विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक कार्यकलाप प्रमुखत: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मांग पर निर्भर करते हैं। विकासशील एशिया ने विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से विकास करना जारी रखा है। इस क्षेत्र की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर वर्ष 2010 में 9.5 प्रतिशत रही

भारत के पण्य व्यापार की प्रवृत्तियाँ

(बिलियन ₹)

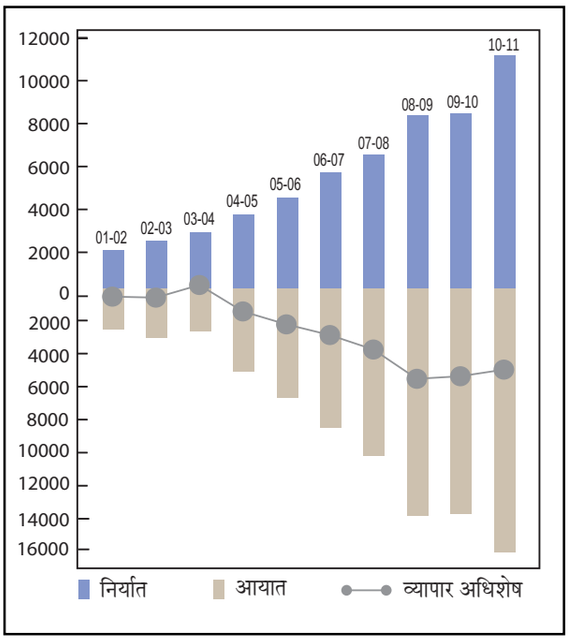

भारत के सेवा व्यापार की प्रवृत्तियाँ

(बिलियन ₹)

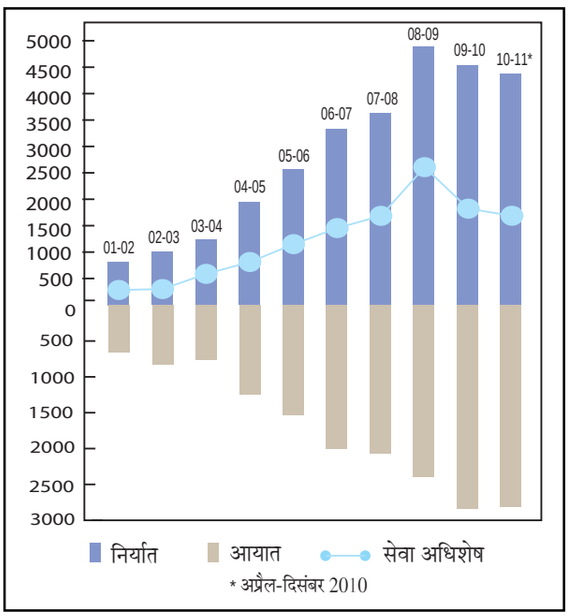

है जिसके 2011 में थोड़ा घटकर 8.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मांग दबावों का सामना कर रही अर्थव्यवस्थाओं में नीतियों

में कड़ाई तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत समायोजन, उच्च स्तरीय मुद्रास्फीति तथा प्रतिबंधी मौद्रिक नीतियाँ इस कमी के लिए उत्तरदायी हैं। इस क्षेत्र में चीन तथा भारत आर्थिक विकास के प्रमुख संवाहक हैं। वर्ष 2010 में चीन की अर्थव्यवस्था ने 10.3 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की जो कि 2007 के बाद दर्ज की गई सर्वाधिक उच्च दर है। ऋण शर्तों में उदारता तथा सरकार समर्थित प्रोत्साहन पैकेजों ने देश में निवेश को बढ़ावा दिया जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तेजी आई। तथापि 2011 में नीतिगत कड़ाई बरतने तथा प्रोत्साहन पैकेजों की समाप्ति के चलते चीन की अर्थव्यवस्था के 9.6 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है। दूसरी ओर भारत की वृद्धि दर वर्ष 2010 में 10.4 प्रतिशत के स्तर पर रही जिसमें मजबूत वृद्धि आधार, उच्च बचत तथा निवेश दर, बढ़ते श्रमिक आधार और तेजी से बढ़ते मध्यवर्ग की आय का योगदान रहा। वर्ष 2011 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

मजबूत स्थूल आर्थिक आधार, पर्याप्त नीतिगत सहयोग, अनुकूल बाह्य वित्तपोषण दशाएं तथा मजबूत पण्य राजस्वों के चलते लैटिन अमेरिकी तथा कैरीबियाई क्षेत्र में आर्थिक सुधारों को मजबूती मिली। वर्ष 2010 में क्षेत्र की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही जो मुख्यत: चीन से सशक्त मांग तथा पण्य मूल्यों में तेजी के चलते रही। वर्ष 2011 में क्षेत्र की वृद्धि के घटकर 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसका प्रमुख कारण मध्य अमेरिकी तथा मैक्सिन क्षेत्र का अमेरिकी मंदी के जोखिमों से प्रभावित होना है। ब्राजील, जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, के 2010 में श्रम ताकतों के विस्तार, मजदूरी दर में वृद्धि तथा ऋण एवं निवेशों

एक्ज़िम बैंक ने पूर्व एवं दक्षिण अफ्रीकन ट्रेड एण्ड डेवेलपमेंट बैंक (पी टी ए बैंक) को 25 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था प्रदान की। डॉ. माइकल एम. गोंडवे, अध्यक्ष, पी टी ए बैंक ने इस करार पर हस्ताक्षर किए ।

में वृद्धि के चलते 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। चिली, कोलंबिया तथा पेरू में भी स्थूल आर्थिक नीतियों, समायोजन नीतियों, अनुकूल बाह्य वित्तीय दशाओं तथा सशक्त पण्य मूल्यों में तेजी के चलते भारी सुधार होने का अनुमान है। मैक्सिको की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रही है किन्तु इसके वर्ष 2011 में थोड़ा घटकर 4.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। मध्य अमेरिकी क्षेत्र में भी वृद्धि कमजोर पर्यटन, न्यून प्रेषण स्थितियों तथा सीमित नीतिगत सहयोग के चलते वर्ष 2010 में मंद रही जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण संकट को बढ़ावा दिया। लैक क्षेत्र सुधारों का अपवाद रहा, वेनेजुएला 2010 में भी मंदी की चपेट में बना रहा, जिसका कारण आपूर्तियों में बाधा, पूंजीगत खाते संबंधी चुनौतियाँ तथा कमजोर नीतिगत ढांचा रहा।

उप-सहारीय क्षेत्र में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर वर्ष 2010 में 5 प्रतिशत रही जो गत वर्ष दर्ज की गई 2.8 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में है। इस वृद्धि के प्रमुख संवाहक तेल निर्यातक देश तथा न्यून आय देश रहे। मजबूत एवं उन्नत आर्थिक आधार तथा क्षेत्र के व्यापार सहभागियों में प्रभावी परिवर्तन ने मंदी की अवधि में इस क्षेत्र की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को सहारा दिया। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था 2.8 प्रतिशत की मध्यम दर से बढ़ी और 2011 में अनुकूल वैश्विक वातावरण के चलते इसके 3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। बाह्य मांग में मजबूती तथा तेल की कीमतों ने तेल निर्यातक देशों जैसे नाइजीरिया, अंगोला, एक्वाटोरियल गीनिया, गैबन तथा चाड में 2010 में आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ावा दिया। वर्ष 2011 में इस क्षेत्र के 5.5 प्रतिशत की वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर के साथ बढ़ने का अनुमान है।

तेल के मूल्यों में तेजी से मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र (मेना) की अर्थव्यवस्था को गति मिली तथा इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2010 में 3.8 प्रतिशत रही। तेल निर्यातक देशों में वृद्धि दर जहाँ सरकारों द्वारा अपनाई गई विस्तारक नीतियों का परिणाम रही वहीं तेल आयातक देशों में इसे सशक्त पूंजी आवक का लाभ मिला। वर्ष 2011 में क्षेत्र की समग्र अर्थव्यवस्था के 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल (सी आई एस) में सुधार को उच्च पण्य मूल्यों, उन्नत व्यापार एवं पूंजी प्रवाहों, समायोजक नीतियों तथा सकारात्मक क्षेत्रीय प्रभावों का लाभ मिला। वर्ष 2010

में वास्तविक जी डी पी दर बढ़कर 4.6 प्रतिशत हुई जिसके वर्ष 2011 में बढ़कर 5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। रूस की अर्थव्यवस्था वर्ष 2010 में 4 प्रतिशत की दर से बढ़ी जिसे बढ़ते स्टॉक, निजी उपभोग में वृद्धि तथा स्थिर निवेश का लाभ मिला। उच्च पण्य मूल्यों ने क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा दिया किंतु साथ ही निजी उपभोग में सुधार ने आयातों को बढ़ावा दिया। शेष सी आई एस क्षेत्र ने 2010 में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जिसके 2011 में घटकर 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

केंद्रीय तथा पूर्व यूरोपीय क्षेत्र में औसत विकास दर वैश्विक व्यापार तथा पूंजी प्रवाहों के सामान्य होने के चलते वर्ष 2010 में थोड़ी मजबूत हुई। वर्ष 2010 में क्षेत्र ने 4.2 प्रतिशत की सामान्य विकास दर हासिल की जबकि 2011 में इसके और घटकर 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

विश्व व्यापार

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष डब्ल्यू ई ओ, की अप्रैल 2011 की रिपोर्ट के अनुसार वस्तुओं का वैश्विक निर्यात वर्ष 2010 में 15 ट्रिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष के 12.3 ट्रिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। मात्रा की दृष्टि से वस्तुओं की वैश्विक व्यापार वृद्धि वर्ष 2010 में 13.6 प्रतिशत रही जो कि गत वर्ष के 11.7 प्रतिशत संकुचन की तुलना में है। जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2010 में निर्यातों की मात्रा में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई वहीं उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 14.5 प्रतिशत रही। वर्ष 2009 में 15.8 प्रतिशत की कमी के मुकाबले प्राथमिक गैर-ईंधन माल के यू एस डॉलर में विश्व व्यापार मूल्य में वर्ष 2010 में 26.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तेल मूल्यों में वर्ष 2009 की 36.3 प्रतिशत गिरावट की तुलना में वर्ष 2010 में वृद्धि 27.9 प्रतिशत रही। विनिर्माण के विश्व व्यापार मूल्य में भी वर्ष 2010 में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि वर्ष 2009 के 6.3 प्रतिशत गिरावट की तुलना में है। सेवाओं का वैश्विक निर्यात भी 2010 के दौरान 3.7 ट्रिलियन यू एस डॉलर रहा जो कि 2009 की तुलना में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

वस्तुओं के वैश्विक पण्य मूल्यों में सकारात्मक वृद्धि के चलते वर्ष 2011 के दौरान वैश्विक निर्यातों के 18.2 प्रतिशत की दर से बढ़कर 17.7 ट्रिलियन यू एस डॉलर पहुँचने का अनुमान है। सेवाओं के वैश्विक निर्यात के वर्ष 2010 के 3.7 ट्रिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2011 में 4.2 ट्रिलियन यू एस डॉलर रहने का अनुमान है।

यू के एक्सचेकर के चांसलर श्री जॉर्ज ऑसबॉर्न ने अपनी मुंबई यात्रा के दौरान लंदन में एक्ज़िम बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा के रूप में परिवर्तित करने संबंधी अनुमति की घोषणा की।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रवाह, चालू खाते अधिशेष तथा ऋण

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के निजी पूंजी प्रवाहों में सुधार 2009 के प्रारंभ से लेकर संपूर्ण वर्ष जारी रहा। वर्ष 2010 में निवल पूंजी आवक 908 बिलियन यू एस डॉलर रहने का अनुमान है जो गत वर्ष के 602 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में है।

वर्ष 2010 में एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निवल निजी पूंजी प्रवाह उभरती अर्थव्यवस्थाओं को समग्र प्रवाह का 49.2 प्रतिशत रहा जो 446.9 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर गत वर्ष की तुलना में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। लैटिन अमेरिका को भी निवल निजी पूंजी प्रवाहों में वृद्धि हुई है तथा यह वर्ष 2009 के 144.2 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2010 में 220.2 बिलियन यू एस डॉलर रहे। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निवल निजी पूंजी प्रवाहों में यूरोप का हिस्सा वर्ष 2009 के 8.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010 में बढ़कर 17 प्रतिशत रहा जिसका कुल मूल्य 154.2 बिलियन यू एस डॉलर था। अफ्रीका तथा मध्य पूर्व क्षेत्र को भी निजी पूंजी प्रवाहों में वृद्धि आई तथा वे वर्ष 2009 के 43.6 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2010 में 87 बिलियन यू एस डॉलर रहे।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता अधिशेष गत वर्ष के 391 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में गिरावट दिखाते हुए वर्ष 2010 में 369 बिलियन यू एस डॉलर रहा। उभरते एशियाई क्षेत्र में कुल चालू खाता अधिशेष वर्ष 2009 के 366.8 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में घटकर वर्ष 2010 में 338.8 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो कि प्रमुख रूप से चीन के चालू खाते अधिशेष में गिरावट को प्रदर्शित करता है।

भारत की पण्य वस्तुओं के निर्यात का गठन

(बिलियन ₹)

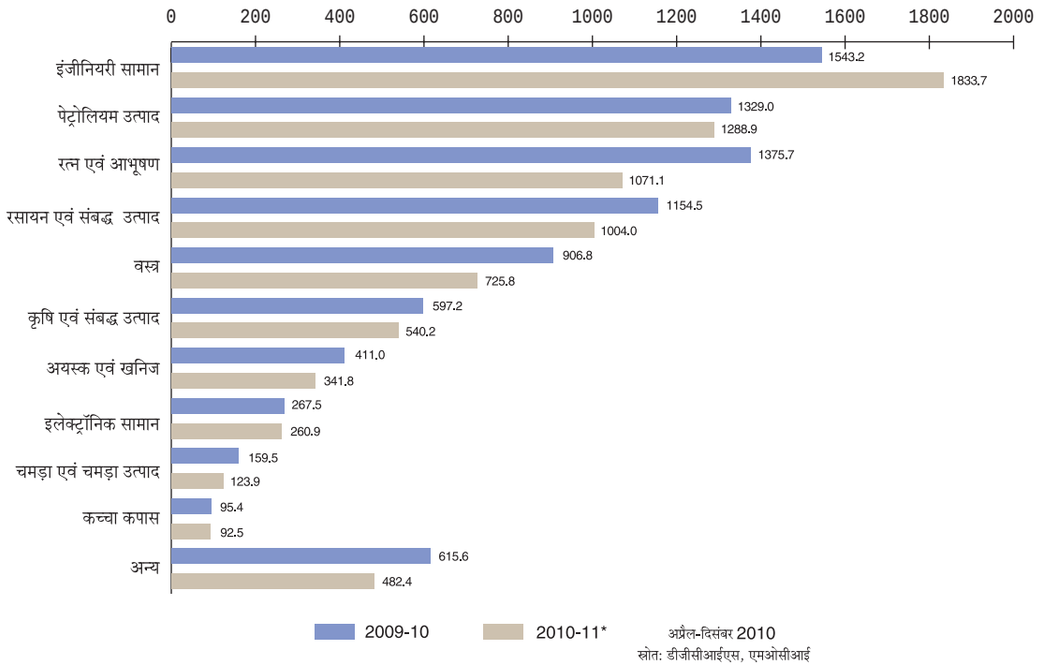

स्रोत: डीजीसीआईएस, एमओसीआई

उभरते लैटिन अमेरिका का चालू खाते का घाटा गत वर्ष के 13.2 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में बढ़कर वर्ष 2010 में 46.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा। उभरते यूरोप का चालू खाते का अधिशेष गत वर्ष के 23.6 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में घटकर वर्ष 2010 में 14 बिलियन यू एस डॉलर रहा तथापि अफ्रीका तथा मध्य पूर्व का चालू खाते का अधिशेष गत वर्ष के 13.3 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में बढ़कर वर्ष 2010 में 62.7 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है।

उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का बाह्य ऋण माल तथा सेवाओं के निर्यात की तुलना में वर्ष 2009 के 90.3 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2010 में घटकर 77.9 प्रतिशत हो गया। मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा सी आई एस क्षेत्र के मामले में भी यह अनुपात घटकर क्रमश: 177.5 प्रतिशत तथा 116.2 प्रतिशत रहा जो कि वर्ष 2009 के क्रमश: 193.7 प्रतिशत एवं 139.5 प्रतिशत के मुकाबले में हैं। मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए भी यह अनुपात वर्ष 2009 के 76.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2010 में 62.1 प्रतिशत हो गया। उभरते एशियाई क्षेत्र में यह अनुपात वर्ष 2009 के 52.6 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2010 में 46.4 प्रतिशत हो गया। उप-सहारीय अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र में यह अनुपात वर्ष 2010 में घटकर क्रमश: 65 प्रतिशत तथा 101.4 प्रतिशत रहा। समग्र रूप में उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऋण भुगतान अनुपात वर्ष 2009 के 31.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010 में 25.8 प्रतिशत हो गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक वित्तीय संकट 2007-09 से उत्पन्न मंदी, वैश्विक घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों विशेषकर पण्य मूल्यों तथा कच्चे तेल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है तथा यह निरंतर विकास की ओर अग्रसर है जो इसके स्थूल आर्थिक सूचकांकों से स्पष्ट भी होता है। वर्ष 2010-11 में जी डी पी विकास दर 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो वर्ष 2009-10 के 8 प्रतिशत की तुलना में है। वर्ष 2010-11 में वृद्धि दर को मुख्यत: कृषि क्षेत्र में सुधार तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में निरंतर तेजी से बल मिला है।

कृषि

भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र निष्पादन में कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। वर्ष 2010-11

भारत में पण्य वस्तुओं के आयात का गठन

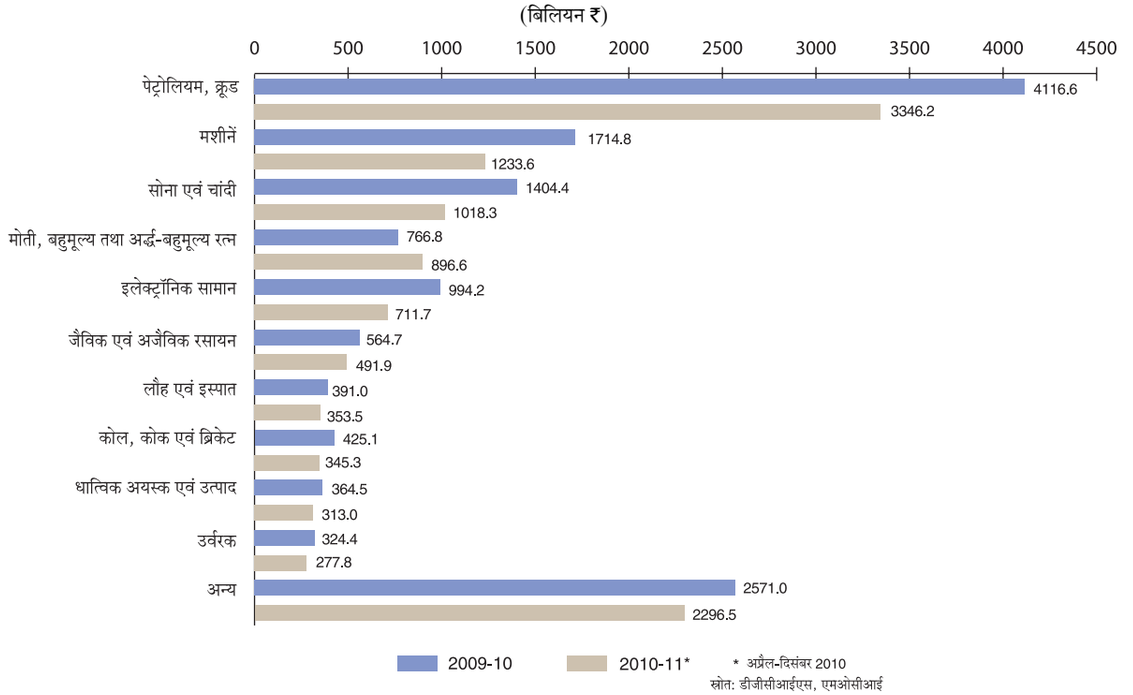

(बिलियन ₹)

में कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के गत वर्ष के 0.4 प्रतिशत की तुलना में 5.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो मुख्यत: खाद्य उत्पादन में 6.5 प्रतिशत, तिलहन उत्पादन में 11.9 प्रतिशत, कपास उत्पादन में 41.2 प्रतिशत तथा गन्ने के उत्पादन में 15.2 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के चलते है। वर्ष 2010-11 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों (खरीफ) के अनुसार खाद्य उत्पादन 114.6 मिलियन टन रहने का अनुमान है जो कि गत वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 125.2 मिलियन टन की तुलना में कम है, किंतु 2009-10 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान (खरीफ) के 103.8 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक है। वर्ष 2010-11 के लिए लक्ष्यों की तुलना में खरीफ फसलों के उत्पादन में कमी मुख्यत: देश के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के कारण आई है। वर्ष 2010-11 में जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2009-10 के 14.6 प्रतिशत की तुलना में 14.2 प्रतिशत रहा है।

उद्योग

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2009-10 के 8 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में थोड़ी बढ़कर 8.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जिसका कारण विनिर्माण क्षेत्र के वर्ष 2009-10 के स्तर पर ही रहने तथा निर्माण क्षेत्र में तेजी के अन्य उप-क्षेत्रों जैसे खनन तथा उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति में मंदी से समंजित हो जाना रहा। निर्माण क्षेत्र से उत्पन्न जी डी पी की वृद्धि दर 2009-10 के 7 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 8 प्रतिशत हो गई जबकि खनन, उत्खनन तथा विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति ने वर्ष 2009-10 के क्रमश: 6.9 एवं 6.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में क्रमश: 6.2 तथा 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण उप क्षेत्र में वृद्धि दर वर्ष 2010-11 में 8.8 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित रही।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) वर्ष 2010-11 के दौरान 7.8 प्रतिशत रहा जो कि वर्ष 2009-10 के 10.5 प्रतिशत की तुलना में है। औद्योगिक सूचकांक में कमी मुख्यत: खनन, विनिर्माण तथा विद्युत क्षेत्र में वृद्धि में आई कमी के कारण रहा है। उपभोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, आधारभूत माल क्षेत्र की वृद्धि गत वर्ष की 7.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में घटकर 6.3 प्रतिशत रही है। पूंजीगत माल क्षेत्र में भी वृद्धि दर गत वर्ष की 20.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में तेजी से घटकर 9.3 प्रतिशत रह गई है। मध्यवर्ती माल क्षेत्र में भी विकास दर गत वर्ष के 13.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 8.8 प्रतिशत रह गई। जबकि दूसरी ओर

उपभोक्ता माल क्षेत्र ने वर्ष 2009-10 की 6.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2010-11 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। यह वृद्धि मुख्यत: उपभोक्ता गैर टिकाऊ खंड में ऊंची वृद्धि से संचालित रही है। उपभोक्ता टिकाऊ खंड में वृद्धि 2009-10 के 24.6 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 20.9 प्रतिशत हो गई। जबकि गैर टिकाऊ उपभोक्ता खंड में यह वृद्धि वर्ष 2009-10 के 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 2.2 प्रतिशत हो गई।

विनिर्माण क्षेत्र के 17 औद्योगिक उप समूहों में से वर्ष 2010-11 के दौरान 15 उप क्षेत्रों ने गत वर्ष की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की। इन 15 उप क्षेत्रों में - कपास को छोड़कर जूट एवं अन्य वेजीटेबल फाइबर टेक्सटाइल (33.6 प्रतिशत), अन्य विनिर्माण उद्योग (24.8 प्रतिशत) परिवहन उपकरण तथा पुर्जे (21.3 प्रतिशत), चमड़ा उत्पाद (14.6 प्रतिशत), रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद (12.3 प्रतिशत), खाद्य उत्पाद (12.3 प्रतिशत), मशीनरी तथा उपकरण को छोड़कर धातु उत्पाद एवं पुर्जे (12.2 प्रतिशत), सूती कपड़े (10 प्रतिशत), मूल धातु तथा मिश्र धातु उद्योग (9 प्रतिशत), कागज तथा कागज उत्पाद एवं छपाई, प्रकाशन तथा संबद्ध उद्योग (8.2 प्रतिशत), परिवहन उपकरणों को छोड़कर मशीनरी एवं उपकरण (8.1 प्रतिशत), गैर-धात्विक उत्पाद (5.5 प्रतिशत), टेक्सटाइल उत्पाद (परिधान सहित) (3.7 प्रतिशत), मूल रसायन एवं रसायन उत्पाद (पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पादों को छोड़कर) (2.3 प्रतिशत), ऊन, रेशम तथा मानव निर्मित फाइबर टेक्सटाइल (0.2 प्रतिशत) आदि थे) शामिल हैं। दो उप क्षेत्रों लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स तथा पेय, तंबाकू एवं संबद्ध क्षेत्र ने वर्ष के दौरान क्रमश: 21.4 प्रतिशत तथा 1.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की।

एक्ज़िम बैंक ने तंजानिया को प्रदत्त 40 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत एस्कॉर्ट लिमिटेड द्वारा किए गए ट्रैक्टरों की आपूर्ति का वित्तपोषण किया।

सेवाएँ

सेवा क्षेत्र की विकास दर गत वर्ष के 10.1 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 9.6 प्रतिशत हो गई जो मुख्यत: सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं में 2009-10 में 11.8 प्रतिशत से 2010-11 में 5.7 प्रतिशत की गिरावट के कारण रहा है। इसने अन्य उप क्षेत्रों जैसे 'व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार' तथा 'वित्तपोषण, बीमा, संपदा तथा व्यवसाय' सेवा क्षेत्रों में हुई वृद्धि को समंजित कर दिया। 'व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार' खंड से उत्पन्न जी डी पी की वृद्धि दर 2009-10 के 9.7 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2010-11 में 11 प्रतिशत रही जबकि 'वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यवसाय' सेवा खंड में जी डी पी की वृद्धि दर 2009-10 के 9.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में 10.6 प्रतिशत रही। वर्ष 2010-11 के दौरान जी डी पी में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2009-10 के 57.3 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2010-11 में 57.8 प्रतिशत रहा।

बुनियादी क्षेत्र

ढांचागत क्षेत्र के 6 प्रमुख बुनियादी उद्योगों - अपरिष्कृत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात ने गत वर्ष की 5.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2010-11 में 5.9 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर दर्ज की। दो क्षेत्रों, अपरिष्कृत तेल तथा तैयार इस्पात क्षेत्र में वृद्धि काफी अच्छी रही। अपरिष्कृत तेल उत्पादन ने 2009-10 के 0.5 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 11.9 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की। तैयार इस्पात का उत्पादन वर्ष 2010-11 के दौरान 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि गत वर्ष में इसकी वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत की थी। पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन ने 2010-11 के दौरान 3 प्रतिशत की विकास दर हासिल की जो वर्ष 2009-10 की 0.5 प्रतिशत की तुलना में है, जबकि इसी अवधि के दौरान कोयला उत्पादन 2009-10 के स्तर पर ही बना रहा। वर्ष 2010-11 के दौरान सीमेंट उत्पादन गत वर्ष के 10.5 प्रतिशत की तुलना में घटकर 4.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 2010-11 के दौरान विद्युत उत्पादन भी 5.6 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2009-10 की उसी अवधि के दौरान यह 6.2 प्रतिशत था।

भारत में पण्य वस्तुओं के व्यापार की दिशा

(बिलियन ₹)

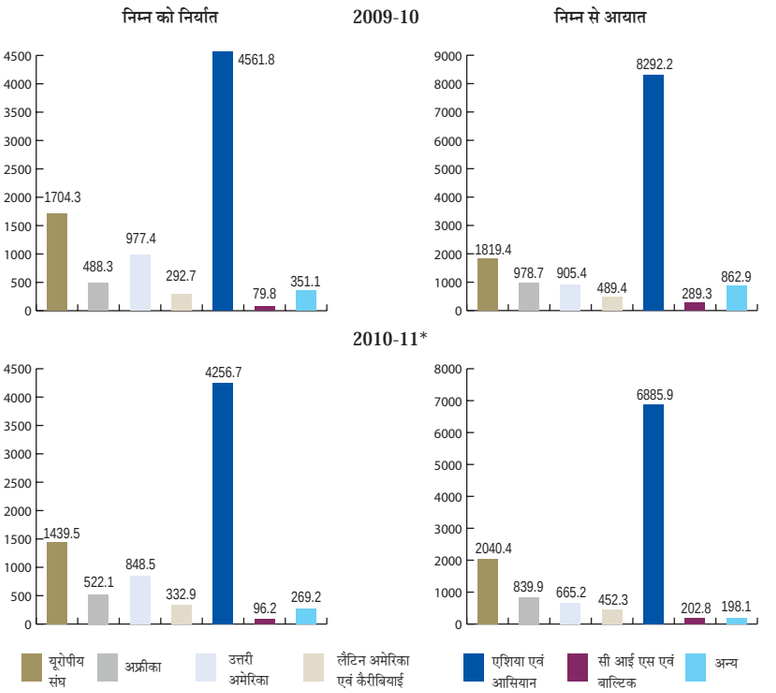

स्रोत: डीजीसीआईएस, एमओसीआई

* अप्रैल-दिसंबर 2010

मुद्रास्फीति

मासिक थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक मुद्रा स्फीति की दर मार्च 2011 में 9.04 प्रतिशत रही जो गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान 10.23 प्रतिशत के मुकाबले में थी। इस कमी का कारण प्रमुखत: खाद्य पदार्थों विशेषकर गेहूँ, अनाज, दालों, चावल, खाद्य तेल, चीनी के मूल्यों में गिरावट के साथ-साथ गैर-खाद्य पदार्थों जैसे सीमेंट, चमड़ा तथा चमड़े के उत्पादों, लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पादों तथा खनिज क्षेत्र के मूल्यों में गिरावट रहा।

पूँजी बाजार

भारत का विदेशी निवेश अंतर्वाह वर्ष 2010-11 के दौरान 58.5 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो कि 2009-10 के 70.1 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में गिरावट प्रदर्शित करता है। वर्ष 2010-11 के दौरान भारत में निवल पोर्टफोलियो निवेश 2009-10 के 32.4 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में घटकर 2010-11 में 31.5 बिलियन यू एस डॉलर रहा। इसका प्रमुख कारण भारतीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जी डी आर) तथा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट (ए डी आर) के जरिए पूंजी जुटाने में कमी होना रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 के दौरान इस रास्ते जुटाई गई राशि 3.3 बिलियन यू एस डॉलर थी जबकि 2010-11 के दौरान यह 2 बिलियन यू एस डॉलर रही।

विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन

भारत का निर्यात 2010-11 के दौरान 245.9 बिलियन यू एस डॉलर रहा, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 178.8 बिलियन यू एस डॉलर था। वर्ष 2010-11 के दौरान भारत का आयात 350.7 बिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि गत वर्ष यह 288.4 बिलियन यू एस डॉलर था। समग्र रूप में व्यापार घाटा गत वर्ष के 109.6 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2010-11के दौरान 104.8 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। विश्व में आर्थिक गतिविधियों एवं व्यापार में सुधार के अनुरूप भारतीय निर्यातों ने भी 2010-11 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। जहां तक 2010-11 के दौरान भारत की मुख्य निर्यात की पण्य संरचना का संबंध है अधिकांश पण्यों ने इस अवधि के दौरान सशक्त वृद्धि दिखाई है। मुख्य निर्यात पण्यों में इंजीनियरिंग सामान तथा पेट्रोलियम

पदार्थों ने सर्वाधिक क्रमश: 84.8 प्रतिशत तथा 50.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसके बाद सूती धागा (42.9 प्रतिशत) आभूषण एवं रत्न (15.3 प्रतिशत); तथा औषधि क्षेत्र (15.1प्रतिशत) का स्थान रहा। कृषि निर्यात एवं संबद्ध क्षेत्रों, जिसमें चाय, कॉफी, तंबाकू, समुद्री उत्पाद, मसाले, काजू, खली, फल तथा सब्जियाँ शामिल हैं, ने 2010-11 में 12.9 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक का निर्यात किया। गैर-तेल क्षेत्र ने 35.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जिसमें परिवहन उपकरण, धातु विनिर्माण, मूल रसायन औषधि एवं प्रसाधन तथा सूती धागे एवं तैयार वस्त्र का योगदान रहा। तेल आयात 2010-11 के दौरान 101.7 बिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि गत वर्ष यह 87.1 बिलियन यू एस डॉलर था। इस प्रकार इसमें 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-तेल आयात 249 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा जबकि गत वर्ष में यह 201.2 बिलियन यू एस डॉलर था। इस प्रकार इसमें 23.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत की अदृश्य सेवा मदों का निवल अंतर्वाह 2009-10 (अप्रैल-दिसंबर) में दर्ज किए गये 61.2 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2010-11 की अनुरूपी अवधि में 63.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। सेवाओं का अंतर्वाह गत वर्ष 2009-10 के 67.9 बिलियन यू एस डॉलर से 41.2 प्रतिशत बढ़कर 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) में 95.9 बिलियन यू एस डॉलर रहा। वर्ष 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात 18.1 से बढ़कर 41.8 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा। जबकि 2009-10 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान निर्यात 35.4 बिलियन यू एस डॉलर का था।

यात्रा, परिवहन, व्यवसाय तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत उच्च भुगतानों के चलते भारतीय सेवा आयात भी वर्ष 2009-10 (अप्रैल-दिसंबर) के 40.7 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2010-11 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 61.7 बिलियन यू एस डॉलर हो गए। इस प्रकार इसमें 51.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2010-11 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान समग्र सेवा अधिशेष 34.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि 2009-10 की अनुरूपी अवधि के दौरान यह 27.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा। इसी अवधि के दौरान निवल अंतरण 39.6 बिलियन यू एस डॉलर के रहे। निवल अदृश्य अधिशेषों में सुधार के बावजूद चालू खाते का घाटा 2010-11 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान बढ़कर 38.9 बिलियन यू एस डॉलर (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) पर पहुँच गया जबकि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान यह 25.5 बिलियन यू एस डॉलर था।

भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह वर्ष 2010-11 के दौरान 27 बिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि 2009-10 के दौरान यह 37.8 बिलियन यू एस डॉलर था।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी मार्च 2010 के 279.1 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में मार्च 2011 के अंत में 304.8 बिलियन यू एस डॉलर रहा। भारत का बाह्य ऋण जो मार्च 2010 के अंत में 261.2 बिलियन यू एस डॉलर था से बढ़कर दिसंबर 2011 के अंत में 297.5 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। बाह्य ऋण में 36.3 बिलियन यू एस डॉलर की वृद्धि मुख्यत: वाणिज्यिक उधारियों, व्यापार ऋणों तथा बहुपक्षी सरकारों से उधारियों के चलते रही।

चुनिंदा क्षेत्रों की संभाव्यता

ऑटोमोटिव्स

भारत में ऑटोमोटिव उद्योग (ऑटोमोबाइल तथा पुर्जे) एक स्थापित उद्योग है तथा आज देश में सशक्त उत्पादन सुविधाओं तथा बिक्री संबद्धताओं के साथ देश का प्रमुख उद्योग है। हाल के वर्षों में उद्योग का कार्य-निष्पादन बेहतरीन रहा है। भारतीय बाजार में आने के लिए उत्सुक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि देश में अच्छी संभाव्यता के साथ-साथ देश के विदेशी बाजारों के लिए विनिर्माण हब बनने की भी क्षमताएं हैं।

वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद ऑटोमोटिव उद्योग ने अच्छी प्रगति बनाए रखी है तथा 2010-11 के दौरान 17.9 मिलियन वाहनों के उत्पादन तथा 2.3 मिलियन वाहनों के निर्यात के साथ-साथ इस उद्योग ने क्रमश: 27.5 प्रतिशत तथा 29.6 प्रतिशत की वृद्धि बनाए रखी है। हालिया रूझान यह प्रदर्शित करते हैं कि ऑटोमोटिव उद्योग की वृद्धि तथा निष्पादन निर्यात की दृष्टि से शानदार रहा है तथा इसने 2004-05 से 2010-11 की अवधि के दौरान 24.5 प्रतिशत की सी ए जी आर दर्ज की है। जबकि इसी अवधि के दौरान उत्पादन में 13.3 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई है। परिणामत: ऑटोमोबाइल क्षेत्र की निर्यात उन्मुखता 2004-05 के 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में

13.5 प्रतिशत हो गई जो भारत के घरेलू वाहन निर्माण उद्योग की बढ़ती निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2010-11 में मात्रा की दृष्टि से 13.3 मिलियन वाहनों के उत्पादन के साथ दुपहिया वाहन खंड सबसे बड़ा खंड रहा है जिसके बाद 2.9 मिलियन वाहनों के साथ यात्री कार वाहनों का स्थान है। निर्यात की दृष्टि से दुपहिया वाहन 1.5 मिलियन यूनिट तथा यात्री कार 0.4 मिलियन यूनिट के साथ उत्पादन रूझानों को दर्शाते हैं। एक साथ मिलकर यह दोनों खंड मात्रा की दृष्टि से कुल ऑटोमोबाइल निर्यात में 85 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। केंद्र सरकार के बजट 2011 में घोषित मूल सीमा शुल्क से छूट तथा महत्त्वपूर्ण पुर्जों/ ईंधन से हाइब्रिड ईंधन में परिवर्तन संबंधी किट पर उत्पाद शुल्क में कटौती के चलते हाइब्रिड वाहनों के उत्पादन में तेजी आने का अनुमान है।

ऑटोमोबाइल उद्योग के विभिन्न खंडों में शानदार वृद्धि के चलते ऑटो पुर्जा विनिर्माताओं को भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। वर्ष 2003-04 से 2009-10 के दौरान ऑटो पुर्जा उद्योग 26.7 प्रतिशत की प्रभावी सीएजीआर दर्ज करते हुए 22 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है। वर्ष 2015-16 तक ऑटो पुर्जा उद्योग के 40 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है जिससे देश का पुर्जों के कुल वैश्विक उत्पादन में हिस्सा 1 प्रतिशत से बढ़कर 3 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस क्षेत्र के बेहतर निर्यात निष्पादन के पीछे अंतर्निहित मांग के साथ-साथ उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता है। वर्ष 2003-04 से 2009-10 के दौरान ऑटो पुर्जों का निर्यात (24.5 प्रतिशत की सी ए जी आर के साथ) 2009-10 तक 3.8 बिलियन डॉलर तथा वर्ष 2015-16 तक तिगुना होकर 20 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है। बेहतरीन निर्यात प्रदर्शन ने क्षेत्र की निर्यात उन्मुखता को 2009-10 में 18 प्रतिशत तक पहुँचा दिया है। भारतीय ऑटो पुर्जा क्षेत्र के निर्यात की खासियत यह है कि इसका लगभग दो तिहाई से अधिक हिस्सा यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के दो बड़े बाजारों को जाता है। जो उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रमाण है। इसके अलावा उद्योग को मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा लाँच किए गए नए मॉडलों से भी बढ़त मिली है। इससे पुर्जा विनिर्माताओं को नए आदेश मिलने व वृद्धि की संभावनाओं के नए अवसर मिले हैं। इस क्षेत्र में कुल निवेश 2003-04 के 3.1 बिलियन यू एस डॉलर से तीन गुना बढ़कर 2009-10 में 9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है।

भारतीय ऑटो पुर्जा उद्योग के पास आज सभी प्रकार के पुर्जों जैसे इंजिन के हिस्से, ड्राइव, ट्रांसमिशन पुर्जे, सस्पेंशन तथा ब्रेक प्रणाली के पुर्जे, इलेक्ट्रिकल पुर्जे, बॉडी तथा चेसिस पुर्जे आदि बनाने की क्षमता है। इस क्षेत्र के कुल उत्पादन में इंजिन पुर्जों खंड का सर्वाधिक 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है इसके बाद ड्राइव, ट्रांसमिशन तथा स्टियरिंग (19 प्रतिशत) तथा बॉडी, चेसिस, सस्पेंशन तथा ब्रेकिंग प्रणाली का (12 प्रतिशत) हिस्सा है। यद्यपि भारत में विनिर्माण लागत पश्चिमी देशों की तुलना में 25 से 30 प्रतिशत तक कम है तथापि इसकी सस्ती

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत ई सी जी सी के सहयोग से एक्ज़िम बैंक द्वारा शुरू किए गए नए क्रेता ऋण उत्पाद का शुभारंभ करते हुए ।

उत्पादन लागत नहीं बल्कि सभी खंडों में इसकी सेवा एवं आपूर्ति क्षमता इसे लोकप्रिय सोर्सिंग स्थान बनाती है। भारत में गुणवत्ता मानक भी विश्वस्तरीय हैं जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ऑटोमोटिव क्षेत्र की 9 भारतीय कंपनियों ने प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार जीता है जो जापान से बाहर सबसे बड़ी संख्या है। देश में लोगों के पास बढ़ती खर्च योग्य आय तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र की प्रभावी वृद्धि दर को देखते हुए ऑटोमोबाइल उद्योग के भविष्य में और प्रगति करने की संभावनाएं हैं।

रसायन

रसायन उद्योग भारत में औद्योगिक तथा कृषि विकास का आधार है तथा डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए नींव है। यह उद्योग भारत की राष्ट्रीय आय में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है तथा पिछले कुछ वर्षों में इसने लगातार 7 से 8 प्रतिशत की सतत वृद्धि दर्ज की है। रसायन उद्योग भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 14 प्रतिशत, कुल निर्यात में 13 प्रतिशत तथा कुल आयात में 9 प्रतिशत का योगदान करता है। भारतीय रसायन उद्योग का आकार (मूल रसायन, विशिष्ट रसायन तथा कृषि रसायन) लगभग 60 बिलियन यू एस डॉलर का अनुमानित है। मात्रा की दृष्टि से भारतीय रसायन उद्योग का विश्व में 12वां तथा एशिया में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है।

वर्ष 2009-10 में भारत में प्रमुख मूल रसायनों का उत्पादन 7.5 मिलियन मीट्रिक टन रहा जोकि गत वर्ष की तुलना में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। अप्रैल-सितंबर 2010 की अवधि के दौरान उत्पादन 3.9 मिलियन मीट्रिक टन रहा। क्षारीय रसायन (जैसे सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा तथा तरल क्लोरीन) क्षेत्र वर्ष 2009-10 के दौरान कुल उत्पादन में 74.5 प्रतिशत हिस्से के मामले में (अपने छोटे आधार के चलते) रंग एवं रंग द्रव्य खंड रहा जिसने लगातार सबसे अधिक गत्यात्मकता दिखाई।

यद्यपि भारत रसायनों का निवल आयातक रहा है तथापि हाल के वर्षों में आयात तथा निर्यात के बीच का अंतर कम हुआ है। वर्ष 2009-10 के दौरान रसायन तथा संबद्ध उत्पाद खंड की निर्यात वृद्धि 1.4 प्रतिशत रही जो कि भारत के समग्र निर्यात की 3.5 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में है। वर्ष 2010-11 (अप्रैल दिसंबर) की पहली तीन तिमाहियों के दौरान ये 26 प्रतिशत की सशक्त वृद्धि दर्ज करते हुए 22 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच गए जो कि उसी अवधि के दौरान देश की समग्र निर्यात वृद्धि 33.8 प्रतिशत की तुलना में है।

देश के समग्र निर्यात में मूल रसायनों का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ रहा है जो यह प्रदर्शित करता है कि उनके निर्यात में भारत के समग्र निर्यात की वृद्धि दर को पार कर लिया है। मूल रसायनों (पेट्रो रसायनों को छोड़कर) का भारत से निर्यात 2005-06 के

एक्ज़िम बैंक ने भारत तथा अफ्रीका के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहयोगी संस्था अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आई एफ सी) तथा बैंक ऑफ़ टोकियो-मित्सुबिशी यू एफ जे, लिमिटेड से 150 मिलियन यू एस डॉलर का पाँच वर्षीय आवधिक ऋण सुविधा प्राप्त की।

भारत-कोरिया व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक्ज़िम बैंक ने कोरिया ट्रेड इनवेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

7.1 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2009-10 में 10.8 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है जो 11 प्रतिशत की सी ए जी आर प्रदर्शित करता है। वर्ष 2010-11 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान भारत के कुल निर्यातों में मूल रसायनों एवं संबद्ध उत्पादों का हिस्सा 6.1 प्रतिशत रहा जो 6.5 बिलियन यू एस डॉलर था। इस अवधि के दौरान कार्बनिक रसायनों ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सर्वाधिक 130.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जिसके बाद टैनिंग तथा डाई रसायनों एवं अकार्बनिक रसायनों का स्थान रहा जो क्रमश: 30.4 प्रतिशत एवं 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 778.1 मिलियन यू एस डॉलर तथा 3.9 बिलियन यू एस डॉलर रहे। दूसरी तरफ अकार्बनिक रसायन 17.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3.9 बिलियन यू एस डॉलर रहे। तथापि अप्रैल-सितम्बर 2010-11 के दौरान कीटनाशक दवाओं की निर्यात में 3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए कुल निर्यात 485.3 मिलियन यू एस डॉलर रहे।

निवेश के मामले में भारतीय रसायन उद्योग अप्रैल 2000-मार्च 2011 के दौरान भारत में कुल एफ डी आई अंतर्वाह में 2 प्रतिशत हिस्से के साथ सर्वाधिक एफ डी आई अंतर्वाह आकर्षित करने वाले (2.8 बिलियन यू एस डॉलर) दस प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा। अप्रैल-मार्च 2010-11 की अवधि के दौरान, रसायन उद्योग में एफ डी आई अंतर्वाह 398 मिलियन यू एस डॉलर का रहा। इसका प्रमुख कारण क्षेत्र के लिए उदार निवेश नीति रही जिसे अनुकूल प्रोत्साही वित्तीय क्षेत्र का भी लाभ मिला। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि रसायन उद्योग पेट्रो रसायन को छोड़कर अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया ऋण 9.8 प्रतिशत की सी ए जी आर दर्ज करते हुए वर्ष 2004-05 के ₹ 231.77 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 405.81 बिलियन हो गया। निवेश वृद्धि के साथ-साथ उद्योग ने भी कई नवोन्मेष किए हैं तथा शोध एवं विकास गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा दिया है जिसमें ज्ञान आधारित क्षेत्र तथा विशिष्ट तथा परिष्कृत रसायन क्षेत्र प्रमुख हैं।

चूँकि रसायन उद्योग के उत्पादों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के विनिर्माण अनुप्रयोगों में किया जाता है अत: इस उद्योग की वृद्धि सामान्यत: पूरी अर्थव्यवस्था के रूझानों के साथ-साथ विश्व के साथ हमारे व्यापार एवं निवेश संबंधों तथा प्रौद्योगिकी अंतरण आदि पर काफी कुछ निर्भर करती है। घरेलू स्तर पर प्रशुल्कों में कमी के चलते सुदृढ़ एवं व्यवस्थित परिचालन प्रणाली वाली भारतीय रसायन कंपनियों के और लाभान्वित होने की संभावना है। प्रतिस्पर्धी बढ़त वाली कंपनियाँ अर्थात् जिनकी उच्च मूल्य वाले रसायनों के क्षेत्र में सक्षमता है तथा जो अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करती हैं, अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करते हुए घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकती है।

चूंकि भारत में अभी भी प्रति व्यक्ति रसायन उत्पादों की खपत विश्व औसत से बहुत कम है अत: घरेलू उद्योग के लिए इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए डाई (रंजक) उद्योग

में प्रति व्यक्ति भारतीय खपत 50 ग्राम है जबकि विश्व में औसत 425 ग्राम है। पॉलीमरों के मामले में भारत में प्रति व्यक्ति खपत 5.2 किग्रा है जबकि विश्व औसत 25 किग्रा का है। घरेलू बाजार के आकार तथा उपभोक्ता खंड की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं।

पेट्रोलियम उत्पाद

पेट्रोलियम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र जिसमें खनन, परिक्करण तथा पेट्रोलियम एवं गैस पदार्थों का विपणन शामिल हैं का भारतीय जी डी पी को 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। वर्ष 2010-11 के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन 37.7 मिलियन मीट्रिक टन रहा जो वर्ष 2009-10 में 33.6 मिलियन मीट्रिक टन से 11.9 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। जबकि इसकी तुलना में उपभोग इसी अवधि के दौरान 128.8 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच गया तथा वर्ष 2010-11 में 146.1 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच जाएगा। यह गत वर्ष के 138.2 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

भारतीय पेट्रोलियम उद्योग में हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की मात्रा 22.9 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से बढ़कर 2004-05 के 18.2 मिलियन मीट्रिक टन से वर्ष 2009-10 में 51 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गई। मूल्य के मामले में वृद्धि और भी आकर्षक रही (तेल के मूल्यों में वृद्धि के चलते) तथा 35.6 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज करते हुए 6.7 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 30.5 बिलियन यू एस डॉलर हो गई। वैश्विक बाजारों में मंदी तथा मांग में सुधार से पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात (अप्रैल-दिसंबर) 2010-11 के दौरान गत वर्ष की अनुरूपी अवधि से 44.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 28.2 बिलियन यू एस डॉलर पहुँच गया। परिणामत: कुल निर्यातों में पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात का हिस्सा 2005-06 में 11.2 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-फरवरी 2009-10 में 15.7 प्रतिशत तक पहुँच गया, जिसके 2010-11 की तीन तिमाहियों में 16.6 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है।

जिबूती में एक सीमेंट संयंत्र को पूरा करने के लिए एक्ज़िम बैंक ने जिबूती सरकार को 14 मिलियन यू एस डॉलर की सहायता प्रदान की।

भारत में तेल तथा गैस की घरेलू मांग बढ़ रही है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार तेल तथा गैस की मांग 2009-10 के 186.54 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 233.58 मिलियन यू एस डॉलर हो जाने की संभावना है। अधिकांश मांग वृद्धिशील आर्थिक गतिविधियों के चलते परिवहन वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि के कारण अनुमानित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमान दर्शाता है कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग (2011-12 में) 140 मिलियन टन से ज्यादा होगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में रिफाइनिंग क्षमता बढ़कर 240 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाने का अनुमान है जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरुआती वर्ष में यह लगभग 150 मिलियन टन थी। इस क्षमता विस्तार से रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 90 मिलियन टन की अतिरिक्त वृद्धि होगी जिससे निर्यात बाजार में आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। रिफाइनिंग उद्योग के लिए मध्यावधि संभावना सकारात्मक दिखती है जिसका कारण घरेलू बाजार में क्षमता निर्माण तथा उपयोग में वृद्धि होना है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में तेजी तथा इन पदार्थों के विपणन से सरकारी नियंत्रण हटाने से इस क्षेत्र के लिए वृद्धि संभावनाएं और बढ़ेंगी।

वस्त्र एवं परिधान

कृषि के बाद वस्त्र एवं परिधान उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन तथा निर्यात आय के योगदान के जरिए यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग औद्योगिक उत्पादन में 11 प्रतिशत, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत तथा देश के कुल निर्यात में 9 प्रतिशत योगदान करने के साथ-साथ 35 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। भारतीय वस्त्र उद्योग काफी विशाखित है, जिसमें हथकरघा क्षेत्र के साथ-साथ पूंजी गहन आधुनिकतम मिल क्षेत्र भी शामिल है। विकेन्द्रित पॉवरलूम / होजरी तथा बुनाई खंड भारतीय वस्त्र उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है।

भारत जिसका विश्व टेक्सटाइल निर्यात में 4.3 प्रतिशत तथा विश्व वस्त्र निर्यात में 3.6 प्रतिशत हिस्सा है, को इन दोनों क्षेत्रों में ही विश्व स्तर पर वर्ष 2009 में 6वाँ स्थान प्रदान किया गया है। विश्व में व्याप्त मंदी के कारण निर्यातों के मामले में उद्योग का निष्पादन कम रहा है। वर्ष 2009-10 के दौरान भारत से वस्त्र एवं कपड़ों का निर्यात 19.1 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष की तुलना में 1 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित करता है। तैयार वस्त्रों तथा सूती यार्न एवं फैब्रिक के निर्यात में क्रमश: 2 प्रतिशत तथा 11.1 प्रतिशत की कमी हुई। केवल मानव निर्मित कपड़े के निर्यात में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वस्तुत: अप्रैल-दिसंबर 2010 के दौरान भारत से वस्त्र एवं परिधान निर्यात 15.9 बिलियन यू एस डॉलर रहे जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 15.6 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। यद्यपि कुल निर्यात में इसका हिस्सा 9.3 प्रतिशत रहा जो गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की 10.8 प्रतिशत की तुलना में कमी प्रदर्शित करता है तथा अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसके बुरे निष्पादन को प्रदर्शित करता है।

केन्द्रीय बजट 2011-12 में ब्रांडेड परिधानों तथा टेक्सटाईल मेड-अप पर 10 प्रतिशत के अनिवार्य उत्पाद शुल्क की घोषणा की गई है। चूँकि यह एक सेनवैट है, यार्न तथा फैब्रिक विनिर्माताओं द्वारा पहले अदा किए जाने वाले ऐच्छिक तथा रियायती 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की तुलना में बढ़े हुए 5 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क अदा करना होगा। निविष्ट लागतों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते पहले से ही चुनौतियों से जूझ रहे रेडीमेड वस्त्रों तथा

एक्जिम बैंक ने गुजरात एन आर ई कोकिंग कोल लि. को ऑस्ट्रेलिया में अर्जित की गई खानों के विकास के लिए सहायता प्रदान की।

मेड-अप्स के विनिर्माताओं के मार्जिन पर इसका और दबाव पड़ेगा। तथापि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) का आबंटन ₹ 22.7 बिलियन से बढ़ाकर ₹ 29.8 बिलियन कर दिया गया है जिससे उद्योग को लाभ मिलेगा।

भारत के प्रमुख दो बाजारों - यू एस ए तथा यूरोपीय संघ से मांग में अल्पावधि में सुधार होने से इस क्षेत्र के अब तक की मंदी से उबरने के आसार हैं। हालांकि भारतीय निर्यातक घरेलू बाजारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने निर्यात बाजार का विशाखन कर रहे हैं। कुछ उभरते बाजारों में यूएई, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको तथा तुर्की आदि हैं। बड़े विनिर्माण आधार, कच्चे माल तथा श्रम की आसान उपलब्धता सहित बड़े घरेलू बाजार तथा अनुकूल सरकारी नीतियों के चलते भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

औषध एवं औषधियाँ

वैश्विक औषधि बाजार के 2010 के 4 से 5 प्रतिशत की तुलना में 2011 में 5 से 7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 880 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है। प्रमुख बाजारों में भी वृद्धि में विभिन्नता है। उभरते औषधीय बाजारों की दृष्टि से 17 प्रमुख देशों (चीन, ब्राजील, रूस, भारत, मेक्सिको, तुर्की, वेनेज्युएला, पोलैंड, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, यूक्रेन, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, रोमानिया, पाकिस्तान तथा वियतनाम) के वर्ष 2011 में 15 से 17 प्रतिशत की दर से बढ़कर

एक्ज़िम बैंक ने के ई सी लि. को एस ए ई टॉवर्स होल्डिंग्स एल एल सी, यू एस के अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण प्रदान किया।

170 से 180 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। स्वास्थ्य सेवाओं पर वृद्धिशील सरकारी खर्च तथा निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य निधीयन उभरते बाजारों के लिए वृद्धि का संवाहक बना रहेगा। चीन, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि बाजार है, के 25 से 27 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2011 में 50 बिलियन यू एस डॉलर पहुँच जाने का अनुमान है। अन्य पाँच प्रमुख यूरोपीय बाजारों जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन तथा यू के, के सामूहिक रूप से 1 से 3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि यू एस के 3 से 5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

औषधि क्षेत्र में अवसरों की दृष्टि से भारत एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। भारतीय औषधि उद्योग के 2005 के 6.3 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2015 तक 20 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है। वर्तमान में वैश्विक औषधि बाजार में भारतीय औषधि उद्योग का मात्रा की दृष्टि से चौथा तथा मूल्य की दृष्टि से 14वां स्थान है। उद्योग नुस्खों के उत्पादन में आत्म निर्भर है तथा देश की जरूरत की लगभग 70 प्रतिशत थोक दवाओं का विनिर्माण करता है। भारत विश्व में जेनरिक दवाओं का भी एक प्रमुख उत्पादक है।

भारतीय औषधि निर्माता कंपनियाँ इस विश्व व्यापी मंदी से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई हैं क्योंकि वे कम लागत पर औषधियाँ बनाती हैं तथा साथ जेनरिक औषधि निर्माताओं ने अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ पहले से ही दीर्घावधि संविदाएं कर रखी थीं। इसके बावजूद भारतीय औषधि उद्योग का निर्यात निष्पादन सामान्य ही रहा है। जो वर्ष 2009-10 के दौरान मात्र 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 5.2 बिलियन यू एस डॉलर रहे। हालांकि निर्यात वर्ष 2010-11 के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर) के दौरान 27.6 प्रतिशत की दर से बढ़कर वर्ष 2010-11 (अप्रैल-सितंबर) में 3 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो वर्ष 2009-10 की इसी अवधि में 2.4 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में है।

गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम उच्च तथा मध्यम वर्ग की बढ़ती जनसंख्या तथा बीमा उत्पादों के विस्तार से बड़ी जनसंख्या में लोग चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे जिससे भविष्य में भारतीय औषधि उद्योग को गति मिलेगी। इसके अलावा महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर, कार्यशील जनसंख्या तथा नए बौद्धिक संपदा अधिकारों से भी उद्योग को अच्छी गति मिलने की संभावना है।

पूँजीगत माल क्षेत्र

पूंजीगत माल उद्योग भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का आधार है। भारत में विनिर्मित की जाने वाली प्रमुख मशीनरी में भारी विद्युत मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी, मशीन उपकरण, खुदाई तथा निर्माण उपकरण सहित खनन उपकरण, सड़क निर्माण उपकरण, छपाई की मशीनें, डेयरी मशीनें, औद्योगिक रेफ्रिजरेशन तथा औद्योगिक ताप भट्टी उपकरण आदि शामिल हैं। पूंजीगत माल उद्योग 2009-10 के दौरान 20.9 प्रतिशत की अच्छी वार्षिक औसत वृद्धि के साथ बढ़ा है जो मूल तथा मध्यवर्ती माल (आई आई पी आधारित वर्गीकरण) की तुलना में काफी आकर्षक है। तथापि यह प्रगति 2010-11 में भी जारी न रह सकी तथा उद्योग ने मात्र 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

वर्ष 2009 के अंत तक देश में मशीन उपकरणों का उत्पादन लगभग ₹ 13.05 बिलियन तक पहुंच गया जो गत वर्ष के

₹ 17.68 बिलियन की तुलना में 26.2 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद मशीन उपकरणों के निर्यात ने गत वर्षों में स्थाई वृद्धि प्रदर्शित की है। वर्ष 2009-10 में मशीन उपकरणों का निर्यात 278.3 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा। तथापि अप्रैल-दिसंबर 2010 के दौरान मशीनी औजारों का निर्यात 212.6 मिलियन यू एस डॉलर रहा जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 7.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित करता है। जहाँ तक टेक्सटाइल मशीनरी का सवाल है। वर्ष 2009-10 में भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी का कुल उत्पादन ₹ 40 बिलियन मूल्य से अधिक रहा। जबकि भारत से टेक्सटाइल मशीनरी का निर्यात 123.2 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 1.4 बिलियन यू एस डॉलर रहने का अनुमान है। अप्रैल-सितंबर 2010 अवधि के दौरान टेक्सटाइल मशीनरी का निर्यात 82.4 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 784.9 मिलियन यू एस डॉलर रहा।

भारत द्वारा निर्माण तथा खनन क्षेत्र की मशीनरी की व्यापक श्रृंखला का उत्पादन किया जाता है। फिर भी बड़ी और विकासशील अर्थव्यवस्था के चलते घरेलू मांग उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक है। अत: मांग के एक बड़े हिस्से की पूर्ति आयातों के जरिए होती है। वर्ष 2009-10 की अवधि के दौरान निर्माण मशीनरी का भारतीय निर्यात 479.2 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 2 बिलियन यू एस डॉलर रहा। अप्रैल-सितंबर 2010 अवधि के दौरान निर्माण एवं खनन मशीनरी का निर्यात 117.8 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 887.8 मिलियन यू एस डॉलर रहा। भारत में प्रसंस्करण संयंत्र एवं पुर्जा क्षेत्र पूंजीगत माल उद्योग क्षेत्र का अलग खंड है। वर्ष 2009-10 की अवधि के दौरान भारत द्वारा 1.3 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य की प्रसंस्करण मशीनरी का निर्यात तथा 3 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य की मशीनरी का आयात किया गया। अप्रैल-सितंबर 2010 अवधि के दौरान प्रसंस्करण संयंत्र मशीनरी एवं पुर्जा क्षेत्र का निर्यात 655.6 मिलियन यू एस डॉलर तथा आयात 1.5 बिलियन यू एस डॉलर के रहे।

विद्युत उपकरण तथा मशीनरी क्षेत्र में भी उत्पादों की व्यापक श्रृंखला है जिनमें ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स, मोटर, जेनरेटर तथा कंट्रोल उपकरण आदि प्रमुख हैं। भारत द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान 1.9 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य की मशीनरी का निर्यात तथा 2.7 बिलियन यू एस डॉलर मशीनरी का आयात किया गया। अप्रैल-सितंबर 2010 अवधि के दौरान विद्युत उपकरणों तथा मशीनरी का निर्यात 852.8 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य का तथा आयात 1.4 बिलियन यू एस डॉलर का रहा।

समग्र रूप में मध्यम तथा दीर्घावधि में भारत में पूंजीगत माल उद्योग का भविष्य अच्छा है। केंद्रीय बजट 2011-12 में बुनियादी क्षेत्र में सार्वजनिक निवेशों को बढ़ाने के संबंध में कई उपायों की घोषणा की गई है। विद्युत, सड़क, परिवहन, शिपिंग, रेलवे, शहरी ढांचागत सुविधाओं सहित प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों में निधि आबंटन को बढ़ाया गया है। इससे पूंजीगत माल उद्योग क्षेत्र को और गति मिलेगी तथा कंपनियों को अधिक क्रय आदेश मिलेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्षेत्र हाल के वर्षों में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत के पास सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा मनोरंजन क्षेत्र में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वैश्विक बाजारों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के विकास तथा विनिर्माण की पर्याप्त क्षमता है। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक

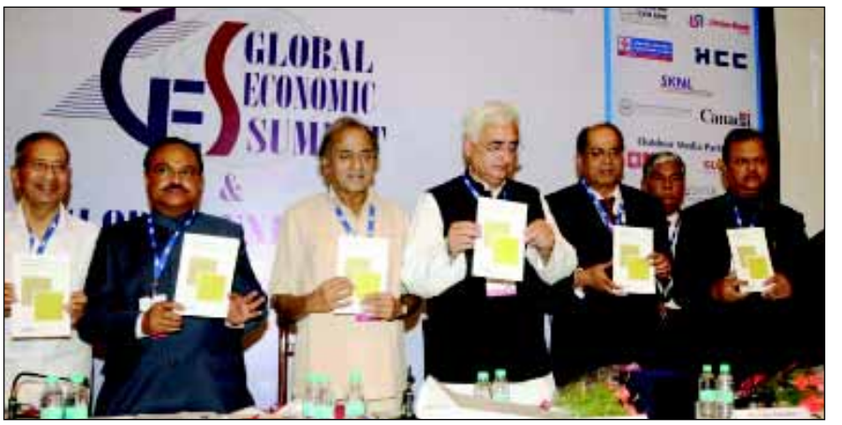

केन्द्रीय जल संसाधन एवं अल्प संख्यक मामलों के मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल इकोनॉमिक समिट में नौवहन उद्योग पर एक्जिम बैंक के शोध अध्ययन का विमोचन किया।

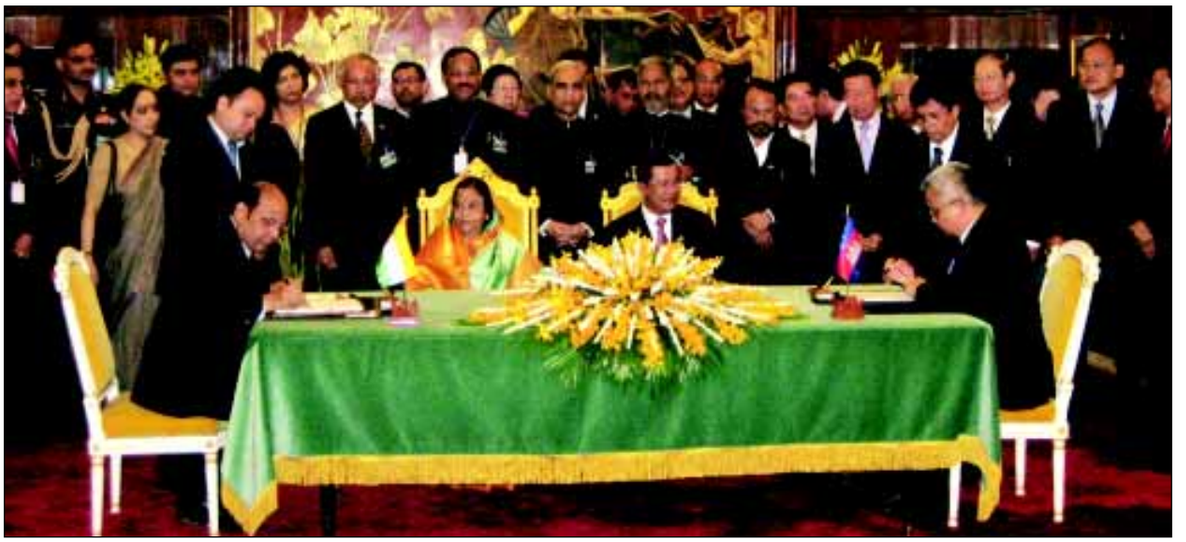

एक्जिम बैंक ने कंबोडिया में स्टंग टसल जल विकास परियोजना के वित्तपोषण के लिए कंबोडिया सरकार को 15 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था प्रदान की। इस ऋण-व्यवस्था करार पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील तथा कंबोडिया के प्रधान मंत्री श्री हुन सेन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को विकास के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग सहित विनिर्माण उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद का गठन किया गया जो निरंतर चर्चा एवं विमर्श के जरिए उद्योग को नीतिगत सहयोग प्रदान करने में मदद करेगी।

वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन ₹ 1099.40 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। कुल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन में संचार तथा प्रसारण उपकरण (29 प्रतिशत) का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। इसके बाद उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक (27.4 प्रतिशत), कम्प्यूटर (13.1 प्रतिशत), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक (12.4 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे (12.2 प्रतिशत) तथा सामरिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (6.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। वृद्धि के मामले में भी वर्ष 2009-10 के दौरान संचार तथा प्रसारण उपकरण 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2008-09 के उत्पादन की तुलना में अग्रणी रहे। वैश्विक मंदी के चलते भी उत्पादन वृद्धि की तुलना में भारत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की निर्यात वृद्धि कम रही तथा वर्ष 2009-10 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात गत वर्ष की तुलना में 21.5 प्रतिशत की न्यून वृद्धि दर्ज करते हुए 5.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा। आर्थिक मंदी का देश के आयातों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात भी 10.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 20.9 बिलियन यू एस डॉलर रहा। तथापि 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात 5.7 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में 27 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज प्रदर्शित करता है।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का आकार 2015 तक 150 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच जाने का अनुमान है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार 2013-14 तक इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात का लक्ष्य 15 बिलियन यू एस डॉलर तक रखा गया है। इस स्तर को प्राप्त करने के लिए भारत को विश्व स्तरीय उत्पादों की डिज़ाइन तथा विनिर्माण करते हुए घरेलू बाजार में गाँवों तक पहुँचने तथा उभरते निर्यात बाजारों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आने वाले वर्षों में लोगों की जीवन शैली के चलते बढ़ती बीमारियों के कारण चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाजार के काफी बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भी रिमोट तकनीकें व टेली-मेडिसिन सहित नए-नए अनुप्रयोग विकसित हो रहे हैं। इन खंडों के अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र में भी नए अनुप्रयोगों (तकनीक नियंत्रित परिचालन) के चलते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग बढ़ेगी। भारत वैश्विक बाजार के लिए जटिल स्वरूप के सॉफ्टवेयर युक्त किंतु निम्न मात्रा वाले उपकरणों के निर्माण क्षेत्र में भी संभाव्यता तलाश सकता है। साथ ही भारतीय उद्योग को ग्रामीण भारत की गरीब जनता के लिए उपयोगी बड़ी संख्या वाले उपकरणों के विकास पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। भारतीय बाजार का बड़ा आकार तथा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बढ़ता उपभोग उद्योगों के लिए नए अवसर सृजित करेगा। इसके अतिरिक्त बेहतर ऊर्जा प्रबंधन / संरक्षण की मांग, गुणवत्तायुक्त इंजीनियरिंग के लिए

प्रौद्योगिकी उन्मुखता और लागत कटौती रणनीतियों से दीर्घावधि में नए अवसर सृजित होंगे।

अक्षय ऊर्जा

ऊर्जा कार्यकुशलता और जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के दोहरे उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्राथमिक साधन के रूप में अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल बढ़ाने की आवश्यकता निरंतर महसूस की जा रही है। सतत विकास के अपने प्रयासों के प्रति भारत के वैश्विक रूप से अधिक जिम्मेदार होने से देश की भावी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अक्षय ऊर्जा को आधार बनने की विपुल संभावनाएं हैं। अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के मुख्य संवाहकों में ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कार्बन बाजार में अवसर शामिल हैं।

वैश्विक स्तर पर भारत पाँचवा सबसे बड़ा प्राथमिक ऊर्जा उपभोक्ता तथा चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उपभोक्ता है। बढ़ती जनसंख्या के साथ तेजी से बढ़ते आर्थिक तथा सामाजिक विकास ने अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा की बढ़ती खपत को प्रोत्साहित किया है। भारत के वर्तमान बिजली उत्पादन में 53.2 प्रतिशत (87.1 जी डब्ल्यू) हिस्से के साथ कोयले की प्रधानता है। इसके बाद हाइड्रोपॉवर (22.6 प्रतिशत हिस्सा; 37 जी डब्ल्यू) और गैस (10.6 प्रतिशत; 17.3 जी डब्ल्यू) का स्थान है। अक्षय ऊर्जा स्रोत 16.4 जी डब्ल्यू की स्थापित क्षमता के साथ चौथे स्थान पर है।

नई अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (अर्थात् सौर फोटोवोल्टीय, पवन तथा बायोमास) के विश्लेषण से पता चलता है कि ऊर्जा स्रोत के रूप में, विद्युत उत्पादन में इन प्रौद्योगिकियों के प्रति वैश्विक पसंद में स्पष्ट बदलाव आया है। भारत में वर्ष 2009 में ही अनुमानत: 30 मेगावॉट की नई क्षमता स्थापित की गई जिससे संचयी क्षमता 120 मेगावॉट हो गई। मूल्य श्रृंखला की दृष्टि से, भारत में कुल सौर सेल विनिर्माण क्षमता 175 मेगावॉट के स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है, जबकि कुल पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2008-09 में 240 मेगावॉट के स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है। भारत में सौर पीवी प्रौद्योगिकी में क्रिस्टलाइन सिलीकॉन की प्रधानता है। देश में निर्मित 90 प्रतिशत पीवी मॉड्यूलों में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, जबकि सिर्फ 10 प्रतिशत मॉड्यूल थिन फिल्म या नॉन क्रिस्टल सिलीकॉन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए निर्मित किए जाते हैं। वर्ष 2004-2009 के दौरान भारत द्वारा कुल 437.3 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य के पी वी पैनल/मॉड्यूल निर्यात किए गए जिसमें 2004 की तुलना में पांच गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

एक विशाल प्रायद्वीप क्षेत्र और दो मौसमी मानसून के चलते भारत के पास पवन ऊर्जा उत्पन्न करने की भारी संभाव्यता है। भारत पवन ऊर्जा के लिए अपतटीय क्षेत्रों का उपयोग करने की भी संभाव्यता रखता है। पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 2001-02 में 1.6 जी डब्ल्यू से बढ़कर दिसंबर 2010 के अंत में 13.6 जी डब्ल्यू के स्तर पर पहुँच गया। देश ने संस्थापित क्षमता में 2008-09 के 1,484 एम डब्ल्यू की तुलना में 2009-10 में 1,564.7 एम डब्ल्यू की क्षमता जोड़ी। भारत में पवन ऊर्जा फार्मों के भौगोलिक फैलाव में क्रमिक रूप से बदलाव आ रहा है। भारत से पवन टर्बाइन का निर्यात वर्ष 2009

एक्ज़िम बैंक ने बांग्लादेश सरकार को भारत से माल, सेवाओं तथा परियोजना निर्यात के वित्तपोषण के लिए एक बिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की। इस ऋण-व्यवस्था करार पर भारत के वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी तथा बांग्लादेश के वित्त मंत्री श्री अबुल माल अब्दुल मुहीथ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

एक्ज़िम बैंक ने क्रोएशिया में पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना के लिए ओरिएंटल ग्रीन पॉवर लिमिटेड के विदेशी संयुक्त उद्यम की सहायता की।

में 335.7 मिलियन यू एस डॉलर रहा। यू एस ए पवन टर्बाइनों के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान था, इसके बाद ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल तथा स्पेन का स्थान रहा।

बायोमास विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों में बिजली उत्पादन के लिए एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। पिछले 15 वर्षों से बायोमास पॉवर एक ऐसा उद्योग बन गया है जो ₹ 10 बिलियन से अधिक का वार्षिक निवेश आकर्षित करता है और प्रति वर्ष 9 जी डब्ल्यू से अधिक बिजली उत्पन्न करता है। पर्याप्त धूप तथा बारिश के चलते भारत के पास बायोमास ऊर्जा उत्पन्न करने की विपुल संभावनाएं हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें 1,700 मेगावॉट क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 500 मेगावॉट की बायोमास बिजली परियोजनाएं और 1,200 मेगावॉट की बायोमास सह उत्पादन परियोजनाएं शामिल हैं। दिसंबर 2010 तक संचयी बायोमास बिजली उत्पादन क्षमता 2,559.13 मेगावॉट के स्तर पर पहुँच गई है जिसमें 997.1 मेगावॉट बायोमास बिजली परियोजनाएं और 1,562.03 मेगावॉट की खोई-सह उत्पादन परियोजनाएं शामिल हैं। 31 दिसंबर, 2010 तक बायोमास बिजली उत्पादन क्षमता में 359 मेगावॉट (143 मेगावॉट की बायोमास तथा 216 मेगावॉट की खोई-सह उत्पादन परियोजनाएं) की भारी वृद्धि हुई, जो 2010-11 के लिए 450 मेगावॉट के लक्ष्य की तुलना में है। भारत में फसल अवशिष्टों को देखते हुए 18,000 मेगावॉट के समतुल्य बायोमास ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। फसल अवशिष्टों के उपयोग के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए, उपलब्ध बायोमास सामग्री की मात्रा लगभग 150 मिलियन टन है जो लगभग 18,000 मेगावॉट बिजली उत्पन्न कर सकती है।

भारत के पास तीनों अक्षय ऊर्जा स्रोतों तथा तकनीकों से विद्युत उत्पादन की क्षमता है। आवश्यकता इस बात की है कि इन क्षेत्रों में अभी तक उपयोग न की गई संभाव्यताओं का दोहन किया जाए। इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं तथा यह भारत की ऊर्जा कमी को पूरा करने के लिए रामबाण हो सकता है।

नीतिगत परिवेश

भारत के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए विदेश व्यापार नीति 2009-14 के वार्षिक अनुपूरक 2010-11 में कई व्यापार सुगमीकरण उपाय सुझाए गए हैं। निर्यातों के लिए 3 प्रतिशत की ड्यूटी क्रेडिट प्रोत्साहन योजना के साथ फोकस मार्केट स्कीम (एफ एम एस) के अंतर्गत 27 नए बाजार जोड़े गए। 2 प्रतिशत की ड्यूटी क्रेडिट प्रोत्साहन के साथ मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) को विस्तारित कर बड़ी संख्या में उत्पादों को उनकी बाजार संबद्धता के अनुसार जोड़ा गया। संपूर्ण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा ओसियाना के बड़े भाग को एफएमएस तथा एमएलएफपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया। (विदेश व्यापार नीति 2009-14 को जारी करते समय अगस्त 2009 में इसमें 13 देशों को जोड़ा गया तथा जनवरी 2010 में दो नए देशों को जोड़ा गया)।

एफ एम एस के अंतर्गत प्रोत्साहन को 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया तथा एफ पी एस एवं एम एल एफ पी एस के अंतर्गत इसे 1.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया गया। स्पेशल फोकस प्रोडक्ट के अंतर्गत प्रोत्साहन को 5 प्रतिशत किया गया। एफ पी एस के अंतर्गत उपलब्ध 2 प्रतिशत / 5 प्रतिशत बोनस के अलावा 2 प्रतिशत का अतिरिक्त बोनस उन 135 उत्पादों को दिया गया जो निर्यातों में मंदी की चपेट में आ गए थे। रेडीमेड कपड़ा क्षेत्र के लगभग 300 उत्पादों (8 अंकीय स्तर पर) को 27 यूरोपीय संघ देशों को निर्यात के लिए एम एल एफ पी एस के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन को अक्तूबर 2010 से मार्च 2011 तक पुन: बढ़ाया गया। पूंजीगत माल के निर्यात संवर्द्धन हेतु शून्य कर योजना (ई पी सी जी) तथा स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन (एसएचआईएस) योजना जो 2009 में चुनिंदा क्षेत्रों के लिए मात्र दो वर्षों के लिए प्रारंभ की गई थी, को एक और वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च, 2012 तक के लिए बढ़ाया गया तथा योजना के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। निर्यात के कतिपय श्रम गहन क्षेत्रों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज रियायत योजना को भी मार्च 2011 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

अगले तीन वर्षों में देश के पण्य निर्यात को दुगुना करने की दृष्टि से, अर्थात् 2010-11 के 246 बिलियन यू एस डॉलर को 2013-14 तक 500 बिलियन यू एस डॉलर करने हेतु, निम्नलिखित रणनीतियाँ बनाई गईं:

1) वृद्धि की संभाव्यता वाले क्षेत्रों जैसे इंजीनियरी सामान, मूल रसायन उद्योग तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन उद्योग; औषधि उद्योग (बायोटेक सहित) तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को मजबूत करना।

2) चमड़ा उत्पाद तथा टेक्सटाइल जैसे उच्च मूल्य वर्धक तथा हल्के विनिर्माण निर्यातों को प्रोत्साहित करना।

3) उच्च रोजगार सृजन संभाव्यता वाले क्षेत्रों जैसे, रत्न एवं आभूषण, कृषि उत्पाद आदि को प्रोत्साहित करना।

4) विकसित बाजारों में अपना हिस्सा बनाए रखते हुए एशियाई (आसियान सहित), अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी बाजारों पर ध्यान केंद्रित तथा इन बाजारों में नए-नए उत्पादों को लांच करना।

5) विद्यमान प्रोत्साहन योजनाओं को लागू रखते हुए संव्यवहार लागतों में कमी करना, व्यापार संबंधी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता आधार पर मजबूत करना तथा समग्र आयोजना सहयोग को बढ़ाना।

बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति तथा स्फीतिकारी अपेक्षाओं पर इसके दुष्प्रभावों तथा सुधार के समेकन के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'जोखिम को प्रबंधित' करने की अपनी अब तक अपनाई गई रणनीति में परिवर्तन किया तथा इसे 'सुधार का प्रबंधन' पर केंद्रित करते हुए अक्तूबर 2009 की दूसरी तिमाही की समीक्षा के दौरान विस्तारक मौद्रिक नीति को वापस ले लिया तथा कुछ क्षेत्र विशिष्ट सुविधाओं को वापस लेते हुए अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) को संकट पूर्व स्तर पर ला दिया। वर्ष 2010-11 के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दरों को 7 बार परिवर्तित किया तथा रेपो एवं रिवर्स रेपो दरों को बढ़ाया। मार्च 2010 से रेपो तथा रिवर्स रेपो दरों को संचयी आधार पर क्रमश: 250 आधार बिंदु तथा 300 आधार बिंदु तक बढ़ाया गया। वर्तमान में रेपो दर 6.75 प्रतिशत तथा रिवर्स रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर है जबकि नकद प्रारक्षी अनुपात (सीआरआर) बैंकों की निवल मांग एवं देयताओं (एन डी टी एल) का 6 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2010 में रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एस एल आर दर 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत कर दी। इस प्रकार 2010-11 में मुद्रास्फीति के लगातार बढ़ने तथा ऊँचे स्तर पर बने रहने के कारण रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति भी इसे नियंत्रित करने पर केंद्रित रही।

बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की उदारीकरण नीति इस वर्ष भी लागू रही। विद्यमान प्रक्रिया का उदारीकरण करते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों को बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत इन कंपनियों को ऑटोमेटिक रूट के जरिए बकाया ई सी बी सहित उनकी निवल स्वाधिकृत निधि के 50 प्रतिशत तक बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने की अनुमति दी गई बशर्ते कि विद्यमान विवेक सम्मत दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हों। अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के 50 प्रतिशत से अधिक राशि की बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने के लिए इन कंपनियों को रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक होगी तथा इन्हें अनुमोदन रूट के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त विदेशी या रुपया पूंजीगत खर्च के लिए होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर उद्योग क्षेत्र की कंपनियों को अनुमोदन रूट के जरिए 100 मिलियन यू एस डॉलर से अधिक की बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने की अनुमति दी गई।

एक्ज़िम बैंक ने चाइना डेवेलपमेंट बैंक के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए । इस करार पर भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा चीन के प्रधान मंत्री श्री वेन जियाबाओ की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

2010-11 के दौरान प्रमुख नीतिगत परिवर्तन

ऋण नीति

- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) को फरवरी 2010 के 5.75 से बढ़ाकर अप्रैल 2010 में 6 प्रतिशत कर दिया गया है।
- रेपो रेट को भी विभिन्न चरणों में बढ़ाया गया जिसे अप्रैल 2010 के 5.25 प्रतिशत से मार्च 2011में 6.75 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रेपो रेट को अप्रैल 2010 के 3.75 प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च 2011 में 5.75 प्रतिशत कर दिया गया।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सांविधिक नकदी अनुपात (एस एल आर) को 18 दिसम्बर, 2010 से उनके निवल मांग तथा समय देयताओं के 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया।
- श्रम गहन निर्यात क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल (हैण्डलूम सहित), हैंडीक्राफ्ट्स, कार्पेट, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रदत्त 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता को मार्च 2011 तक बढ़ा दिया गया।

व्यापार नीति

- डी ई पी बी योजना को 31 दिसम्बर, 2010 से बढ़ाकर 30 जून, 2011 तक कर दिया गया।
- इंजीनियरिंग, प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मूल रसायन, औषधि, वस्त्र एवं परिधान, हैंडीक्राफ्ट, रसायन तथा संबंधित उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद आदि के लिए शून्य ड्यूटी पर ई पी सी जी योजना को मार्च 2012 तक बढ़ाया गया। इस योजना के लाभ को अतिरिक्त क्षेत्रों जैसे- औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस एवं इंजीनियरिंग उत्पाद तथा उच्च मूल्य वाले इंजीनियरिंग उत्पादों पर भी लागू किया गया।
- फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफ पी एस) के अन्तर्गत 256 नए उत्पादों (आठ अंकीय स्तर तक) को जोड़ा गया है, जिससे ये उत्पाद सभी बाजारों में निर्यात के लिए एफ ओ बी मूल्य के 2 प्रतिशत लाभ के लिए पात्र हुए हैं। प्रमुख क्षेत्रों/उत्पाद समूहों में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रबड़ एवं रबड़ उत्पाद, अन्य खाद्य तेल, परिस्कृत चमड़ा, डिब्बाबंद नारियल पानी तथा नारियल शैल से निर्मित वस्तु आदि हैं।
- फोकस मार्केट स्कीम (एफ एम एस) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों को 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तथा फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों को 1.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया गया।

निवेश नीति

- कृषि क्षेत्र में अब 'नियंत्रण शर्तों' के बगैर बीजों तथा पौध रोपड़ सामग्री के विकास और उत्पादन को बढ़ाने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) की अनुमति।
- सेबी के पास पंजीकृत म्युचुअल फंडों को ईक्विटी योजना के लिए के वाई सी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले विदेशी निवेशकों से अभिदान प्राप्त करने की मंजूरी।
- बुनियादी सुविधा क्षेत्र को निधियों का प्रवाह बढ़ाने के लिए कार्पोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निर्धारित निवेश सीमा को बढ़ाया गया।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों को बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत इन कंपनियों को ऑटोमेटिक रूट के जरिए बकाया ई सी बी सहित उनकी निवल स्वाधिकृत पूंजी के 50 प्रतिशत तक बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने की अनुमति दी गई बशर्ते कि वे विद्यमान विवेक सम्मत दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हों।
- विदेशी मुद्रा या रुपया पूंजीगत खर्च के लिए होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर उद्योग क्षेत्र की कंपनियों को अनुमोदन रूट के जरिए 100 मिलियन यू एस डॉलर से अधिक की बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने की अनुमति दी गई।

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, इस बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

परिचालनों की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने वर्ष 2009-10 के ₹ 332.49 बिलियन की तुलना में ₹ 344.23 बिलियन के ऋण का संवितरण किया जबकि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान भुगतान वर्ष 2009-10 के ₹ 264.84 बिलियन की तुलना में ₹ 274.46 बिलियन रहे। यथा 31 मार्च, 2010 के 405.09 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2011 को कुल उधार राशियाँ ₹ 471.92 बिलियन की रहीं जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। यथा 31 मार्च, 2011 को कुल ऋण-आस्तियाँ ₹ 460.41 बिलियन की रहीं जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने अपने विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों के अंतर्गत ₹ 477.98 बिलियन की राशि मंजूर की, जो वित्तीय वर्ष 2009-10 में मंजूर की गई ₹ 388.43 बिलियन के मुकाबले में है। वर्ष 2009-10 के दौरान मंजूर की गई ₹ 13.51 बिलियन की गारंटियों की तुलना में वर्ष 2010-11 में बैंक द्वारा ₹ 32.16 बिलियन की गारंटियाँ मंजूर की गईं, जबकि जारी की गई गारंटियां वर्ष 2009-10 के ₹ 3.88 बिलियन की तुलना में वर्ष 2010-11के दौरान ₹ 11.53 बिलियन की रहीं। यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक की बहियों में बकाया गारंटियाँ 31 मार्च, 2010 के ₹ 22.74 बिलियन की तुलना में ₹ 30.56 बिलियन की थीं तथा साख-पत्र यथा 31मार्च, 2010 के ₹ 8.43 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2011 को ₹ 12.06 बिलियन के थे। यथा 31मार्च, 2011 को कुल ऋण आस्तियों में रुपया ऋणों तथा अग्रिमों का 53 प्रतिशत हिस्सा रहा जबकि शेष 47 प्रतिशत विदेशी मुद्रा ऋण थे। यथा 31 मार्च, 2011 को कुल ऋणों तथा अग्रिमों में अल्पावधि-ऋण का हिस्सा 30 प्रतिशत रहा।

बैंक ने वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 7.72 बिलियन के लाभ की तुलना में वर्ष 2010-11के दौरान सामान्य निधि लेखे में ₹ 8.68 बिलियन का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। ₹ 2.84 बिलियन का आयकर का प्रावधान करने के बाद 2010-11 के दौरान कर पश्चात लाभ की राशि ₹ 5.84 बिलियन रही जबकि 2009-10 में यह ₹ 5.13 बिलियन थी। इस लाभ में से ₹ 3.09 बिलियन की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बैंक ने निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि लेखे में 0.10 बिलियन रुपये, ऋण शोधन निधि में ₹ 0.10 बिलियन अंतरित किये हैं और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में ₹ 0.70 बिलियन अंतरित किये हैं। शेष ₹ 1.85 बिलियन की राशि एक्ज़िम बैंक अधिनियम में दिए गए अनुसार भारत सरकार को अंतरित की जाएगी।

वर्ष 2010-11 के दौरान निर्यात विकास निधि का कर पूर्व लाभ ₹ 28.47 मिलियन है जबकि 2009-10 में यह ₹ 29.16 मिलियन था। ₹ 9.50 मिलियन का कर प्रावधान करने के बाद कर पश्चात लाभ की राशि वर्ष 2010-11 में ₹ 18.97 मिलियन होती है जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान यह राशि ₹ 19.25 मिलियन थी। ₹ 18.97 मिलियन का लाभ अगले वर्ष के लिए ले जाया गया है।

व्यवसाय परिचालन

बैंक के व्यवसाय परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन प्रस्तुत की गई है:

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात
II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन एवं विदेशी निवेश का वित्तपोषण
III. नई पहलें
IV. वित्तीय निष्पादन
V. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ
VI. संस्थागत संबंध
VII. सूचना प्रौद्योगिकी
VIII. शोध एवं विश्लेषण
IX. मानव संसाधन प्रबंधन
X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति
XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

बैंक के प्रधान कार्यालय मुंबई में चल रही बोर्ड की एक बैठक।

1. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात

निर्यात संविदाएं

वर्ष 2010-11 के दौरान एक्ज़िम बैंक की सहायता से 187 भारतीय निर्यातकों द्वारा 96 देशों में कुल ₹ 283.48 बिलियन की 1,145 निर्यात संविदाएं प्राप्त की गईं जो वर्ष 2009-10 के दौरान 129 भारतीय निर्यातकों द्वारा 95 देशों में कुल ₹ 183.78 बिलियन की 1,201 निर्यात संविदाओं की तुलना में हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी संविदाओं में ₹ 66.64 बिलियन मूल्य की 31 टर्नकी संविदाएं, ₹ 172.31 बिलियन मूल्य की 26 निर्माण संविदाएं, ₹ 44.30 बिलियन मूल्य की 1,087 आपूर्ति संविदाएं तथा ₹ 0.23 बिलियन मूल्य की एक तकनीकी परामर्शी तथा सेवा संविदा शामिल थी।

वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ प्रमुख टर्नकी संविदाओं में श्री लंका के डाम्बूला क्षेत्र में 30 एम एल डी (मिलियन लीटर दैनिक) के जल संशोधन संयंत्र की स्थापना तथा 9 जल संचायकों (रिजर्वायर) की स्थापना; कतर में दोहा साउथ सीवरेज ट्रीटमेंट कार्य के विस्तार संबंधी परियोजना के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण तथा स्थापना संबंधी संविदा; सूडान में चीनी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए उपकरण एवं मशीनरी तथा अन्य पुर्जों की खरीद सहित संयंत्र की डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति तथा प्रचालन कार्य संबंधी संविदा; ऑस्ट्रेलिया में प्रोपेन रेफ्रिजरेंट स्टोरेज टैंक की डिजाइन, आपूर्ति, गढ़ाई, फिटिंग, वेल्डिंग, परीक्षण एवं पेंटिंग कार्य के लिए संविदा तथा कजाखस्तान में विद्युत ट्रांसमिशन पुनर्वास परियोजना,फेज II के लिए एक्मोलिंस्की, सिवरी तथा सेर्वस्की में 500 किलो वोल्ट के विद्युत उपस्टेशनों की स्थापना संबंधी संविदा शामिल हैं।

निर्माण संविदाओं में सिंगापुर में दो मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स के निर्माण एवं बिक्री हेतु एक संविदा; लीबिया में 3,600

बैंक के प्रमुख कार्यक्रम

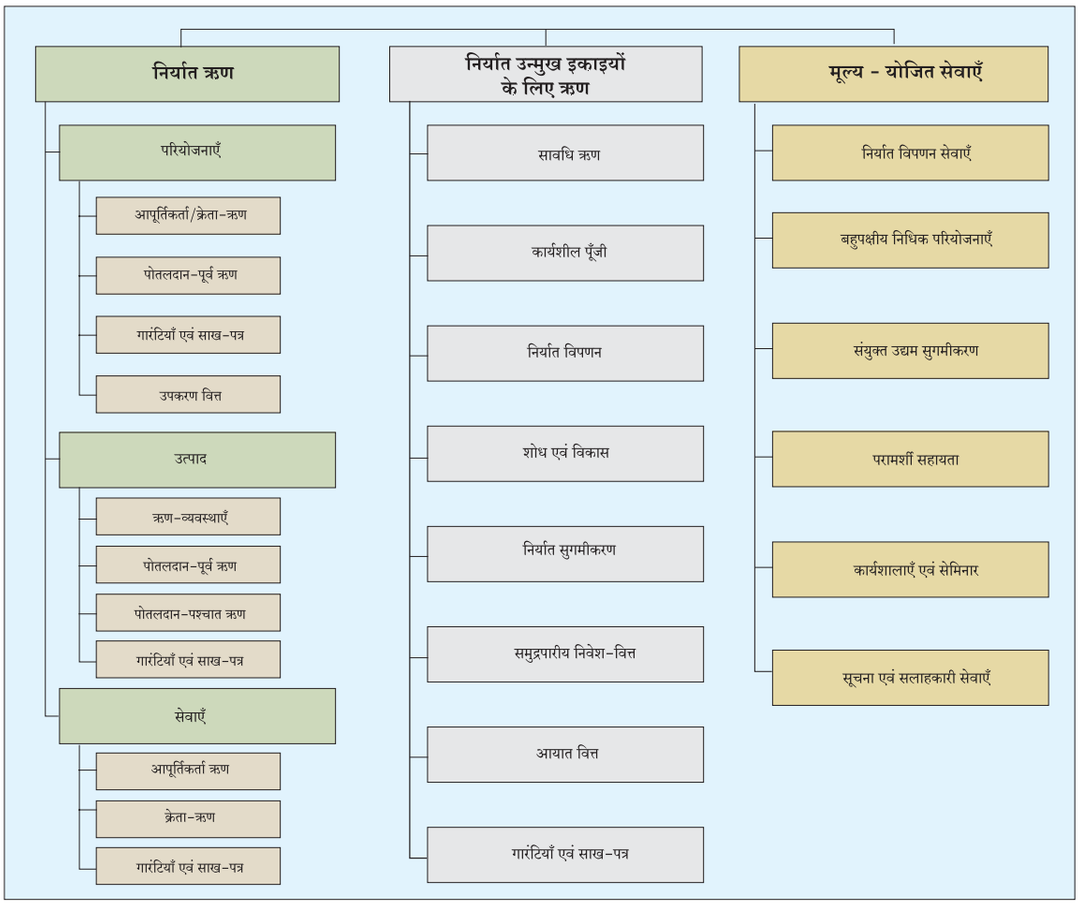

आवासीय इकाइयों तथा संबंधित सुविधाओं की डिजाइन तथा निर्माण संबंधी संविदा; जॉर्डन में अकाबा के दक्षिण हिस्से में एक नए फॉस्फेट रॉक टर्मिनल के निर्माण के लिए संविदा; ओमान में सल्लालाह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की डिजाइन एवं विनिर्माण के लिए एक संविदा; तथा थाईलैण्ड में रेयांग के नजदीक तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल मप्ताफुट इंडस्ट्रियल एस्टेट से वर्तमान वॉन्ग नोई - किंग खोई पाइपलाइन पर एक टाई-इन स्टेशन तक 294 किमी. 42" समुद्री पाइपलाइन बिछाने के लिए इंजीनियरिंग, खरीद, स्थापना तथा प्रचालन हेतु संविदा आदि शामिल हैं।

यथा 31 मार्च, 2011 को एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना निर्यात संविदाएँ

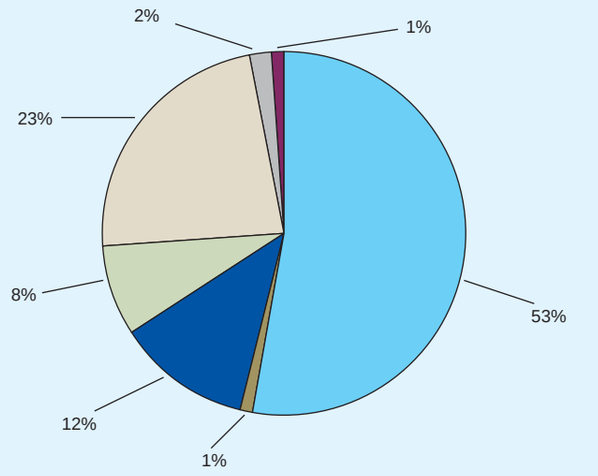

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2011 को ₹ 1,036 बिलियन मूल्य की 259 परियोजना निर्यात संविदाएँ, 53 भारतीय कंपनियों द्वारा एक्ज़िम बैंक की सहायता से 43 देशों में निष्पादन अधीन थीं। इनमें निर्माण, टर्नकी और परामर्शी संविदाएँ शामिल हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त आपूर्ति संविदाओं में ऑटो पुरजे, बॉक्साईट, बी ओ पी पी फिल्में, रसायन, कढ़ाई किए हुए सूती वस्त्र, हीरे तथा जड़ाऊ आभूषण, रंग द्रव्य, इंजीनियरिंग सामान, प्लास्टिक सीट्स, कलाईदार स्टील के क्वायल, कपड़े, गृह सज्जा के कपड़े, ऑप्टीकल मीडिया स्टोरेज उत्पाद, औषधियां, सोडा ऐश, तागा एवं टायर का निर्यात आदि शामिल हैं। भारतीय कंपनियों ने अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बेल्जीयम, बेलीज, बोलीविया, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, साइप्रस, डेनमार्क, जिबूती, डोमिनिकन गणराज्य, फ्रांस, गाम्बिया, जर्मनी, हांग कांग, इंडोनेशिया, ईरान, आयरलैंड, इस्त्रायल, इटली, जापान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनॉन, लिथ्युआनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, नीदरलैण्ड, न्यू जीलैण्ड, नाइजीरिया, पेरू, पोलैण्ड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्री लंका, सूडान, स्वीडेन, सीरिया, थाइलैण्ड, ट्यूनीसिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूगांडा, यूएई, यूके, यूएस, वियतनाम तथा यमन गणराज्य जैसे देशों को निर्यात किया है।

निर्यात ऋण तथा गारंटियाँ

वर्ष के दौरान बैंक ने आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और परियोजना निर्यात के लिए कुल ₹ 160.44 बिलियन की राशि मंजूर की जबकि पिछले वर्ष में ये मंजूरियाँ ₹ 169.93 बिलियन की थीं। वर्ष के दौरान किए गए संवितरणों की राशि गत वर्ष के ₹ 161.73 बिलियन की तुलना में ₹ 159.51 बिलियन रही।

वर्ष के दौरान अनुमोदित तथा जारी की गई गारंटियों की राशि गत वर्ष के क्रमश: ₹ 13.51 बिलियन तथा ₹ 3.88 बिलियन की तुलना में क्रमश: ₹ 32.16 बिलियन तथा ₹ 11.53 बिलियन रही। ये गारंटियां बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण, आधारभूत संरचना विकास और निर्यात दायित्व गारंटियों जैसे क्षेत्रों में समुद्रपारीय परियोजनाओं से संबंधित थीं।

क्रेता ऋण

क्रेता ऋण एक्ज़िम बैंक का एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बैंक भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी क्रेताओं को भारत से उनके आयातों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए ऋण देता है। क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को पात्र मूल्य का भुगतान उनकी बिना किसी जिम्मेदारी के करता है। क्रेता-ऋण भारतीय

निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक सुरक्षित तथा दायित्व रहित वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध कराता है और उन्हें विदेशी बाजारों में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वर्ष 2010-11 में क्रेता-ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा 29 विदेशी कंपनियों को ₹ 17.86 बिलियन की ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं जिसके अंतर्गत कुल ₹ 10.20 बिलियन के संवितरण किए गए जिनमें इटली, सिंगापुर, श्री लंका, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त गणराज्य, नाइजीरिया, तुर्की, जाम्बिया, भूटान, स्वीडेन तथा यू एस के लिए निर्यात शामिल हैं। क्रेता-ऋण के अंतर्गत निर्यात किए गए सामानों में परिवहन वाहन एवं ऑटो स्पेअर पार्ट्स, इंजीनियरिंग सामान, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, फल तथा सब्ज़ियाँ, चावल, अन्य कृषि आधारित उत्पाद एवं सामग्री, सादे तथा जड़ाऊ आभूषण, स्टील तार तथा तार निर्मित राड, पाइप मशीनरी, सिंचाई उपकरण, प्लास्टिक उत्पाद, अगरबत्ती, सीमेंट क्लिंकर, पेट्रो रसायन, औषधियां तथा तैयार वस्त्र आदि शामिल हैं। लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के कई निर्यातकों ने क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत दायित्व रहित भुगतान सुविधा का लाभ उठाया।

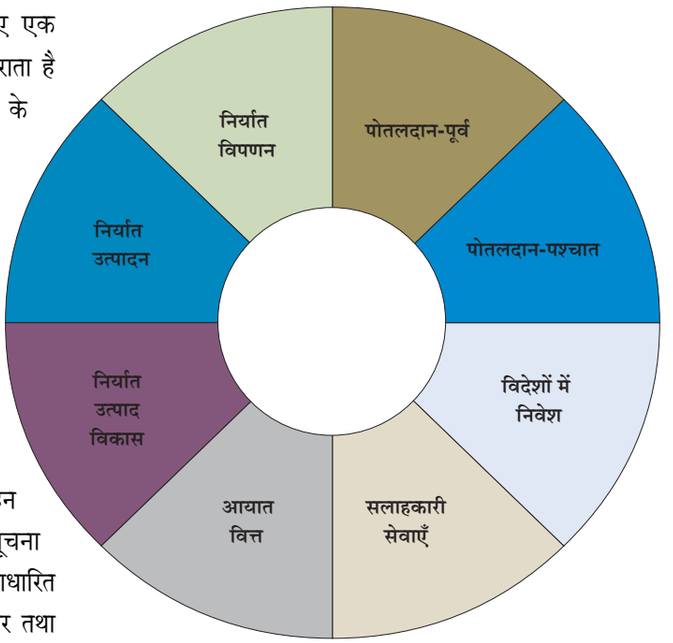

ऋण-व्यवस्थाएं (एल ओ सी)

एक्ज़िम बैंक समुद्रपारीय वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य समुद्रपारीय संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है ताकि इन देशों के क्रेता आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से उन्नतशील तथा आधारभूत परियोजनाओं, उपकरणों एवं माल तथा सेवाओं का आयात कर सकें। भारतीय निर्यातक पोतलदान दस्तावेज़ों के परक्रामण पर एक्ज़िम बैंक से दायित्व रहित पात्र मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ऋण-व्यवस्था एक ऐसी वित्तपोषण व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को एक सुरक्षित वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध कराती है और नए बाज़ारों में उनके प्रवेश के प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करती है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिवेश में होने के कारण एक्ज़िम बैंक अपने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम की भौगोलिक पहुँच तथा मात्रा में तत्परतापूर्वक विस्तार करना चाहता है।

समुद्रपारीय सत्ताओं को अपनी स्वयं की ऋण-व्यवस्थाओं के अलावा, एक्ज़िम बैंक वर्ष 2003-04 से भारत सरकार के निर्देश पर तथा भारत सरकार की सहायता से विकासशील विश्व में देशों को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को सहायता देने के लिए कुल 2.38 बिलियन यू एस डॉलर की 22 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। एक्ज़िम बैंक द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाओं में इकोवास बैंक फॉर इनवेस्टमेंट एंड डेवेलपमेंट, पश्चिम अफ्रीका; इंडो जांबिया बैंक लि. जांबिया; पी टी ए बैंक अफ्रीका; आर यू ई ग्रॉडनोइनर्जो, बेलारूस; तथा अंगोला, बांग्लादेश, कंबोडिया, डी. आर. कांगो, जिबूती, इथियोपिया, घाना, केन्या, लाओ पीडीआर, मालावी, मॉरीशस, मोजाम्बिक, श्री लंका, स्वाजीलैंड एवं तंजानिया की सरकारों को ऋण-व्यवस्थाएं शामिल हैं। यह ऋण-व्यवस्थाएं कपड़े, कपास प्रसंस्करण सुविधाओं, विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, रेलवे लाइनों का उन्नयन, सीमेंट संयंत्र एवं जल स्रोत विकास परियोजना, चीनी उद्योग का विकास, मछली पकड़ना एवं प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क एवं औद्योगिक पार्क की स्थापना, चावल, गेहूँ तथा मक्के की उत्पादकता बढ़ाने तथा परिवहन वाहनों एवं ऑफशोर पॅट्रोल व्हिकल आदि परियोजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति के लिए वित्तपोषण प्रदान करेंगी तथा निर्यात को बढ़ावा देंगी। वर्तमान में कुल 6.66 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण-बचनबद्धताओं के साथ

अफ्रीका, एशिया, सी आई एस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में 72 देशों को शामिल करते हुए 138 ऋण-व्यवस्थाएं इस समय उपभोग के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कई ऋण-व्यवस्थाएं बात-चीत के विभिन्न चरणों में हैं।

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन एवं विदेशी निवेश का वित्तपोषण

बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तपोषण कार्यक्रमों की एक शृंखला परिचालित करता है। वर्ष 2010-11 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल ₹ 207.75 बिलियन के ऋण मंजूर किये। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत संवितरण ₹ 156.16 बिलियन के थे।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

वर्ष के दौरान, बैंक ने 54 निर्यात उन्मुख इकाइयों को ₹ 38.84 बिलियन के दीर्घावधि ऋण मंजूर किये हैं, जिनके अंतर्गत संवितरणों की राशि ₹ 20.29 बिलियन हैं। उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अधीन 18 निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों की प्राप्ति के वित्तपोषण के लिए ₹ 6.75 बिलियन मंजूर किये गये। इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि ₹ 3.72 बिलियन है। दस कंपनियों को कुल मिलाकर ₹ 6.39 बिलियन के दीर्घकालिक कार्यशील पूँजी ऋण मंजूर किये गये हैं जिनके अंतर्गत संवितरणों की राशि ₹ 6.12 बिलियन है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक्ज़िम बैंक को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को स्थापित करने एवं पात्रता हेतु अनुमोदन प्रदान करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सहायता राशि प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक ने 164 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है, जिनकी कुल लागत ₹ 101.23 बिलियन है। अनुमोदित और संवितरित ऋणों की समग्र राशि क्रमश: ₹ 32.05 बिलियन तथा ₹ 25.54 बिलियन है। कपड़ा उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता वस्त्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों तथा भारत के कई राज्यों में फैली हुई है।

विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम

भारतीय बाह्य निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए ईक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियां और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से बैंक के पास एक विस्तृत कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष के दौरान 64 कंपनियों को 28 देशों में उनके समुद्रपारीय निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ₹ 83.25 बिलियन की निधिक तथा गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। एक्ज़िम बैंक ने अब तक ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, चीन, क्रोएशिया, मिस्र, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजरायल, इटली, मलेशिया, माल्टा, मॉरिशस, मोरक्को, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, रोमानिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्री लंका, सूडान, संयुक्त अरब अमीरात, युनाइटेड किंगडम, यू एस तथा वियतनाम सहित 68 देशों में 268 से अधिक कंपनियों द्वारा स्थापित 331 उद्यमों को वित्तपोषण किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी निवेश के लिए प्रदान की गई कुल राशि ₹ 208.74 बिलियन की है जिसमें विभिन्न क्षेत्र यथा फार्मास्यूटिकल्स, घर सज्जा, रेडीमेड

यथा 31 मार्च, 2011 को परिचालन गत ऋण-व्यवस्थाएँ
(मिलियन यू एस डॉलर)

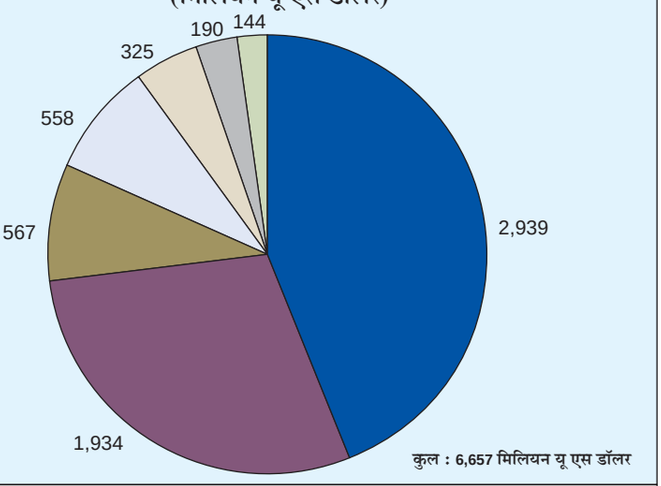

टिप्पणी : कुल 6,657 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण राशि के साथ 72 देशों में 138 ऋण-व्यवस्थाएँ परिचालनगत हैं।

एक्ज़िम बैंक ने जर्मनी की एक आधुनिक आर एंड डी इकाई बी एस वी बायो-सायंसेज, जी एम बी एच की सहायता की है।

कपड़े, निर्माण, कागज एवं कागज उत्पाद, कपड़ा एवं वस्त्र, रसायन तथा रंजक, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी सामान, प्राकृतिक संसाधन (कोयला तथा वन), धातु तथा धातु प्रसंस्करण और कृषि तथा कृषि आधारित उत्पाद आदि शामिल हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त समुद्रपारीय निवेश परियोजनाओं में : ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया में कोयला खानों का अर्जन, यू एस में ट्रांसमिशन कंपनी का अर्जन, ब्राजील तथा यू एस में औषधि कंपनियों का अर्जन, क्रोएशिया में पवन चालित विद्युत उत्पादन कंपनी की स्थापना आदि प्रमुख हैं।

आयात के लिए वित्त

थोक आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर तथा संवितरित की गई राशि क्रमश: ₹ 18.74 बिलियन तथा ₹ 39.85 बिलियन रही है।

आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनियों को मंजूर आवधिक ऋण ₹ 36.78 बिलियन रहे तथा संवितरण ₹ 2.83 बिलियन के थे।

संयुक्त उद्यम

बैंक के संयुक्त उद्यम, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लि. (जी पी सी एल) ने लाभप्रद परिचालनों का एक और वर्ष पूरा कर लिया है। कंपनी ने ₹ 9.25 मिलियन के कर पूर्व लाभ के साथ 2010-11 में ₹ 31.75 मिलियन की परामर्शी आय दर्ज की है। जी पी सी एल, एक्ज़िम बैंक तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली 12 अन्य प्रतिष्ठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जी पी सी एल विभिन्न विकासशील देशों में बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं के लिए प्रापण संबंध सलाहकारी तथा लेखा-परीक्षा सेवाएं प्रदान करता है।

ऋण निगरानी समूह

बैंक में एक ऋण वसूली समूह कार्यरत है जो निदेशक मंडल द्वारा ऋण निगरानी तथा वसूली नीति के अनुसार मानक आस्तियों को अवमानक आस्तियों की श्रेणी में जाने से रोकता है। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के आधार पर ऋणों के ए बी सी वर्गीकरण (क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन प्रणाली की मॉनीटरिंग सहित) की एक प्रणाली विद्यमान है। इसके साथ ही गैर-निष्पादक आस्तियों तथा कमजोर आस्तियों (स्ट्रेस) की समीक्षा मासिक आधार पर अलग से गठित समिति द्वारा की जाती है। सभी एकबारीय निपटान (ओ टी एस) प्रस्तावों की जाँच करने तथा इन्हें आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अंतरित करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विधि तथा बैंकिंग के क्षेत्रों में गहन अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से युक्त एक स्वतंत्र जाँच समिति गठित है। यह समिति निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

III. नई पहलें

अदिस अबाबा में पूर्व अफ्रीकी प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

बैंक ने वर्ष के दौरान पूर्वी अफ्रीका के अदिस अबाबा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला। यह कार्यालय बैंक का विदेशों में सातवां तथा अफ्रीका में तीसरा प्रतिनिधि कार्यालय है। अदिस अबाबा में प्रतिनिधि कार्यालय भारत तथा पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देगा तथा अन्य व्यापार संवर्द्धन से संबंधित कार्यवाईयों के प्रति उत्तरदायित्व निभायेगा। यह कार्यालय बुरून्दी, जिबूती, इरीट्रिया, इथियोपिया, केन्या, रवांडा, सोमालिया, सूडान, तंजानिया तथा युगांडा जैसे देशों को सेवाएं प्रदान करेगा। इस कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन श्री आर. गोपालन, तत्कालीन सचिव (वित्तीय सेवाएं), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर

श्री आर. गोपालन , तत्कालीन सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ने आदिस अबाबा इथियोपिया में बैंक के पूर्व अफ्रीकी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया।

इथियोपिया सरकार के वित्त तथा आर्थिक विकास राज्यमंत्री, श्री अहमद शिदे; इथियोपिया सरकार के विदेश राज्यमंत्री, श्री टेकेडा एलेमु तथा इथियोपिया में भारत के राजदूत श्री भगवंत सिंह बिश्नोई उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री आर. गोपालन द्वारा एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन ''कोमेसा (पूर्व तथा दक्षिण अफ्रीका के लिए सामान्य बाजार) : भारत के व्यापार एवं निवेश संभाव्यता पर अध्ययन'' का विमोचन भी किया गया।

लंदन शाखा द्वारा कारोबार का प्रारंभ

एक्ज़िम बैंक की लंदन शाखा ने अपना व्यावसायिक परिचालन प्रारम्भ कर दिया है। लंदन में वर्ष 2005 से ही बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय कार्य कर रहा था। वित्तीय सेवा प्राधिकारी, यू के से अनुमति मिलने के बाद बैंक ने अपने लंदन कार्यालय को अब पूर्ण बैंकिंग शाखा के रूप में परिवर्तित कर दिया है जिसकी घोषणा लंदन में आयोजित एक समारोह के दौरान की गई। इस अवसर पर यू के में भारतीय राजदूत श्री नलिन सूरी, यू के के वाणिज्य सचिव लॉर्ड ससून उपस्थित थे। यह शाखा भारत के विदेशी व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने के लिए निर्यात ऋण तथा विदेशी निवेश वित्त प्रदान करेगी तथा ऋण निर्गमों के जरिए संसाधन भी जुटाएगी।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के अंतर्गत क्रेता ऋण

भारतीय परियोजना निर्यातों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक ने भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के साथ मिलकर भारत सरकार के 'राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते' के अंतर्गत एक नए क्रेता ऋण उत्पाद का प्रारंभ किया है। संप्रभु सरकारें तथा सरकारी स्वामित्व की विदेशी कंपनियाँ इस क्रेता ऋण सुविधा के अंतर्गत आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से परियोजना आयातों के लिए वित्तपोषण प्राप्त कर सकती हैं।

लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कार्यक्रम

बैंक ने कॉमनवेल्थ सचिवालय द्वारा चलाए जा रहे 11वें कॉमनवेल्थ-इंडिया स्मॉल बिजनेस कॉम्पीटिटीवनेस डेवेलपमेंट प्रोग्राम, के आयोजन में सहभागिता की। यह कार्यक्रम चंडीगढ़ में 13-19 फरवरी, 2011 के दौरान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन की थीम थी - 'उद्यमिता विकास : वित्तपोषण का मूल्य एवं युवा उद्यमी'। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल श्री शिवराज पाटील तथा कॉमनवेल्थ सचिवालय के महासचिव श्री कमलेश शर्मा द्वारा एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन ''भारत में नव अक्षय ऊर्जा : संभाव्यता का दोहन'' का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रकुल के सदस्य देशों में नीति निर्माताओं को लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी

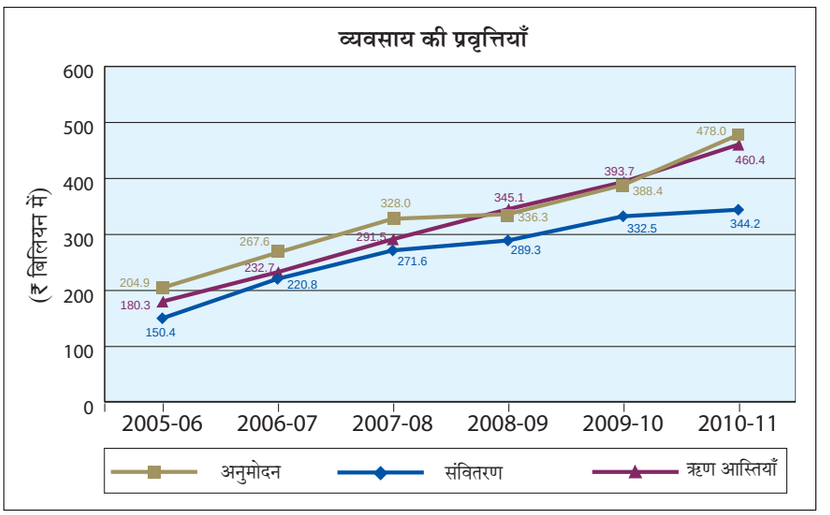

एक्ज़िम बैंक ने उड़ीसा के अंचलिका अगरबत्ती फेडरेशन की प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण के जरिए उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है।

रणनीतियाँ एवं कार्यनीतियाँ प्रदान कर आर्थिक विकास (वर्द्धित रोजगार, निवेश, व्यापार तथा आर्थिक क्रियाकलाप) का संवर्द्धन करने वाली क्षमता विकास पहलों को कार्यान्वित करना तथा संस्थागत क्षमता का निर्माण एवं विकास करना है।

विदेशी मुद्रा संसाधन

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने विदेशी मुद्रा संसाधनों को जुटाने के लिए रेग एस बांडों तथा निजी निवेश व्यवस्थापकों के अतिरिक्त जापानी, स्विस तथा ताइवानी बाजारों से भी संसाधन जुटाए। बैंक ने 20 बिलियन जापानी येन (242 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य) के 10 वर्षीय समुराई बांड जारी किए। यह बांड जेबिक गारंटी एंड एक्विजिशन टुवार्ड टोक्यो मार्केट एन्हांसमेंट प्रोग्राम (जी ए टी ई) तथा मार्केट एक्सेस सपोर्ट फैसिलिटी (एम ए एस एफ) प्रोग्राम के अंतर्गत जारी किए गए। इस प्रकार एक्ज़िम बैंक जेबिक के इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्गम जारी करने वाली पहली संप्रभु तथा चौथी एजेंसी बन गई है। बैंक ने स्विस बाजार में भी पहली बार प्रवेश किया है तथा 175 मिलियन सी एच एफ (190 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य) के बांड जारी किए जिन्हें 6 स्विस एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है। बैंक ने 9 बैंकों के साथ मिलकर, जिनमें से अधिकांशत: ताइवान से हैं, सिंडीकेशन ऋण के जरिए भी 150 मिलियन यू एस डॉलर के संसाधन भी जुटाए। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने विभिन्न लिखतों, विभिन्न प्रकार के निवेशकों तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से 1.38 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के मध्य एवं दीर्घावधि तथा 1.19 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के अल्पावधि विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए।

ग्रामीण ग्रासरूट व्यावसायिक पहलें

अपने ग्रासरूट पहल एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ग्रामीण उद्योगों के वैश्वीकरण को सहयोग प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने उड़ीसा ग्रामीण विकास एवं विपणन सोसायटी (ओरमास) के जरिए अंचलिका अगरबत्ती फेडरेशन की सहायता की है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण के जरिए उनकी उत्पादकता बढ़ाना है। उड़ीसा ग्रामीण विकास एवं विपणन सोसायटी, पंचायती राज विभाग, उड़ीसा सरकार के अंतर्गत एक स्वायतशासी संस्था है जिसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों तथा उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उनके उत्पादों के विपणन का संवर्द्धन करना है। गरीबों की सहायता, उनके उत्थान तथा प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादकता बढ़ाने संबंधी विद्यमान मॉडल को संपोषणीय बनाने के लिए एक्ज़िम बैंक ने ओरमास की एक परियोजना के लिए भी सहायता प्रदान की है। यंत्रीकरण के जरिए उत्पादकता बढ़ाने संबंधी बैंक की इस पहल का उद्देश्य प्रति एस एच जी सदस्य उत्पादकता को तिगुना करते हुए अगरबत्ती रोलिंग कार्य को आकर्षक बनाना है ताकि इसे ग्रामीणों द्वारा अतिरिक्त आय जुटाने के साधन के बजाए आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में अपनाया जा सके।

बैंक ने त्रिपुरा बैम्बू मिशन (टी वी एम) के माध्यम से अगरतला स्थित एक गैर-सरकारी संगठन ''सोसायटी फॉर हैंडीक्राफ्ट एण्ड लिटरेरी प्रमोशन इनीशिएटिव (शिल्पी)'' की भी सहायता की है। इसका उद्देश्य भी यंत्रीकरण के जरिए अगरबत्ती रोलिंग कार्य की उत्पादकता बढ़ाना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक द्वारा अगरबत्तियों की रोलिंग तथा गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्य का यंत्रीकरण चुनिंदा जिलों में परीक्षण आधार पर किया जा रहा है तथा इसके लागू होने के बाद न केवल त्रिपुरा बल्कि देश के चुनिंदा राज्यों में अगरबत्ती रोलिंग कार्य की सामाजिक-आर्थिक व्यवहार्यता में आमूल-चूल परिवर्तन आ जाएगा।

बांस शिल्पकारी के संवर्द्धन में संलग्न एक अन्य गैर-सरकारी संगठन "उरावु", जो वायनाड, केरल में ग्रामीण गरीबों को आजीविका चलाने में मदद करता है, के उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक ने मुंबई में एक रिटेल विलेज स्टोर के साथ गठबंधन करने में मदद की है।

IV. वित्तीय निष्पादन

संसाधन

वर्ष के दौरान बैंक को भारत सरकार से ₹ 3 बिलियन की पूंजी प्राप्त हुई। यथा 31 मार्च, 2011 को ₹ 20 बिलियन की चुकता पूँजी तथा ₹ 32.30 बिलियन की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन ₹ 524.22 बिलियन रहे। एक्ज़िम बैंक के संसाधन आधार में बाँड, जमा प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक-पत्र, सावधि जमा राशियाँ, आवधिक ऋण और विदेशी मुद्रा जमा राशियाँ / उधार राशियाँ तथा दीर्घावधि स्वैप आदि शामिल हैं। बैंक के घरेलू ऋण लिखतों को रेटिंग एजेंसियों यथा क्रिसिल तथा इक्रा द्वारा 'ए ए ए'की उच्च रेटिंग प्रदान की जाती रही है। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल ₹ 260.95 बिलियन की विभिन्न परिपक्वता अवधियों की उधार राशियाँ जुटायीं, जिनमें ₹ 126.69 बिलियन के रुपया संसाधन और 3.01 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं। जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में द्विपक्षीय / क्लब सामूहिक ऋणों के जरिए 2.57 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ तथा स्वैप्स की खरीद-बिक्री / ऑनशोर जमा राशियों के जरिए 0.44 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ थीं। यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा संसाधन राशियाँ 5.42 बिलियन यू एस डॉलर की थीं तथा बाँडों / वाणिज्यिक-पत्रों सहित बकाया रुपया उधार राशियाँ ₹ 249.17 बिलियन की रहीं। यथा 31 मार्च, 2011 को बाज़ार से जुटाई गई उधारियां बैंक की कुल उधार राशियों का 99 प्रतिशत तथा कुल संसाधनों का 89 प्रतिशत थीं।

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग

यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक को मूडीज ने बी ए ए^3 (स्थिर) रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बी बी बी$^-$ (स्थिर) तथा फिच ने बी बी बी$^-$ (स्थिर) रेटिंग तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जे सी आर ए) द्वारा बी बी बी$^+$ (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक को निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग प्रदान की गई है जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की रेटिंग है।

आय / व्यय

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक का कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: ₹ 8.68 बिलियन और ₹ 5.84 बिलियन रहा, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: ₹ 7.72 बिलियन और ₹ 5.13 बिलियन थे। कारोबारी आय में ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, दलाली और शुल्क से युक्त कारोबार आय वर्ष 2009-10 के ₹ 22.22 बिलियन की तुलना में वर्ष 2010-11 में ₹ 27.17 बिलियन रही। निवेश आय, बैंक जमा राशियों आदि पर ब्याज आय 2009-10 के ₹ 7.66 बिलियन की तुलना में वर्ष 2010-11 में ₹ 8.33 बिलियन रही। वर्ष 2010-11 में ब्याज व्यय, उधारियों के बढ़ने के कारण 2.57 बिलियन से बढ़कर ₹ 23.51 बिलियन था। प्रशासनिक खर्च (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधानों को छोड़कर) 2009-10 के 2.57 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 के दौरान कुल व्यय का 2.79 प्रतिशत रहा। उधार राशियों की औसत लागत (औसत उधार राशियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज व्यय) वित्तीय वर्ष 2009-10 में 5.39 प्रतिशत वार्षिक से घटकर 2010-11 में 5.36 प्रतिशत वार्षिक हो गयी। जिसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा उधारियों पर लाइबोर ब्याज दर में आई कमी था।

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सी आर ए आर) 31 मार्च, 2010 के 18.99 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2011 को 17.04 प्रतिशत रहा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत की तुलना में है। यथा 31 मार्च, 2011 को ऋण-ईक्विटी अनुपात 8.92:1 रहा जबकि 31 मार्च, 2010 को यह 8.82:1 था।

एक्ज़िम बैंक की लंदन शाखा का उद्घाटन यू के में भारतीय उच्चायुक्त श्री नलिन सूरी तथा यू के सरकार के वाणिज्य सचिव लॉर्ड ससून की उपस्थिति में किया गया।

ऋण (एक्सपोजर) मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 31 मार्च, 2002 से एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों का 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं के लिए 40 प्रतिशत की अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित की है। बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष मामलों में पाँच प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण सहायता (अर्थात् एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों के 20 प्रतिशत और उधारकर्ता समूह के लिए पूँजी निधियों के 45 प्रतिशत तक कुल ऋण सहायता) दी जा सकती है। वैयक्तिक उधारकर्ताओं तथा उधारकर्ता समूहों के अधिकतम ऋण सहायता सीमा को क्रमश: अतिरिक्त 5 प्रतिशत बिंदु (अर्थात् कुल पूँजी निधियों का 5 प्रतिशत) और 10 प्रतिशत बिंदु (अर्थात् कुल पूँजी निधियों का 10 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है (क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत अधिकतम सीमाओं के अतिरिक्त), बशर्ते कि अतिरिक्त ऋण सहायता बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हो। यथा 31मार्च, 2011 को एकल तथा समूह उधारकर्ताओं को बैंक की वित्तीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत सीमा के भीतर थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को ऋण सहायता के लिए अपनी आंतरिक सीमाएं अपनाएं ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का समान रूप से फैलाव हो। बैंक ने प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण सहायता सीमा कुल ऋण संविभाग का 15 प्रतिशत निर्धारित किया है। यथा 31 मार्च, 2011 को किसी भी एकल उद्योग को बैंक की कुल ऋण सहायता 11.78 प्रतिशत से अधिक नहीं थी।

एक्ज़िम बैंक ने पहली बार स्विस बाजार में प्रवेश किया तथा 175 मिलियन सीएचएफ के बॉण्ड जारी किए, जिन्हें 6 स्विस एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है।

राजकोष

बैंक की एकीकृत ट्रेजरी निधियों के निवेश, मुद्रा बाजार परिचालनों तथा प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री सहित निधि प्रबंधन कार्य देखती है। बैंक ने फ्रंट /मिडल / बैक ऑफिस कार्यों को अलग किया है और एक आधुनिकतम डीलिंग रूम स्थापित किया है। बैंक की ट्रेजरी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों में विदेशी मुद्रा सौदे, निर्यात दस्तावेज़ों की वसूली / परक्रामण, अंतरदेशीय / विदेशी साख-पत्र / गारंटियाँ जारी करना तथा संरचित ऋण आदि शामिल हैं। बैंक अपने बाजार जोखिमों को कम करने तथा न्यून लागत पर निधियाँ जुटाने के लिए वित्तीय व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) संव्यवहारों का भी उपयोग करता है। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफिनेट) का एक सदस्य है और इसे प्रमाणन प्राधिकारी, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) से पंजीकरण प्राधिकारी की हैसियत प्राप्त है। बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक की तयशुदा लेन-देन प्रणाली- आदेश मिलान खंड (एन डी एस-ओ एम) के माध्यम से सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त है, जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का एक मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूतियाँ तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन मुख्यत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सी सी आई एल) द्वारा प्रदान की गई गारंटित निपटान सुविधा के जरिए किये जाते हैं। बैंक संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधित दायित्व खंड (सीबीएलओ) का भी एक सक्रिय सदस्य है। बैंक क्लियर कॉर्प ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस), जो सी सी आई एल का रेपो डीलिंग सिस्टम है, का भी सदस्य है। सी सी आई एल द्वारा लांच किया गया 'सी आर ओ एम एस' एक स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग इनेबल्ड प्लेटफार्म है जिसे सभी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों के रेपो बाजार में T+0 / T+1 आधार पर डील करने के लिए प्रारंभ किया गया है। सी सी आई एल सभी प्रकार के सी आर ओ एम एस व्यापार के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्षी की भांति कार्य करता है तथा सभी निस्तारणों को सीसीआईएल द्वारा गारंटी देता है। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने केन्द्रीकृत स्विफ्ट सुविधा (लंदन शाखा के साथ कनेक्टिविटी के साथ) कार्यान्वित की है। इसके लिए बैंक ने स्विफ्ट को 'स्विफ्ट अलाएंस एंट्री एप्लीकेशन' से स्विफ्ट अलाएंस एक्सेस एप्लीकेशन में अंतरित किया है जो 'मल्टिपल बैंक आइडेंटिफायर कोड्स' को संभालने में सक्षम है।

आस्ति-देयता प्रबंधन (ए एल एम)

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस के सहयोग से बाजार जोखिमों की निगरानी तथा प्रबंधन करती है तथा बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक आस्ति देयता प्रबंधन / नकदी नीतियों के अनुसार नकदी / ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है। एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक / बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक नकदी तथा ब्याज दर संवेदनशीलता की स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और ड्यूरेशन गैप एनालिसिस का प्रयोग करते हुए ब्याज दर, घट-बढ़ की तुलना में (क) निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता और (ख) आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता के आंकलन के माध्यम से आंकी गई ब्याज दर जोखिम की मात्रा के आधार पर कार्रवाई करना शामिल है। जोखिम पर मूल्य की गणना भारत सरकार की प्रतिभूतियों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए रोकी गई पोर्टफोलियो के लिए की गई है। निधि प्रबंध समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमोदित संसाधन योजना के अनुसार निवेशों / विनिवेशों और उधार राशियाँ / संसाधन जुटाने से संबंधित निर्णय लेती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति तथा प्रबंधन समिति द्वारा निधि प्रबंधन समिति (एफ एम सी) तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) के कार्यों की समीक्षा की जाती है।

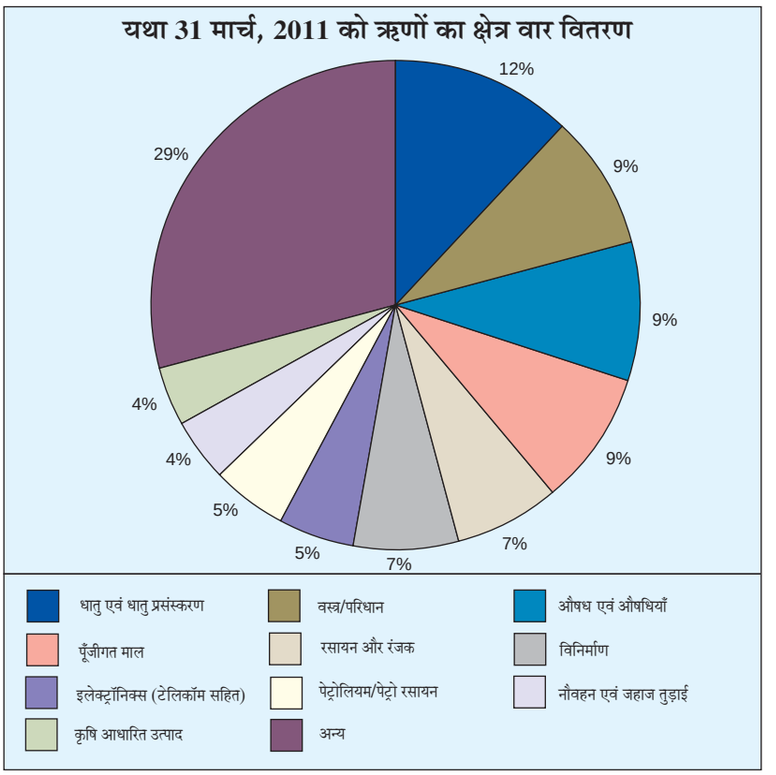

जोखिम प्रबंधन

बैंक में एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति (आई आर एम सी) गठित है जो परिचालन समूहों से स्वतंत्र है और यह सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिमों (संविभाग, नकदी, ब्याज दर, तुलन- पत्र से इतर और परिचालन जोखिम), निवेश नीतियों तथा उनसे संबंधित विनियामक एवं अनुपालन मुद्दों के बारे में बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को), निधि प्रबंधन समिति (एफ एम सी) तथा ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के परिचालनों की देख-रेख करती है, जिनमें से सभी में परस्पर कार्यात्मक प्रतिनिधित्व होते हैं। जहाँ आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक में आस्ति-देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को देखती है और बैंक के समग्र बाज़ार जोखिम (चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है वहीं ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), ऋण-नीति और प्रक्रियाओं की देख-रेख और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिमों का विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है। सभी ऋण-प्रस्ताव स्वतंत्र रूप से बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के पास जाते हैं जो उनके जोखिमों का विश्लेषण कर अनुमोदनकर्ता अधिकारियों को अपनी राय देता है। बैंक के पास आस्ति गुणवत्ता और ऋण समीक्षा में सुधार के लिए उन्नत ऋण जोखिम प्रबंधन मॉडल (सी आर एम) है जिससे (गुणवत्ता तथा मात्रात्मक पैरामीटरों / उपायों की व्यापक श्रेणी के जरिए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन निर्णय लेने तथा उत्कृष्ट पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमता में मदद मिलती है। व्यवसाय निरंतरता तथा आकस्मिकता प्रबंधन के लिए बैंक अपने प्रत्येक कार्यालय की समेकित वार्षिक समीक्षा करता है। प्रत्येक

कार्यक्रम व्यवसाय निरंतरता तथा जोखिमों के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से उसकी पूर्णता के लिए समीक्षा की जाती है।

डॉमनिकन रिपब्लिक के प्रतिनिधियों ने एक्ज़िम बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डॉमनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति डॉ. लियोनेल फर्नांडिस रेयना कर रहे थे।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस ऋण / कर्ज़ सुविधा को गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है। बैंक की सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ ₹ 4.78 बिलियन रही हैं, जो बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 1.04 प्रतिशत है। यथा 31मार्च, 2011 को बैंक की निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ ₹ 0.93 बिलियन (प्रावधान घटाकर) रहीं जो इसके ऋण तथा अग्रिमों (प्रावधान घटाकर) का 0.20 प्रतिशत हैं।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियाँ' वे आस्तियाँ होती हैं जिनके ब्याज और / अथवा जिनके मूलधन की किस्तें 90 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं। जहाँ अवमानक आस्तियाँ 12 माह से अधिक अवधि तक गैर-निष्पादक संपत्ति के रूप में बनी रहती हैं, ऐसी आस्तियों को 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियाँ' वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी जातीं। यथा 31 मार्च, 2011 को 1.04 प्रतिशत की सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 0.43 प्रतिशत, संदिग्ध आस्तियाँ 0.53 प्रतिशत जबकि हानि आस्तियाँ 0.08 प्रतिशत रहीं। यथा 31 मार्च, 2011 को निवल ऋणों तथा अग्रिमों के 0.20 प्रतिशत के स्तर पर निवल गैर-निष्पादित आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 0.20 प्रतिशत रहीं जबकि संदिग्ध आस्तियों तथा हानि आस्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

कार्पोरेट अभिशासन

एक्ज़िम बैंक संप्रेषण के संबंध में पूरी पारदर्शिता तथा ईमानदारी बरतता है और सभी संबंधितों को पूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना प्रदान करना सुनिश्चित करता है। बैंक कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित उत्कृष्ट व्यवहारों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए सदैव तत्पर रहता है। इस हेतु रणनीतिक नियंत्रण के लिए बैंक ने एक व्यवस्था विकसित की है तथा इसकी उपादेयता की निरंतर समीक्षा करता रहता है। व्यवसाय/वित्तीय निष्पादन से संबंधित मामलें, विश्लेषण आंकड़े / सूचना आदि को निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति को समीक्षा के लिए आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है तथा एक वरिष्ठ अधिकारी को सभी संविधियों, विनियमों तथा अन्य प्रक्रियाओं, भारत सरकार / रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियमों के अनुपालन के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में उत्तरदायी बनाया गया है जो किसी भी प्रकार के विचलन को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है। बैंक के निदेशक मंडल की (वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान) पाँच बैठकें तथा प्रबंधन समिति की नौ बैठकें आयोजित की गईं।

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों की देख-रेख करना तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो और वह सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे। इस लेखा परीक्षा समिति की एक वर्ष में कम-से-कम छह बैठकें होती हैं। लेखा परीक्षा समिति निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरणों की जांच करती है। इसके साथ ही लेखा परीक्षा समिति आवधिक आधार पर बैंक की निधि प्रबंधन समिति तथा आस्ति-देयता समिति

की भी समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें हुईं।

बैंक के के वाई सी, ए एम एल एवं पी एम एल उपाय

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धनशोधन निरोधी (एएमएल) तथा धनशोधन निषेध (पीएमएल) नीतियाँ अपनाई हैं। केवाईसी, एएमएल तथा पीएमएल नीतियों में (क) ग्राहक स्वीकार्यता नीति (ख) ग्राहक पहचान प्रक्रिया (ग) संव्यवहारों की निगरानी (घ) जोखिम प्रबंधन (ङ) विद्यमान ग्राहकों के लिए के वाई सी मानदंड आदि शामिल हैं। इस संबंध में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अद्यतन परिपत्र / चेतावनी सूची एफई. सीओ. ट्रेड (ईएक्सडी) 19116/05.63.001/2010-11 दिनांकित 11 फरवरी, 2011 को अनुपालन हेतु संदर्भित करता है तथा यह सूची बैंक के इंट्रानेट पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही बैंक ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स लि. जो कि यू.के. में पंजीकृत एवं विनियमित एक कंपनी है के, ऑनलाइन डेटाबेस 'वर्ल्ड-चेक' का भी उपयोग करता है। यह डेटाबेस 240 से अधिक देशों में उच्च जोखिमों तथा जोखिम संभाव्यता वाले व्यक्तियों/संस्थाओं तथा उनसे संबंधित लोगों/संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बैंक के सभी ग्राहकों को न्यूनतम के वाई सी मानकों की अपेक्षाओं के अधीन लाया जाता है जो स्वाभाविक / अधिकृत कंपनियों तथा उनसे जुड़ी कंपनियों, व्यक्ति तथा लाभकर्ता / स्वामित्व की पहचान स्थापित करते हैं। के वाई सी नीतियां तथा प्रक्रियाएं सावधि जमा खाता धारकों, प्रतिनिधि बैंकों, नए स्टाफ की भर्ती तथा ट्रेजरी संव्यवहारों से संबंधित प्रतिपक्षी पार्टियों पर भी लागू की जाती हैं। के वाई सी मानदंडों के अनुपालन के संबंध में बैंक एक प्रश्नावली के माध्यम से अन्य बैंकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। एक्ज़िम बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं तथा तरीकों के अनुसार कतिपय संव्यवहारों के बारे में रिकार्ड/सूचना भी रखता है तथा यह रिकार्ड, संव्यवहार की तारीख से दस वर्षों तक सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक ने के वाई सी, ए एम एल तथा पी एम एल के उपायों के अनुपालन के लिए एक मुख्य अधिकारी भी नियुक्त किया है। के वाई सी तथा ए एम एल नीति को बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

ऋणदाताओं के लिए उचित प्रचलन संहिता

बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋणदाताओं के लिए उचित प्रचलन संहिता विद्यमान है जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। इस नीति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जाती है।

V. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ

बैंक सूचना, सलाहकारी और सहायता की ऐसी सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है जो उसके वित्तपोषण कार्यक्रमों को संपूर्ण बनाती हैं। ये सेवाएं भारतीय कंपनियों और समुद्रपारीय संस्थाओं को शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं के दायरे में बाज़ारों से संबंधित सूचना, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में संयुक्त उद्यमों का विकास शामिल हैं।

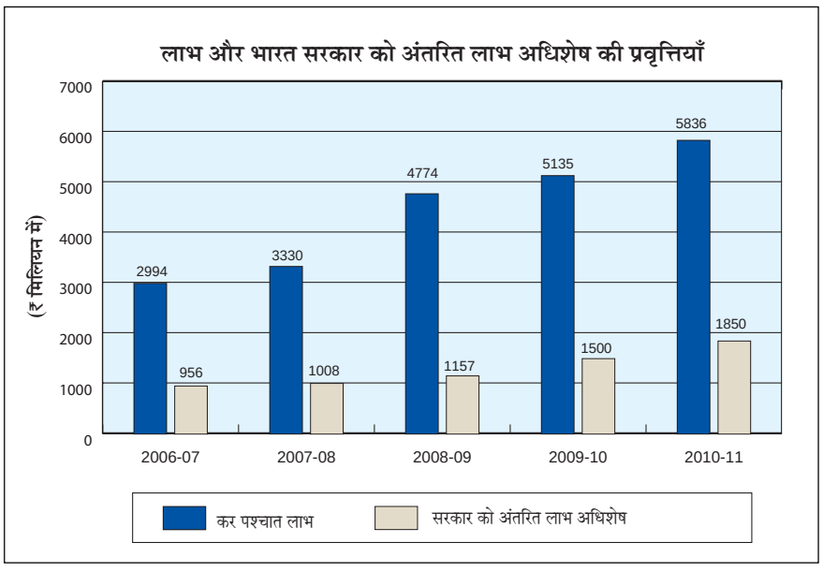

समुद्रपारीय बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएं

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं का व्यवसाय प्राप्त करने की भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए बैंक इन कंपनियों को सूचना और सहायता सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों यथा ऊर्जा, परिवहन, निर्माण, दूरसंचार, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी आदि पर भारतीय निर्यातक

कंपनियों को समुद्रपारीय व्यवसाय के अनेक अवसरों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया है।

एक्ज़िम बैंक एक परामर्शदाता के रूप में

विकासशील देश के संदर्भ में एक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को सहायता देने वाली एक संस्था के रूप में बैंक का अनुभव अन्य विकासशील देशों में विशेष रूप से प्रासंगिक है। बैंक परामर्शी सेवाओं के जरिए अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करता रहा है। इसके साथ ही बैंक अपने संस्थागत सहभागियों के कर्मचारियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस हेतु ऑन-साईट एक्सचेंज ऑफ पर्सनल कार्यक्रमों के जरिए अनुभव तथा कौशल का आदान-प्रदान किया जाता है।

निर्यात विपणन सेवाएं

वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी निर्यात विपणन सेवाओं के जरिए कई भारतीय कंपनियों को विदेशों में उनके उत्पादों को प्रतिष्ठित करने और नये बाजारों में प्रवेश करने में सहायता प्रदान की जिसके अंतर्गत कंपनियों को भावी व्यावसायिक साझेदार की पहचान से लेकर अंतिम ऑर्डर देने के कार्य को सुगम बनाने तक मार्गदर्शन दिया गया। बैंक भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में अधिग्रहण / संयुक्त उद्यम / वितरण शृंखला तथा परामर्शी सेवाओं संबंधी अवसरों की भी पहचान करता है।

एक्ज़िम बैंक ने आई एल एंड एफ एस क्लस्टर डेवेलपमेंट इनिशिएटिव लिमिटेड के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्लस्टर परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराना है।

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र

वर्ष के दौरान बैंक के एक्ज़िमिअस केंद्र (ई सी) द्वारा भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाज़ार की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए विभिन्न विषयों पर 30 कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक्ज़िमिअस केन्द्र ने भारतीय निर्यातक संघ (एफ आई ई ओ) तथा वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के अंतर्गत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में 8 सेमिनार आयोजित किए।

लघु एवं मध्यम उद्यमों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक्ज़िमिअस केन्द्र ने अगरतला तथा शिलांग में निर्यात प्रक्रिया तथा दस्तावेजीकरण पर सेमिनार, कानपुर में क्लस्टर निर्माण तथा वित्तपोषण पर सेमिनार, गुड़गांव, रायपुर तथा इंदौर में लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए संस्थागत पहलों पर सेमिनारों की एक शृंखला का आयोजन भी किया। एक्ज़िमिअस केन्द्र द्वारा देश एवं क्षेत्र विशिष्ट सेमिनार भी आयोजित किए गए इनमें 'फोकस अफ्रीका' तथा 'राउंड टेबल ऑफ फार्मा इंडस्ट्री-इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड में अवसर' विषय पर बैंगलोर, दिल्ली तथा हैदराबाद में सेमिनार आयोजित किए गए। इसके साथ ही कंपनी मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के बैंगलोर चेप्टर द्वारा 'कार्पोरेट कंप्लाइंस मैनेजमेंट एंड लिमिटेड लायबिलिटी' विषय पर सेमिनार बैंगलोर में आयोजित किया गया।

कर्नाटक के निर्यातकों को इनकोटर्म्स 2010 के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए फिओ (एफआईईओ) तथा फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफ के सी सी आई) के साथ मिलकर केन्द्र ने इनकोटर्म्स 2010 पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एन आई एम एस एम ई), हैदराबाद के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए बैंगलोर में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया।

VI. संस्थागत संबद्धताएँ

बैंक ने व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु एक समर्थकारी वातावरण सृजित करने में सहायता के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्द्धन निकायों तथा निवेश संवर्द्धन बोर्डों के साथ गठबंधन तथा संस्थागत संबंधों का एक नेटवर्क विकसित किया है। इसी दिशा में बैंक ने एस आई डी बाँका, स्लोवेनिया के साथ एक सहयोग ज्ञापन

करार किया है। इस सहमति ज्ञापन के अंतर्गत दोनों देशों के लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए व्यवसाय एवं निवेश अवसरों पर सूचना एवं प्रकाशनों का आदान-प्रदान तथा कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं संगोष्ठियों के आयोजन जैसी संवर्द्धक गतिविधियाँ शामिल हैं। इस सहयोग ज्ञापन से दोनों संस्थाओं के बीच विद्यमान सहयोग संबंधों को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

बैंक ने कोरिया व्यापार- निवेश संवर्द्धन एजेंसी (कोटरा) के साथ एक सहयोग ज्ञापन करार किया है। इस सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य समान हितवाले सीमापार संव्यवहारों को सहायता प्रदान करना; दोनों देशों सहित तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों का सुगमीकरण; व्यवसाय अवसरों तथा दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे को सहायता प्रदान करना आदि है।

भारत तथा चीन के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने सहित अन्य देशों में भी दोनों देशों के व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय एक्ज़िम बैंक तथा चाइना डेवेलपमेंट बैंक ने चीन के प्रधानमंत्री श्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। इस सहयोग ज्ञापन में वित्तीय तथा परियोजना सहयोग को बढ़ाने सहित उन परियोजनाओं को विशेष रूप से बढ़ावा देना है जिनकी भारत तथा चीन के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका हो।

ऊरूग्वे के उपराष्ट्रपति श्री डैनिलो एस्टोरी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने एक्ज़िम बैंक के मुंबई कार्यालय का दौरा किया। इस दौरे के दौरान बैंक ने रिपब्लिक बैंक ऑफ ऊरूग्वे (बांको रिपब्लिका) के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों वित्तीय संस्थाओं के बीच इस सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ावा देना है। इस सहयोग ज्ञापन के अंतर्गत दोनों संस्थाएं एक-दूसरे देशों में लघु एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को सहायता प्रदान करेंगी। उरूग्वे जो कि मर्कासुर (ब्राजील, अर्जेंटीना, परॉग्वे तथा उरूग्वे का क्षेत्रीय व्यापार खंड है) का सदस्य है, पूरे लैटिन अमेरिका के लिए प्रवेश द्वार की भांति कार्य कर सकता है। उरूग्वे में भारतीय कंपनियों के लिए औषधि, कृषि व्यवसाय तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों हेतु काफी अच्छी संभावनाएं हैं।

भारत में क्लस्टर वित्तपोषण एवं विकास के लिए अपनी नए पहल के अंतर्गत बैंक ने आई एल एंड एफ एस क्लस्टर डेवेलपमेंट इनिशिएटिव लि. तथा अहमदाबाद स्थित क्लस्टर पल्स के साथ

एक्ज़िम बैंक ने ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ़ ऊरुग्वे के उप राष्ट्रपति श्री डैनिलो एस्टोरी की उपस्थिति में बांको रिपब्लिका के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एक सहयोग करार किया है। इस सहयोग ज्ञापन (एम ओ यू) का उद्देश्य क्लस्टर परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य ऋण सहायता प्रणाली विकसित करते हुए एक क्लस्टर में स्थित एसएमई इकाइयों को व्यक्तिगत बैंकिंग एवं व्यापार वित्त सुविधाएं प्रदान करना है। इस एमओयू के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक जहां उनकी परियोजनाओं को पूर्व निर्धारित योग्यता एवं व्यवहार्यता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगा वहीं आई एल एंड एफ एस क्लस्टर्स परियोजना प्रबंधक की भांति कार्य करेगा। क्लस्टर पल्स के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, बैंक क्लस्टर परियोजनाओं के लिए न केवल व्यवसाय तथा निर्यात विपणन योजनाओं को बढ़ाएगा अपितु ज्ञान संवर्द्धन के लिए कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा। आई एल एंड एफ एस क्लस्टर्स द्वारा क्लस्टर आधारित विकास के लिए टेक्सटाइल, चमड़ा, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों सहित औषधि एवं स्वास्थ्य सेवाएं, हस्तशिल्प क्षेत्र, इंजीनियरी क्षेत्रों सहित विद्यमान क्लस्टरों के लिए औद्योगिक सुविधाओं के उन्नयन तथा साझा बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है।

भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार तथा निवेश बढ़ाने के लिए बैंक ने एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग ज्ञापन पर भारत तथा दक्षिण कोरिया के वित्तमंत्रियों की दूसरी द्विपक्षीय बैठक के अवसर पर नई दिल्ली में वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी तथा दक्षिण कोरिया के रणनीतिक एवं वित्तमंत्री श्री यून जेउंग-ह्युन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग ज्ञापन के अंतर्गत संयुक्त परियोजनाओं के लिए संभाव्य परियोजनाओं को चिन्हित करना

तथा परामर्श देना; निर्यात एवं आयात परिचालनों के वित्तपोषण परियोजना मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण पर परस्पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक दूसरे को अनुभव तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान; एक दूसरे संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों, सम्मेलनों आदि में सहभागिता करना आदि हैं।

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की 16वीं वार्षिक बैठक सितम्बर, 2010 में बुसान, कोरिया में संपन्न हुई। इस फोरम की संकल्पना तथा स्थापना एक्ज़िम बैंक की पहल पर 1996 में की गई थी। वर्ष 2010 की बैठक का मुख्य विषय था ''वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एशियाई एक्ज़िम बैंकों के समक्ष चुनौतियाँ- संपोषी एवं संतुलित वृद्धि का सुगमीकरण।'' इस बैठक में सभी सदस्य संस्थाओं ने वैश्विक वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में उठाए गए कदमों पर चर्चा की तथा अपने अनुभव बांटे। इस बैठक की अध्यक्षता कोरिया निर्यात-आयात बैंक तथा सह-अध्यक्षता थाइलैंड निर्यात-आयात बैंक तथा मलेशिया बरहाद निर्यात-आयात बैंक द्वारा की गई। बैठक में 9 सदस्य संस्थाओं यथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा थाइलैंड से उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, साथ ही बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्था एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) ने स्थायी आमंत्रिती के तौर पर हिस्सा लिया। वार्षिक बैठक में चर्चा किए गए विषयों में एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियाई आर्थिक परिदृश्य; एशियाई एक्ज़िम बैंकों का अनुभव एवं रणनीतियों पर परिचर्चा; तथा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा आदि प्रमुख थे। 16वीं बैठक के अंत में अन्य सदस्य संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय करार करते समय रेसीप्रोकल रिस्क पार्टीसिपेशन एग्रीमेंट को टेंपलेट दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल तथा एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम में नए सदस्यों को शामिल करते / ऑब्जर्बर बनाते समय प्रक्रियाओं के अनुपालन संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए।

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) ने, जिसकी स्थापना अंकटाड के तत्वावधान में जिनेवा में मार्च 2006 में की गई थी, विभिन्न विकासशील देशों के एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के सहयोग से दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा निवेश को बढ़ाने में अच्छा कार्य किया है। इनमें जी-नेक्ज़िड की वेबसाइट (www.gnexid.org) का शुभारंभ तथा वार्षिक बैठकों का आयोजन प्रमुख उपलब्धियां हैं। अंकटाड द्वारा जी-नेक्ज़िड को प्रदान किया गया 'प्रेक्षक' का दर्जा फोरम को इसके सहयोग को दर्शाता है। विकासशील देशों द्वारा फोरम के महत्त्व तथा इसकी लाभप्रदता को स्वीकार किया गया है जो फोरम में सदस्यों की सक्रिय हिस्सेदारी से प्रदर्शित होता है।

व्यवसाय उत्कृष्टता का पुरस्कार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक तथा भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) द्वारा 'सीआईआई-एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार' की स्थापना 1994 में भारतीय कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की सोलहवीं बैठक बुसान, कोरिया में संपन्न हुई। बैठक की थीम थी 'एशियाई एक्ज़िम बैंकों के समक्ष संकट उपरांत चुनौतियाँ : संपोषी एवं संतुलित वृद्धि का सुगमीकरण' । इस बैठक में सभी 9 सदस्य देशों से उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व किया गया।

लिए प्रदान करने हेतु की गई थी। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अवार्ड (ई एफ क्यू एम) मॉडल 2010 पर आधारित है।

वर्ष 2010 में 'सी आई आई-एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार' के विजेता टाटा समूह की टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लि. तथा अवंता समूह की क्रॉम्पटन ग्रीव्स इंडिया लि. रहे। वर्ष 2010 में 29 बड़ी व्यवसाय संस्थाओं तथा उनकी परिचालनरत इकाइयों को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि (9 कंपनियों) तथा उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता (20 कंपनियों) के लिए जूरी द्वारा प्रसंशा की गई। लघु एवं मध्यम उद्यमों की बढ़ती महत्ता को देखते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया को आसान बनाया गया ताकि ये कंपनियां भी इन श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाकर अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें। दो लघु एवं मध्यम (एसएमई) इकाइयों (थिंक सॉफ्ट ग्लोबल सर्विसेज लि. तथा मूलचंद मेडसिटी) की भी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की गई। जूरी ने खाद्य सुरक्षा के लिए परफेटी वैन मेली (इंडिया) प्रा. लि. की भी प्रशंसा की।

सी आई आई-एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार 2010 की विजेता टाटा ग्रुप की कंपनी टिनप्लेट कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

VII. सूचना प्रौद्योगिकी

विभिन्न घटकों के बीच सूचना के बेहतर प्रसार और प्रयोक्ता तथा प्रणाली इंटेलिजेन्स क्षमताओं के सशक्तिकरण के लिए बैंक ने ज्ञान प्रबंधन, संचार उपकरणों के बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंक इन्फिनेट (इंडियन फाइनेंसियल नेटवर्क) का सदस्य है तथा विनियामक एवं औद्योगिकी संस्थाओं जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लि. तथा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन (स्विफ्ट) द्वारा लागू प्रणालियों एवं पद्धतियों में डिजिटल सहभागिता सुनिश्चित करता है।

परिचालन व्यवसाय आसूचना, बैंक व्यापी सिस्टम; प्रलेखन प्रबंधन एवं कार्य प्रवाह; नेटवर्क; ढांचागत सुविधा तथा सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालियों को सक्षम बनाया गया है तथा उनका उन्नयन किया गया है। बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अपने परिचालन एवं प्रक्रियाओं को मजबूत किया है।

बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट (www.eximbankindia.in) बैंक में किए गए विभिन्न शोध कार्य-कलापों, व्यावसायिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अग्रताओं पर सूचना का व्यवस्थित ढंग से प्रचार-प्रसार करती है। इसके अलावा, इस पर बैंक के विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों तथा सूचना एवं सलाहकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

बैंक के कृषि पोर्टल (www.eximbankagro.in) ने संबंधित गतिविधियों पर उत्पाद-वार जानकारी तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा है। बैंक एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम तथा जी-नेक्ज़िड का सदस्य है तथा इन दोनों संगठनों की वेबसाइट का प्रबंधन करता है।

VIII. शोध एवं विश्लेषण

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार (ईडरा) 1989 में बैंक द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत तथा विदेशों में विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार तथा विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार के अंतर्गत दो लाख पचास हजार रुपये की नकद राशि तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2010 का पुरस्कार

डॉ. नारायण चंद्र प्रधान को उनके शोध प्रबंध ''भारतीय अर्थव्यवस्था का खुलापन तथा वृद्धि : एक अनुभवजन्य विश्लेषण'' के लिए प्रदान किया गया। डॉ. प्रधान ने अपना शोध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई से वर्ष 2010 में पूरा किया।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सात शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए। शोध अध्ययनों के शीर्षक इस प्रकार हैं : पूर्व तथा दक्षिण अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा) : भारतीय व्यापार एवं निवेश संभाव्यता का अध्ययन; कैरीबियाई समुदाय (कैरीकॉम) : भारतीय व्यापार एवं निवेश संभाव्यता का अध्ययन; पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र : भारतीय निवेश एवं व्यापार संभाव्यता का अध्ययन; नवाचार, अनुकरण एवं उत्तर-दक्षिण व्यापार : आर्थिक सिद्धांत एवं नीति; भारतीय जहाजरानी उद्योग : विकास का उत्प्रेरक; भारत में नव अक्षय ऊर्जा : संभाव्यता का दोहन; तथा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग : परिदृश्य एवं रणनीतियाँ।

IX. मानव संसाधन प्रबंधन

यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 244 थी, जिसमें ऐसे 200 व्यावसायिक कर्मचारी शामिल हैं जिनके अंतर्गत सनदी लेखाकार, प्रबंधन स्नातक, अर्थशास्त्री, बैंकर, विधि, पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण विशेषज्ञ, इंजीनियर, भाषा विशेषज्ञ, मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ आते हैं। इस 200 सदस्यीय व्यावसायिक दल की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है।

बैंक का उद्देश्य है कि वह एक लर्निंग संस्था बने। इस दिशा में अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर उन्नयन करने के लिए बैंक द्वारा विभिन्न समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही अधिकारियों को विशिष्ट कार्यों को संभालने के लिए उनके विशेषज्ञता क्षेत्र में कौशल उन्नयन हेतु कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान 146 अधिकारियों ने बैंक के परिचालनों से संबद्ध विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में ऋण समीक्षा तथा प्रबंधन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, वसुली, ऋण दस्तावेज प्रलेखन, ट्रेजरी प्रबंधन, डिजिटल लाइब्रेरी प्रबंधन, वित्तीय मॉडलिंग, व्यावसायिक संप्रेषण तथा व्यवसायिक नैतिकता आदि शामिल हैं।

X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने में अपने प्रयासों को जारी रखा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र, प्रेस-विज्ञप्तियाँ, सूचनाएँ एवं रिपोर्टें द्विभाषिक रूप में जारी की गई हैं। राजभाषा नियम 1976 की नियम के 5 अनुपालन में हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया तथा विभिन्न मानदंडों पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना तैयार की गई। प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों के जरिए इसकी प्रगति की तिमाही आधार पर समीक्षा एवं मॉनीटरिंग की गई।

डॉ. देबाशिष मंडल को एक्ज़िम बैंक के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार 2009 का विजेता घोषित किया गया। डॉ. मंडल ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर कौशिक बसु से पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

बैंक के अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित करने के लिए लक्ष्य के अनुसार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। यूनीकोड फॉन्ट सुविधा जो कि प्लेटफार्म फ्री हिन्दी फॉन्ट सुविधा है, को प्रोत्साहित किया गया तथा इसे बैंक के सभी कम्प्यूटरों पर सक्रिय किया गया।

बैंक के अधिकारियों को अपने दैनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना

बैंक में लागू है। कैलेंडर वर्ष 2010 के दौरान अधिकारियों को हिंदी में अधिकतम कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया है।

सरकार के निदेशों के अनुसरण में 1 सितम्बर, 2010 से बैंक में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया; गृहपत्रिका एक्ज़िमिअस को 'राजभाषा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया गया। हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया तथा हिन्दी प्रकाशनों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। पखवाड़े के समापन समारोह अवसर पर प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बैंक की वेबसाइट हिन्दी में उपलब्ध है। बैंक के व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी सूचनाएं एवं समस्त जानकारियाँ व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बैंक के कर्मचारियों के उपयोग संबंधी सहायक एवं संदर्भ साहित्य बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध कराया गया है।

एक्ज़िम बैंक की गृहपत्रिका एक्ज़िमिअस को द्विभाषी गृहपत्रिका श्रेणी के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

बैंक के सभी परिचालनों एवं प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद के अलावा सभी शोध सार एवं चुनिंदा प्रासंगिक आलेख एवं कार्यकारी आलेख हिन्दी में अनुदित किए गए। बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन 'एक्ज़िमिअस: एक्सपोर्ट एडवांटेज़' का हिन्दी रूपांतरण 'एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया। बैंक के एक द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज़' के सभी अंकों को भी हिन्दी में 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया। बैंक की गृहपत्रिका 'एक्ज़िमिअस' में हिन्दी का भी एक खंड है। बैंक के वार्षिक व्याख्यान की पुस्तिका भी हिन्दी में प्रकाशित की गई।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसरण में बैंक के पुस्तकालय को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्तपोषण, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों पर नई पुस्तकों से समृद्ध बनाया गया।

शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की गति में तेज़ी लाने के बैंक के प्रयासों को विभिन्न प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है:

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा), पुणे, महाराष्ट्र ने वर्ष 2009-10 के लिए समस्त वित्तीय संस्थाओं में से एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राजभाषा), मुंबई ने वर्ष 2009-10 के लिए समस्त वित्तीय संस्थाओं में से एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली ने वर्ष 2009-10 के लिए समस्त वित्तीय संस्थाओं में से एक्ज़िम बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया है।

भारतीय रिज़र्व द्वारा बैंक की गृहपत्रिका 'एक्ज़िमिअस' को सभी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं में वर्ष 2009-10 के लिए

सर्वश्रेष्ठ द्विभाषिक गृहपत्रिका के रूप में प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

भोपाल की एक साहित्यिक संस्था श्री दुष्यन्त कुमार पाण्डुलिपि स्मारक संग्रहालय द्वारा बैंक की गृहपत्रिका 'एक्ज़िमिअस' को 'भारतेन्दु पुरस्कार' प्रदान किया गया।

XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक की सेवा में कुल 244 कर्मचारियों में 26 अनुसूचित जाति, 17 अनुसूचित जन-जाति और 22 अन्य पिछड़े वर्गों से हैं। बैंक ने इन स्टाफ़ सदस्यों को कम्प्यूटर और व्यावसायिक संप्रेषण का प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति और जन-जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा है। बैंक ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) यूनिवर्सिटी, उड़ीसा तथा नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एनईआरआईएसटी), अरूणांचल प्रदेश के आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां देना भी प्रारंभ किया है।

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2011 को
एवं
2010-11 का
लाभ और हानि लेखा

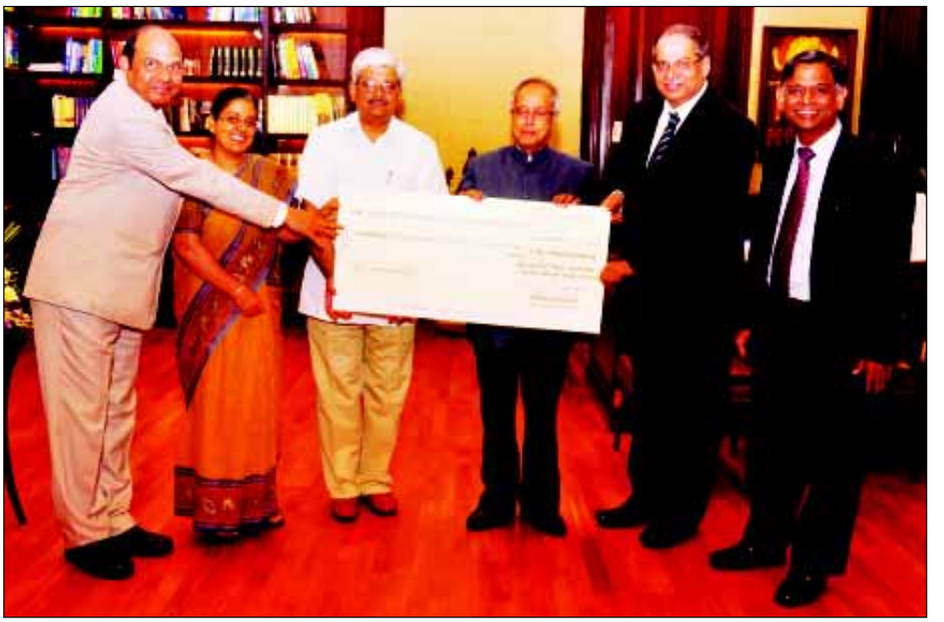

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए बैंक के निवल लाभ अधिशेष ₹ 150 करोड़ का चेक वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को सौंपते हुए।

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2011 को

देयताएँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2011 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2010 को) ₹
1.	पूँजी	I	19,999,918,881	16,999,918,881
2.	आरक्षित निधियाँ	II	32,301,675,061	28,315,629,973
3.	लाभ और हानि लेखा	III	1,850,000,000	1,500,300,000
4.	बाँड एवं डिबेंचर		272,039,838,387	242,893,652,328
5.	देय बिल		–	–
6.	जमा राशियाँ	IV	32,410,009,720	29,382,680,792
7.	उधार राशियाँ	V	167,467,614,510	132,810,931,842
8.	चालू देयताएँ एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		19,188,062,320	16,853,129,434
9.	अन्य देयताएँ		2,250,412,626	1,958,575,967
	योग		**547,507,531,505**	**470,714,819,217**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	30,556,876,000	22,735,865,100
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं, ब्याज दरों की अदला-बदली की बकाया राशियों पर	5,556,188,200	2,620,098,700
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर		
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	62,869,500	61,665,000
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3,124,700,000	3,199,220,000
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	12,362,324,700	8,713,530,600
	योग	**51,662,958,400**	**37,330,379,400**

सामान्य निधि

आस्तियाँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2011 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2010 को) ₹
1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	33,341,610,030	30,753,682,353
2.	निवेश	VII	28,255,648,626	23,610,173,614
3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	447,968,000,400	386,106,824,649
4.	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र	IX	8,590,000,000	4,250,000,000
5.	अचल आस्तियाँ	X	859,904,809	907,639,967
6.	अन्य आस्तियाँ	XI	28,492,367,640	25,086,498,634
	योग		**547,507,531,505**	**470,714,819,217**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।
नोट : जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रभाकर दलाल
कार्यपालक निदेशक

डॉ. कौशिक बसु **श्रीमती श्यामला गोपीनाथ** **श्री आर. एम. मल्ला**
श्री प्रतीप चौधरी **श्री एम. डी. मल्या**
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते उमेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 119250डब्ल्यू

(सी ए यू. एम. जैन)
साझेदार (एम. सं. 70863)

मुंबई
दिनांक : 25 अप्रैल, 2011

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय		इस वर्ष	गत वर्ष
	अनुसूचियाँ	**₹**	**₹**
1. ब्याज		23,247,423,572	20,713,239,772
2. ऋण बीमा , शुल्क एवं प्रभार		262,892,359	231,698,416
3. स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		265,934,886	176,241,091
4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		–	50,000
5. लेखा परीक्षा की फीस		455,000	455,000
6. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमियम		76,115,671	76,314,504
7. संचार विषयक व्यय		20,382,546	20,677,137
8. विधि विषयक व्यय		22,508,615	19,428,376
9. अन्य व्यय	XII	291,095,827	627,018,009
10. मूल्यह्रास		94,741,758	77,643,086
11. ऋण हानियों / निवेशों पर आकस्मिकताओं, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		2,540,561,479	215,910,102
12. आगे ले जाया गया लाभ		8,676,959,184	7,724,024,639
योग		**35,499,070,897**	**29,882,700,132**
आयकर के लिए प्रावधान [इसमें आस्थगित कर सहित जमा राशि ₹ 263,385,905 (गत वर्ष आस्थगित नामे राशि ₹ 188,128,153)]		2,840,914,096	2,589,028,153
तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ		5,836,045,088	5,134,996,486
		8,676,959,184	**7,724,024,639**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

1) हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के संलग्न 31 मार्च, 2011 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ और हानि लेखे एवं समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी ज़िम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

2) हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है, इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें ताकि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

3) हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं;

ख. हमारी राय में तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं;

ग. हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में जैसा बैंक की बहियों में दर्शाया गया है व हमें स्पष्ट किया गया है के अनुसार :

i) उक्त तुलन-पत्र खातों पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक की सामान्य निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

ii) उक्त लाभ एवं हानि खाता, खातों पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त यथा 31 मार्च, 2011 को सही लाभ प्रदर्शित करता है तथा इसे इस तरह से उचित रूप से तैयार किया गया है कि भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

iii) उक्त नकदी प्रवाह विवरण यथा 31 मार्च, 2011 के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करता है।

कृते उमेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 119250डब्ल्यू

(सी ए यू. एम. जैन)
साझेदार
एम. सं. 70863

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 अप्रैल, 2011

सामान्य निधि

आय

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष ₹	गत वर्ष ₹
1.	ब्याज और बट्टा	XIII	33,181,043,739	28,560,765,789
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस		1,360,847,383	639,823,936
3.	अन्य आय	XIV	957,179,775	682,110,407
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि		—	—
	योग		**35,499,070,897**	**29,882,700,132**
	घटाया गया लाभ		8,676,959,184	7,724,024,639
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन		—	—
			8,676,959,184	**7,724,024,639**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रभाकर दलाल
कार्यपालक निदेशक

डॉ. कौशिक बसु **श्रीमती श्यामला गोपीनाथ** **श्री आर. एम. मल्ला**

श्री प्रतीप चौधरी **श्री एम. डी. मल्या**

निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते उमेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 119250डब्ल्यू

(सी ए यू. एम. जैन)
साझेदार (एम. सं. 70863)

मुंबई
दिनांक : 25 अप्रैल, 2011

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
यथा 31 मार्च, 2011 को

		इस वर्ष (यथा 31.03.2011 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2010 को)
		₹	₹
अनुसूची I :	**पूँजी :**		
	1. प्राधिकृत	20,000,000,000	20,000,000,000
	2. निगमित एवं प्रदत्त : (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	19,999,918,881	16,999,918,881
अनुसूची II :	**आरक्षित निधियाँ :**		
	1. आरक्षित निधि	24,697,180,252	21,611,135,164
	2. सामान्य आरक्षित राशियाँ	—	—
	3. अन्य आरक्षित राशियाँ :		
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	1,114,175,745	1,014,175,745
	ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएँ)	1,320,319,064	1,220,319,064
	4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	5,170,000,000	4,470,000,000
		32,301,675,061	**28,315,629,973**
अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा :**		
	1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	5,836,045,088	5,134,996,486
	2. घटाएं : विनियोजन :		
	— आरक्षित निधि को अंतरित	3,086,045,088	2,874,696,486
	— निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	100,000,000	100,000,000
	— ऋण शोधन निधि को अंतरित	100,000,000	100,000,000
	— आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	700,000,000	560,000,000
	3. निवल लाभ का शेष (भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केन्द्र सरकार को अंतरणीय)	**1,850,000,000**	**1,500,300,000**
अनुसूची IV :	**जमा राशियाँ :**		
	(क) भारत में	32,410,009,720	29,382,680,792
	(ख) भारत के बाहर	—	—
		32,410,009,720	**29,382,680,792**

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2011 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2010 को)
		₹	₹
अनुसूची V :	**उधार राशियाँ :**		
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक से :		
	(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	–	–
	(ख) विनिमय बिलों पर	–	–
	(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	–	–
2.	भारत सरकार से	–	13,333,338
3.	अन्य स्रोतों से :		
	(क) भारत में	47,221,088,703	47,499,811,030
	(ख) भारत के बाहर	120,246,525,807	85,297,787,474
		167,467,614,510	**132,810,931,842**
अनुसूची VI :	**नकदी एवं बैंक में शेष :**		
1.	हाथ में नकदी	69,483	49,194
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	1,109,014	1,542,301
3.	अन्य बैंकों में शेष :		
	(क) भारत में		
	i) चालू खातों में	692,413,859	327,305,340
	ii) अन्य जमा खातों में	24,521,000,000	22,075,800,000
	(ख) भारत के बाहर	7,627,521,670	8,249,014,277
4.	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ सी बी एल ओ के अंतर्गत ऋण	499,496,004	99,971,241
		33,341,610,030	**30,753,682,353**
अनुसूची VII:	**निवेश :**		
	(मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)		
1.	केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	12,450,130,445	11,371,159,688
2.	ईक्विटी शेयर और स्टॉक	1,471,297,097	1,380,158,511
3.	अधिमान शेयर एवं स्टॉक	192,047,300	155,065,260
4.	अपरक्राम्य वचन-पत्र, डिबेंचर एवं बाँड	5,453,567,279	5,200,476,271
5.	अन्य	8,688,606,505	5,503,313,884
		28,255,648,626	**23,610,173,614**

		इस वर्ष (यथा 31.03.2011 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2010 को)
		₹	₹
अनुसूची VIII:	**ऋण एवं अग्रिम :**		
	1. विदेशी सरकारें	89,878,862,929	67,367,385,415
	2. बैंक :		
	(क) भारत में	117,579,250,000	123,598,700,000
	(ख) भारत के बाहर	2,151,553,262	2,408,124,950
	3. वित्तीय संस्थाएँ :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	9,400,718,078	6,554,791,264
	4. अन्य	228,957,616,131	186,177,823,020
		447,968,000,400	**386,106,824,649**
अनुसूची IX:	**भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र :**		
	(क) भारत में	8,590,000,000	4,250,000,000
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		8,590,000,000	**4,250,000,000**
अनुसूची X:	**अचल आस्तियाँ :**		
	(लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
	1. परिसर	787,600,665	830,258,870
	2. अन्य	72,304,144	77,381,097
		859,904,809	**907,639,967**
अनुसूची XI:	**अन्य आस्तियाँ :**		
	1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
	(क) निवेशों / बैंक शेष राशियों पर	1,558,885,116	3,771,496,538
	(ख) ऋणों और अग्रिम राशियों पर	2,556,968,926	1,842,437,391
	2. विविध पक्षों के पास जमाराशियाँ	26,612,087	26,080,397
	3. प्रदत्त अग्रिम आयकर	3,585,076,666	2,957,769,715
	4. अन्य (आस्थगित कर आस्तियों सहित सहित ₹ 570,909,771 (गत वर्ष - ₹ 307,523,867)	20,764,824,845	16,488,714,593
		28,492,367,640	**25,086,498,634**

		इस वर्ष (यथा 31.03.2011 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2010 को)
		₹	₹
अनुसूची XII:	**अन्य व्यय :**		
1.	निर्यात संवर्द्धन व्यय	13,814,935	1,545,719
2.	डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	7,601,156	14,668,780
3.	मरम्मत और रख-रखाव	82,346,821	62,306,178
4.	मुद्रण और लेखन सामग्री	8,859,372	13,600,093
5.	अन्य	178,473,543	534,897,239
		291,095,827	**627,018,009**
अनुसूची XIII:	**ब्याज एवं छूट :**		
1.	ऋणों और अग्रिमों / बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	25,963,184,097	21,737,637,895
2.	निवेशों / बैंक शेष राशियों पर आय	7,217,859,642	6,823,127,894
		33,181,043,739	**28,560,765,789**
अनुसूची XIV:	**अन्य आय :**		
1.	निवेशों की बिक्री / पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	943,781,984	669,728,710
2.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	477,278	810,669
3.	अन्य	12,920,513	11,571,028
		957,179,775	**682,110,407**

टिप्पणी : 'देयताओं' [अनुसूची IV(क) देखिए] के अंतर्गत 462.71 मिलियन यू एस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमाराशियाँ (गत वर्ष 365.82 मिलियन यू एस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/ बाँडों के पेटे रखी गई हैं। आस्तियों [अनुसूची सं. VI 3. (क) (ii) देखिए] के अंतर्गत नकदी तथा बैंक जमाओं में ₹ 18.11 बिलियन (गत वर्ष ₹ 13.83 बिलियन) की रुपया जमा शामिल है जो कि स्वैप्स संव्यवहारों के कारण है। आस्तियों के अंतर्गत [अनुसूची सं. VII 4 देखिए] कुल ₹ 2.81 बिलियन (गत वर्ष ₹ 2.95 बिलियन) की बाँड राशि शामिल है जो स्वैप्स के कारण है।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2011 को

देयताएँ		इस वर्ष (यथा 31.03.2011 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2010 को)
		₹	₹
1.	ऋण :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
2.	अनुदान :		
	(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
3.	उपहार, दान, उपकृतियाँ :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
4.	अन्य देयताएँ	103,882,318	94,382,318
5.	लाभ और हानि लेखा	289,536,186	270,567,120
	योग	**521,726,291**	**493,257,225**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	–	–
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	–	–
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	–	–

टिप्पणी : भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्यात विकास निधि की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात-आयात बैंक को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

निर्यात संवर्धन निधि

आस्तियाँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2011 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2010 को)
		₹	₹
1.	बैंक शेष		
	(क) चालू खातों में	242,506	242,506
	(ख) अन्य जमा खातों में	411,092,919	393,554,555
2.	निवेश	–	–
3.	ऋण एवं अग्रिम :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	8,505,318	8,505,318
4.	भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	–	–
5.	अन्य आस्तियाँ		
	(क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
	i) ऋण एवं अग्रिम	–	–
	ii) निवेश / बैंक शेष	6,509,845	4,779,143
	(ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	95,375,703	86,175,703
	(ग) अन्य	–	–
	योग	**521,726,291**	**493,257,225**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रभाकर दलाल
कार्यपालक निदेशक

डॉ. कौशिक बसु
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
श्री आर. एम. मल्ला
श्री प्रतीप चौधरी
श्री एम. डी. मल्या
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते उमेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 119250डब्ल्यू

(सी ए यू. एम. जैन)
साझेदार (एम. सं. 70863)

मुंबई
दिनांक : 25 अप्रैल, 2011

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय		इस वर्ष	गत वर्ष
		₹	₹
1.	ब्याज	–	–
2.	अन्य व्यय	–	–
3.	आगे ले जाया गया लाभ	28,469,066	29,161,827
	योग	**28,469,066**	**29,161,827**
	आयकर के लिए प्रावधान	9,500,000	9,913,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	18,969,066	19,248,827
		28,469,066	**29,161,827**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

1) हमने **भारतीय निर्यात-आयात बैंक** ('बैंक') की **निर्यात संवर्द्धन निधि** के संलग्न यथा 31 मार्च, 2011 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की **निर्यात संवर्द्धन निधि** के लाभ और हानि लेखे (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

2) हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त, लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों का आकलन एवं साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

3) हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

   क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं।

   ख. हमारी राय में तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं।

   ग. हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में, जैसा बैंक की बहियों में दर्शाया गया है व हमें स्पष्ट किया गया है, के अनुसार :

      1) उक्त तुलन-पत्र, खातों पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक की **निर्यात विकास निधि** के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

      2) उक्त लाभ एवं हानि खाता, खातों पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त यथा 31 मार्च 2011 को सही लाभ प्रदर्शित करता है तथा इसे इस तरह से उचित रूप से तैयार किया गया है कि भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

कृते उमेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 119250डब्ल्यू

(सीए यू. एम. जैन)
साझेदार
एम. सं. 70863

स्थान : मुंबई
दिनांक : 25 अप्रैल, 2011

निर्यात संवर्धन निधि

आय	इस वर्ष	गत वर्ष
	₹	₹
1. ब्याज और बट्टा		
(क) ऋण एवं अग्रिम	–	–
(ख) निवेश / बैंक शेष	28,469,066	29,161,827
2. विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	–	–
3. अन्य आय	–	–
4. तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
योग	**28,469,066**	**29,161,827**
लाभ नीचे लाया गया	28,469,066	29,161,827
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
	28,469,066	**29,161,827**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रभाकर दलाल
कार्यपालक निदेशक

डॉ. कौशिक बसु
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
श्री आर. एम. मल्ला
श्री प्रतीप चौधरी
श्री एम. डी. मल्या
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते उमेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 119250डब्ल्यू

(सी ए यू. एम. जैन)
साझेदार (एम. सं. 70863)

मुंबई
दिनांक : 25 अप्रैल, 2011

नकदी प्रवाह विवरणी

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि (₹ मिलियन में)

विवरण	इस वर्ष (यथा 31 मार्च, 2011 को)	गत वर्ष (यथा 31 मार्च, 2010 को)
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	8,677.0	7,724.0
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से (लाभ)/हानि	(0.5)	(0.8)
– निवेशों (निवल) की बिक्री से (लाभ)/हानि	(943.8)	(669.7)
– मूल्यह्रास	94.7	77.6
– बट्टे में डाले गए बांड निर्गमों पर बट्टा/व्यय	204.1	87.6
– निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	–	–
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/ बट्टे खाते डालना	2,540.6	215.9
– अन्य-उल्लेख करें	–	–
	10,572.1	7,434.7
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अन्य आस्तियाँ	10,478.2	(1,897.8)
– चालू देयताएँ	(13,749.3)	(3,230.2)
परिचालनों से नकदी निर्माण	**7,301.0**	**2,306.7**
आय कर/ब्याज कर की अदायगी	(3,052.8)	(2,394.3)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**4,248.2**	**(87.6)**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(46.5)	(100.0)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	(3,701.7)	(1,330.7)
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से जुटायी गयी निवल नकदी	**(3,748.2)**	**(1,430.7)**

सामान्य निधि

राशि (₹ मिलियन में)

	यथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष	यथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– लगायी गयी ईक्विटी पूँजी से	3,000.0	3,000.0
– लिए गए ऋणों (की गयी पुनर्अदायगी की निवल राशि) से	66,789.4	33,064.4
– लिए गए ऋणों, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त पुनर्अदायगी का निवल) से	(66,201.2)	(48,792.4)
– ईक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केंद्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(1,500.3)	(1,157.0)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से जुटाई गई निवल नकदी प्रवाह	**2,087.9**	**(13,884.9)**
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (गिरावट)	**2,587.9**	**(15,403.2)**
प्रारंभिक नकदी एवं नकदी तुल्य	30,753.7	46,156.9
अंतिम नकदी एवं नकदी तुल्य	33,341.6	30,753.7

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रभाकर दलाल
कार्यपालक निदेशक

डॉ. कौशिक बसु
श्री प्रतीप चौधरी
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
श्री एम. डी. मल्या
श्री आर. एम. मल्ला
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते उमेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 119250डब्ल्यू

(सी ए यू. एम. जैन)
साझेदार (एम. सं. 70863)

मुंबई
दिनांक : 25 अप्रैल, 2011

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखों की टिप्पणियाँ

I महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(i) वित्तीय विवरण

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात संवर्द्धन निधि), भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा ये सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के भी समनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस एफ आई डी. सं. सी -18 / 01.02.00/2000-01, दिनांकित 13 अगस्त, 2005 और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात /आंकड़े, 'लेखों की टिप्पणियाँ' के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

(ii) राजस्व निर्धारण

गैर-निष्पादक आस्तियों और 'भार ग्रस्त आस्तियों' पर ब्याज, दंड स्वरूप ब्याज, वचनबद्धता प्रभार जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। गैर-निष्पादक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बाँडों पर दिया जाने वाला बट्टा / मोचन प्रीमियम बाँड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन-पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियाँ शामिल हैं। प्राप्त होने वाले ब्याज को ''अन्य आस्तियों'' में समूहित किया गया है।

खाते की कमज़ोरी और वसूली हेतु संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियाँ, अवमानक, आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश-संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) ''परिपक्वता तक धारित'' (परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियाँ),

(ख) ''क्रय-विक्रय के लिए धारित'' (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए) और

(ग) ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया है:

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

iii) शेयर

iv) डिबेंचर और बाँड

v) सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में निवेश

vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक-पत्र, म्युच्युअल फंड की यूनिटें आदि)

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(v) अचल आस्तियाँ तथा मूल्यह्रास

(क) अचल आस्तियों को संचयी मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वयं के स्वामित्ववाली इमारतों के लिए बीस वर्षों की अवधि में तथा अन्य आस्तियों के लिए चार वर्षों की अवधि में किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहाँ किसी अवक्षयी आस्ति को निपटा दिया गया है, त्याग दिया गया है, गिरा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दर पर नियत किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है, तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

(vii) गारंटियाँ

ई सी जी सी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(viii) कर्मचारियों के सेवांत लाभ हेतु प्रावधान

बैंक ने पृथक रूप से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि की स्थापना की है, जिन्हें आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त है। उपदान और पेंशन संबंधी देयताओं का अनुमान बीमांकिक आधार पर लगाया गया है और देय राशियाँ, यदि कोई हैं, का अंतरण प्रत्येक वर्ष उपदान निधि और पेंशन निधि में कर दिया जाता है। छुट्टी के नकदीकरण के प्रति देयता के लिए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

(ix) आय पर करों का लेखांकन

(क) चालू कर के लिए प्रावधान किया गया है जो संबंधित संविधि के अधीन अदायगी योग्य कर पर आधारित है।

(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन-पत्र की सम दिनांक को प्रमुखत: अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

II लेखों की टिप्पणियाँ - सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए इराक में केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव भारत को समनुदेशित ₹ 27.70 बिलियन (पिछले वर्ष 27.88 बिलियन रुपये) की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित ₹ 30.65 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 30.86 बिलियन) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियाँ उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. आयकर

बैंक की पूँजी संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा अभिदत्त है तथा बैंक में कोई अन्य शेयर पूँजी नहीं है। अत: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय लाभ अधिशेष को लाभांश नहीं कहा जा सकता। परिणामस्वरूप लाभांश वितरण कर देय नहीं है साथ ही वाद सं. आई टी ए सं. 2025/ मुंबई /2000 में 18 दिसंबर, 2006 को आई टी ए टी द्वारा पारित निर्णय के आलोक में भी लाभांश वितरण कर देय नहीं है, अत: इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. (क) आकस्मिक देयताएँ

गारंटियों में ₹ 6.90 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 6.70 बिलियन) की अवधि समाप्त गारंटियाँ शामिल हैं, जिन्हें बहियों में से निरस्त किया जाना बाकी है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत ''बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है'' के रूप में दिखाई गई ₹ 3.12 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 3.20 बिलियन) की राशि अधिकांशत: बैंक के उधारकर्ता/चूककर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए दावों / प्रतिदावों से संबंधित है जो बैंक द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई के कारण है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा गुणवत्ता योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अत: व्यावसायिक सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा / ब्याज दर विनिमय

(i) यथा 31 मार्च, 2011 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूरी तरह से हेजिंग की गई है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एम पी डी.बी सी. 187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आस्ति-देयता प्रबंध के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर विनिमय, वायदा कर करार तथा मुद्रा - सह- ब्याज दर विनिमय) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदों से बाहर निकलता है तथा पुन: करता है। बकाया डेरिवेटिव सौदों को ब्याज दर संवेदनशीलता के आधार पर निपटाया जाता है जिसकी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा निगरानी और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव्स के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'चालू ऋण जोखिम' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पी वी 01) के उचित मूल्य तथा कीमत मूल्य को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों की टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा दर संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय / व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को 'लॉंग डेटेड फॉरेन करेंसी रूपी स्वैप्स' संव्यवहारों के लिए 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है जिससे यह अपने ग्राहकों तथा अन्य के साथ संबंधित सौदे कर सकता है। रुपया डेरीवेटिव के संबंध में 'मार्केट मेकर' की भूमिका हेतु बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति मांगी है जो अभी तक प्रतीक्षित है।

(घ) मुद्रा विनिमय दर घट-बढ़ पर लाभ / हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। विद्यमान वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित एवं धारित आय इन अंतरणों पर सांकेतिक हानि ₹ 0.07 बिलियन (गत वर्ष (हानि) ₹ 0.36 बिलियन) है।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों संबंधित प्रकटीकरण : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार-अतिरिक्त सूचना

5. पूँजी

(क)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2011 को	यथा 31 मार्च, 2010 को
(i) जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सी आर ए आर)	17.04%	18.99%
(ii) जोखिम आस्तियों की तुलना में मुख्य पूँजी अनुपात	15.11%	16.94%
(iii) जोखिम आस्तियों की तुलना में अनुपूरक पूँजी अनुपात	1.93%	2.05%

(ख) 'नोट, बाँड और डिबेंचर' में 8% 2022 बाँड शामिल हैं जिसमें सरकार ने ₹ 5.59 बिलियन (गत वर्ष ₹ 5.59 बिलियन) का अभिदान किया है। ये बाँड अप्रतिभूतित हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी उधार राशियों / जमाओं/गौण ऋणों के मुकाबले में गौण हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक / सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन ये बैंक की टीयर-I पूँजी के लिए पात्र हैं।

(ग) यथा 31 मार्च, 2011 को टीयर-II पूँजी के रूप में जुटाये गये और बकाया गौण ऋण की राशि : ₹ कुछ नहीं (गत वर्ष : ₹ कुछ नहीं)

(घ) जोखिम भारित आस्तियाँ-

(बिलियन ₹)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2011 को	यथा 31 मार्च, 2010 को
(i) तुलन-पत्र में 'शामिल' मदें	307.68	253.35
(ii) तुलन-पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	46.23	26.64

(ङ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारित का स्वरूप : भारत सरकार द्वारा पूर्णत: अभिदत्त ।

- जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात और अन्य मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।

6. यथा 31 मार्च, 2011 को आस्ति-गुणवत्ता और ऋण-संकेन्द्रण

(क) निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में गैर-निष्पादक आस्तियों की प्रतिशतता : 0.20 (गत वर्ष 0.20)

(ख) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि और प्रतिशतता :

(बिलियन ₹)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2011 को		यथा 31 मार्च, 2010 को	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
अवमानक आस्तियाँ	0.93	0.20	0.49	0.13
संदिग्ध आस्तियाँ	—	—	0.29	0.07
हानि आस्तियाँ	—	—	—	—
योग	**0.93**	**0.20**	**0.78**	**0.20**

(ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए किए गए प्रावधान :

(बिलियन ₹)

विवरण	2010-11	2009-10
मानक आस्तियाँ	0.87	0.19
अनर्जक आस्तियाँ	1.79	0.62
निवेश (जो अग्रिम के स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप के हैं)	0.35	0.20
आयकर	2.84	2.59

(घ) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ :

(बिलियन ₹)

विवरण	2010-11	2009-10
वर्ष के आरंभ में निवल अनर्जक-आस्तियाँ	0.78	0.79
जोड़े : वर्ष के दौरान अनर्जक-आस्तियाँ	0.93	0.49
घटाएं : वर्ष के दौरान वसूलियाँ / कोटि उन्नयन	0.78	0.50
वर्ष की समाप्ति पर निवल अनर्जक-आस्तियाँ	0.93	0.78

(ङ) अनर्जक-आस्तियों (जिसमें ऋण, बाँड और अग्रिम के रूप में डिबेंचर और अंतर-कंपनी जमा राशियाँ शामिल हैं) के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

(बिलियन ₹)

विवरण	2010-11	2009-10
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	3.35	3.49
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1.79	0.62
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / पुनरांकन	1.29	0.76
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	3.85	3.35

(च) प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

विवरण	2010-11	2009-10
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	86.08%	85.01%

(छ) जमा, अग्रिमों, ऋणों तथा एन पी ए का संकेन्द्रण

जमा राशियों का संकेन्द्रण

(बिलियन ₹)

विवरण	2010-11	2009-10
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल राशि	4.69	4.90
बैंक की कुल जमा राशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं का प्रतिशत	39.79%	37.80%

ऋणों का संकेन्द्रण :

(बिलियन ₹)

विवरण	2010-11	2009-10
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल ऋण	63.67	66.87
बैंक की कुल अग्रिमों के इन उधारकर्ताओं के ऋणों का प्रतिशत	13.83	16.98

अग्रिमों की गणना डेरीवेटिव सहित अग्रिम मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. एफआईडी.एफ आईसी 2 / 01.02.00/2010-11 दिनांकित 1 जुलाई, 2010 में परिभाषित अनुसार की गई है।

एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(बिलियन ₹)

विवरण	2010-11	2009-10
बीस सबसे बड़े उधार कर्ताओं / ग्राहकों को एक्सपोजर	105.91	97.21
बैंक के कुल एक्सपोजर में इन उधारकर्ताओं के एक्सपोजर का प्रतिशत	12.25	14.35

एक्सपोजर की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. एफआईडी.एफआईसी. 2/01.02.00/2010-11 दिनांक 1 जुलाई, 2010 में परिभाषित अनुसार की गई है।

भारत सरकार द्वारा गारंटित विदेशी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को ऋणों को भारत सरकार की ओर से दिए गए ऋण माना गया है तथा उन्हें एकल समूह उधारकर्ताओं की श्रेणी में नही माना गया है।

अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(बिलियन ₹)

	2010-11	2009-10
शीर्ष चार एन पी ए खातों का कुल ऋण	1.39	1.48

I. **क्षेत्रवार अनर्जक अस्तियाँ :**

क्रम.सं	क्षेत्र	क्षेत्र विशेष में कुल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक अस्तियों का प्रतिशत	
		2010-11	2009-10
1.	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	—	—
2.	उद्योग (अति लघु तथा लघु, मध्यम तथा बड़े)*	1.03	1.02
3.	सेवाएं	—	—
4.	व्यक्तिगत ऋण	—	—

* निर्यात ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत विदेशी उधारकर्ताओं को ऋणों से संबंधित गैर निष्पादक आस्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

II. **निवल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की घट-बढ़ :**

(बिलियन ₹)

विवरण	2010-11	2009-10
1 अप्रैल को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	4.13	4.28
वृद्धि :		
(i) वर्ष के दौरान (नए एन पी ए)	2.40	0.62
(ii) ब्याज-निधीयन	0.04	0.03
(iii) विनिमय दर घट-बढ़	—	—
उपखंड योग (क)	2.44	0.65
घटाएं :		
(i) उन्नयन	0.55	—
(ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)	0.42	0.75
(iii) बट्टा	0.81	—
(iv) विनिमय दर घट-बढ़	0.01	0.05
उपखंड योग (ख)	1.79	0.80
31 मार्च को सकल एनपीए (क - ख)	4.78	4.13

* डीबीओडी परिपत्र सं. डीबीओडी बीपी बीसी सं. 46/21.04.048/2009-10 दिनांकित 24 सितंबर, 2009 के अनुलग्नक की मद सं. 2 के अनुसार सकल एन पी ए

III. **विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक अस्तियाँ तथा राजस्व** (बिलियन ₹)

विवरण	2010-11	2009-10
कुल आस्तियाँ	12.63	—
कुल एन पी ए	—	—
कुल राजस्व	0.10	—

उक्त आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं जिसने अपने परिचालन अक्तूबर 2010 से प्रारंभ किए।

IV. **तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है)**

प्रायोजित एस पी वी का नाम	
घरेलू	**विदेशी**
—	—

(ज) आस्ति पुनर्निर्माण हेतु वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

(बिलियन ₹)

क्रम सं.	विवरण	2010-11	2009-10
(i)	खातों की संख्या	0	1
(ii)	प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	–	–
(iii)	कुल प्रतिफल	–	0.62
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में स्थानांतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.003	0.11
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ	–	0.62

- ''पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई आस्तियों'' को भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डी बी ओ डी सं. एफ आई डी.एफ आई सी. 2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 1 जुलाई, 2006 और उसके बाद के दिशा-निर्देशों में परिभाषित अनुसार हिसाब में लिया गया है।

(झ) अनर्जक निवेश (बिलियन ₹)

विवरण	2010-11	2009-10
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.40	0.35
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	0.05
वर्ष के दौरान घटाई गई राशियाँ	0.06	0.00
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	0.34	0.40
धारित कुल प्रावधान	0.34	0.35

(ञ) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

(बिलियन ₹)

विवरण	2010-11	2009-10
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	1.30	1.23
जोड़ें :		
(i) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान / (प्रतिलेखन)	0.40	0.25
(ii) वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे से विनियोग, यदि कोई है	–	–
घटाएं :		
(i) वर्ष के दौरान बट्टा खाता	0.07	0.18
(ii) निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे में अंतरण, यदि कोई है	–	–
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	1.63	1.30

(ट) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान की गई कंपनी ऋण पुनर्संरचना

(बिलियन ₹)

श्रेणी	विवरण	सीडीआर प्रणाली	एसएमई ऋण प्रणाली	अन्य
पुनर्संरचित की गई मानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	1	3	3
	बकाया राशि	0.98	0.32	1.00
	बलिदान राशि (मूल्य में कमी)	0.20	0.00	0.03
पुनर्संरचित की गई अवमानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	–
	बकाया राशि	–	–	–
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
पुनर्संरचित की गई संदिग्ध आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	–
	बकाया राशि	–	–	–
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
कुल	खातों की संख्या	1	3	3
	बकाया राशि	0.98	0.32	1.00
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.20	0.00	0.03

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2011 को छह उधारकर्ताओं का आवेदन ऋण पुनर्संरचना के लिए प्राप्त हुआ जिनके अंतर्गत कुल राशि 0.83 बिलियन रुपये है ।

गत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण)

(बिलियन ₹)

श्रेणी	विवरण	सीडीआर प्रणाली	एसएमई ऋण प्रणाली	अन्य
पुनर्संरचित की गई मानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	7	7	18
	बकाया राशि	1.79	0.96	5.60
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.02	0.01	0.01
पुनर्संरचित की गई अवमानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	–
	बकाया राशि	–	–	–
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
पुनर्संरचित की गई संदिग्ध आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	3
	बकाया राशि	–	–	0.72
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
कुल	खातों की संख्या	7	7	21
	बकाया राशि	1.79	0.96	6.32
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.02	0.01	0.01

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2010 को एक उधारकर्ता का आवेदन ऋण पुनर्संरचना के लिए प्राप्त हुआ जिनके अंतर्गत कुल राशि ₹ 0.33 बिलियन है।

(ठ) ऋण सहायता :

विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशतता*	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता @	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	13.46	0.83	1.31
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	30.46	1.87	2.96
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	113.03	6.95	10.98
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	194.68	11.98	18.91

* यथा 31 मार्च, 2010 को पूँजी निधियाँ

@ कुल ऋण सहायता : ऋण + अग्रिम राशियाँ + उपयोग न की गई मंजूरियाँ + गारंटियाँ + डेरीवेटिव्स के कारण ऋण जोखिम।

बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऐसे ऋण, जिनकी गारंटी भारत सरकार ने दी है, उन्हें उनके आदेशानुसार दिया गया माना गया है, अत: उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

गत वर्ष :

विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशतता*	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता (टीसीई)@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	15.49	1.07	1.50
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	30.16	2.08	2.92
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	123.77	8.52	11.99
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	149.64	10.30	14.49

* यथा 31 मार्च, 2009 को पूँजी निधियाँ

@ कुल ऋण सहायता : ऋण + अग्रिम राशियाँ + उपयोग न की गई मंजूरियाँ + गारंटियाँ + डेरीवेटिव्स के कारण ऋण जोखिम।

1) बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऐसे ऋण, जिनकी गारंटी भारत सरकार ने दी है, उन्हें उनके आदेशानुसार दिया गया माना गया है, अत: उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

2) वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान पूँजी निधियों के 15% से अधिक निवेश वाला एक उधारकर्ता था जिसके लिए बोर्ड/प्रबंधन समिति का अनुमोदन लिया गया था। यथा 31 मार्च, 2010 को इस उधारकर्ता को कुल ऋण-राशि, बैंक की पूँजी निधियों का 15.49% थी।

(ड) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण सहायता :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियाँ की तुलना में प्रतिशतता
i) धातु और धातु प्रसंस्करण	11.78	11.01
ii) वस्त्र/परिधान	8.85	8.27
iii) औषध एवं औषधियां	8.68	8.11
iv) पूंजीगत माल	8.55	7.99
v) इंजीनियरी माल	7.14	6.68

गत वर्ष :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियाँ की तुलना में प्रतिशतता
i) धातु और धातु प्रसंस्करण	13.64	11.45
ii) वस्त्र/परिधान	10.71	8.99
iii) पेट्रोलियम/पेट्रो रसायन	9.51	7.98
iv) रसायन एवं रंजक	7.72	6.48
v) इंजीनियरी माल	6.43	5.40

'ऋण सहायता' की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
बैंकों को ऋण सहायता और समुद्रपारीय सत्ताओं की ऋण-व्यवस्थाएँ/ क्रेता-ऋण को, इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ढ) गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में निर्गमकर्ता वर्ग

(बिलियन ₹)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की राशि	"निवेश कोटि से कम स्तर" की धारित प्रतिभूतियाँ	धारित-दर निर्धारित न की गई प्रतिभूतियाँ	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.04	–	–	0.04	0.04
2	वित्तीय संस्थाएँ	3.05	2.81	-	0.24	3.05**
3	बैंक	0.25	0.15	-	0.10	0.10
4	निजी कंपनियाँ	4.53	3.65	-	3.63	3.24*
5	सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम	0.0032	-	-	0.0032	0.0032
6	अन्य	8.69	-	-	0.0025	0.0025
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	0.76	–	–	–	–
	कुल	16.56	6.61	-	4.02	6.44

\# प्रावधान की गई कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है।

* इसमें से ₹ 1.96 बिलियन आर्सिल (ए आर सी आई एल) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में निवेश तथा ₹ 0.57 बिलियन ऋण की राशि पुनर्संरचना के कारण अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश की गई हैं।

** जिनमें से ₹ 2.81 बिलियन की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से यू एस डॉलर / भारतीय रुपये के स्वैप संव्यवहारों से प्राप्त हुई।

उक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है।

गत वर्ष :

(बिलियन ₹)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की राशि	"निवेश कोटि से कम स्तर" की धारित प्रतिभूतियाँ	धारित-दर निर्धारित न की गई प्रतिभूतियाँ	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.05	–	–	0.05	0.05
2	वित्तीय संस्थाएँ	3.19	2.95	–	0.24	3.19**
3	बैंक	0.25	0.15	–	0.10	0.10
4	निजी कंपनियाँ	3.91	3.14	–	3.51	2.70*
5	सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम	0.0026	–	–	0.0026	0.0026
6	अन्य	5.50	–	–	0.0025	0.0025
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	0.67	–	–	–	–
	कुल	12.91	6.24	–	3.91	6.04

\# किए गए प्रावधान की कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है।

* इसमें से ₹ 1.96 बिलियन आर्सिल (ए आर सी आई एल) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में निवेश तथा ₹ 0.66 बिलियन ऋण की राशि पुनर्संरचना के कारण अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश की गई है।

** जिनमें से ₹ 2.95 बिलियन की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से यू एस डॉलर / भारतीय रुपये के स्वैप संव्यवहारों से प्राप्त है।

उक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है।

7. चल निधि

(क) रुपया आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप; और

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप।

(बिलियन ₹)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	181.18	174.07	84.37	75.72	40.38	555.72
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	137.43	101.84	62.48	26.69	55.10	383.54
कुल आस्तियाँ	318.61	275.91	146.85	102.41	95.48	939.26
रुपया देयताएँ	180.48	158.82	46.64	15.00	108.30	509.24
विदेशी मुद्रा देयताएँ	127.77	102.42	71.32	18.05	62.79	382.35
कुल देयताएँ	308.25	261.24	117.96	33.05	171.09	891.59

गत वर्ष :

(बिलियन ₹)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	189.04	116.46	52.90	42.48	34.02	434.90
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	95.17	63.23	52.23	25.96	38.66	275.25
कुल आस्तियाँ	284.21	179.69	105.13	68.44	72.68	710.15
रुपया देयताएँ	175.09	105.82	34.46	13.49	61.93	390.79
विदेशी मुद्रा देयताएँ	94.39	62.99	51.96	25.85	37.80	272.99
कुल देयताएँ	269.48	168.81	86.42	39.34	99.73	663.78

- आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप के लिए आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का समूहन आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित यथा 31 दिसंबर, 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस.एफ आई डी. सं.सी-11/01.02.00/1999-2000 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट समय-सूमहों में किया गया है।

(ग) रेपो लेन-देन : (बिलियन ₹)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2011 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	0.34	9.75	0.15	—

गत वर्ष : (बिलियन ₹)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2011 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—

8. भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 जुलाई, 2010 के दिशा-निर्देश और उसके बाद के दिशा-निर्देशों के अनुसार डेरीवेटिव जोखिमों का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यत: अपने तुलन-पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओ टी सी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरीवेटिव आदि का ही उपयोग करता है।

2. डेरीवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात् ब्याज दरों / विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि (ii) ऋण जोखिम अर्थात् प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरीवेटिव नीति लागू है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण आस्ति देयता स्थिति तथा संव्यवहार स्तर पर ही जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप डेरीवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने, नियंत्रण तथा निगरानी उपायों की स्थापना सहित नियामक प्रलेखन तथा लेखा संबंधी मुद्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपेन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्रीसेटलमेंट लिमिट, पी वी 01लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।

3. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो डेरीवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देख-रेख करती है।

4. यथा 31 मार्च, 2011 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरीवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से लिया गया है तथा आस्ति-देयता बहियों में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर स्वैप शामिल नहीं हैं जो कि डेरीवेटिव नीति के अनुपालन के संदर्भ में है।

ख) मात्रात्मक प्रकटन

(बिलियन ₹)

क्रम सं.	विवरण	2010-11		2009-10	
		मुद्रा डेरीवेटिव	ब्याज दर डेरीवेटिव	मुद्रा डेरीवेटिव	ब्याज दर डेरीवेटिव
1.	डेरीवेटिव (सांकेतिक मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	91.74	54.27	93.95	25.41
	ख) ट्रेडिंग के लिए	—	—	—	—
2.	मार्क-टू-मार्केट स्थितियाँ				
	क) आस्ति (+)	18.28	0.97	15.69	0.10
	ख) देयता (-)	—	—	—	—
3.	ऋण सहायता	22.12	1.35	19.22	0.23
4.	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पी वी 01)				
	क) हेजिंग डेरीवेटिव पर	1.78	2.28	0.74	0.95
	ख) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	—	—	—	—
5.	वर्ष के दौरान 100*पी वी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	(i) अधिकतम	1.78	2.33	1.01	0.99
	(ii) न्यूनतम	0.52	1.33	0.74	0.11
	ख) ट्रेडिंग पर				
	(i) अधिकतम	—	—	—	—
	(ii) न्यूनतम	—	—	—	—

ग) एक्सचेंजों में व्यापार किए गए ब्याज डेरीवेटिव के संबंध में प्रकटन

(बिलियन ₹)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की सांकेतिक मूल राशि (लिखत-वार)	—
2.	यथा 31 मार्च, 2010 को एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि (लिखत-वार)	—
3.	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की सांकेतिक मूल राशि बकाया किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत-वार)	—
4.	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत-वार)	—

घ) वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वैप पर प्रकटीकरण (बिलियन ₹)

क्रम सं.	विवरण	2010-11		2009-10	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वैप करारों का मूल सांकेतिक मूल्य	54.27	—	25.41	—
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	0.27	—	0.08	—
3.	स्वैप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	—	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	—
4.	स्वैप बही का सही मूल्य	0.97	—	0.10	—

स्वैप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्ति-देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

9. परिचालनात्मक परिणाम

क्रम सं.	विवरण	2010-11	2009-10
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.54	6.28
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.46	0.29
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन-लाभ	2.21	1.75
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.15	1.13
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ (₹ बिलियन में)	0.02	0.02

- परिचालनात्मक परिणामों के लिए कार्यशील निधियों तथा कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत में, अनुवर्ती छमाही के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के अंत में, आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है। ('कार्यशील निधियाँ' कुल आस्तियों से संबंधित हैं)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना करने के लिए सभी संवर्गों में सभी पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों को हिसाब में लिया गया है।

10. अचल आस्तियों के विवरण

अचल आस्तियों के विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिए गए हैं।

(बिलियन ₹)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2010 को लागत	1.33	0.47	1.80
परिवर्द्धन	0.01	0.04	0.05
निपटान	0.00	0.01	0.01
यथा 31 मार्च, 2011 को लागत (क)	1.34	0.50	1.84
मूल्यह्रास			
यथा 31 मार्च, 2010 को संचित	0.49	0.40	0.89
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.06	0.04	0.10
निपटान पर समाप्त	0.00	0.01	0.01
यथा 31 मार्च, 2011 को संचित (ख)	0.55	0.43	0.98
निवल ब्लॉक (क-ख)	**0.79**	**0.07**	**0.86**

गत वर्ष :

(बिलियन ₹)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2009 को लागत	1.30	0.41	1.71
परिवर्द्धन	0.02	0.08	0.10
निपटान	0.00	0.02	0.02
यथा 31 मार्च, 2010 को लागत (क)	1.32	0.47	1.79
मूल्यह्रास			
यथा 31 मार्च, 2009 को संचित	0.45	0.37	0.82
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.06	0.04	0.10
निपटान पर समाप्त	0.02	0.01	0.03
यथा 31 मार्च, 2010 को संचित (ख)	0.49	0.40	0.89
निवल ब्लॉक (क-ख)	**0.83**	**0.07**	**0.90**

11. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

12. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-17 के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाने योग्य कोई खंड नहीं हैं क्योंकि, बैंक के परिचालनों में प्रमुखत: एक खंड अर्थात् वित्तीय कार्यकलाप ही शामिल हैं।

13. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अंतर्गत संबंधित पक्षकार प्रकटन किया गया है :

- संबंध

  (i) संयुक्त उद्यम :

  – ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लिमिटेड

  (ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

  – श्री एन. शंकर (एक्ज़िम बैंक के नामिती निदेशक)
  (7 जून, 2010 तक)

  – श्री टी.सी.ए. रंगनाथन, (अध्यक्ष, जी पी सी एल)
  (8 जून, 2010 से)

- बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियां तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है :

(मिलियन ₹)

विवरण	**संयुक्त उद्यम 2010-11**	**संयुक्त उद्यम 2009-10**
मंजूर ऋण	—	—
जारी गारंटियाँ	0.55	1.69
प्राप्त ब्याज	—	—
प्राप्त गारंटी कमीशन	0.00	0.01
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	—	—
स्वीकार की गई जमा राशियाँ	5.46	5.07
सावधि जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज	0.57	0.30
बट्टाकृत / अपलेखीकृत की गई राशि	—	—

वर्ष के अंत में बकाया ऋण राशि : शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये)

वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां : ₹ 5.25 मिलियन (गत वर्ष ₹ 5.28 मिलियन)

वर्ष के दौरान बकाया निवेश राशि : ₹ 2.81 मिलियन (गत वर्ष ₹ 2.60 मिलियन)

वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम ऋण राशि : शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये)

वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम गारंटियां : ₹ 5.46 मिलियन (गत वर्ष ₹ 5.66 मिलियन)

- वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये गये भारतीय रिज़र्व बैंक का यथा 29 मार्च, 2003 का परिपत्र डी बी ओ डी सं. बी पी.बी सी. 89 / 21.04.018 / 2002-03 ऐसे लेन-देनों के प्रकटन को शामिल नहीं करता है, जहां किसी भी श्रेणी में सिर्फ एक संबंधित पक्षकार (अर्थात प्रमुख प्रबंध कार्मिक) है।

14. आय पर कर का लेखांकन

(क) चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान का विवरण :

	(बिलियन ₹)
(i) आय पर कर	3.10
(ii) घटाकर : निवल आस्थगित कर आस्तियां	0.26
	2.84

(ख) आस्थगित कर आस्ति :

प्रमुख मदों के संदर्भ में आस्थगित कर देयताओं तथा आस्तियों का संगठन नीचे दिया गया है :

(बिलियन ₹)

विवरण	
आस्थगित कर आस्तियाँ	
1. अस्वीकार्य प्रावधान (निवल)	2.47
2. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.03
घटाएँ : आस्थगित कर देयताएँ	2.50
1. बाँड निर्गम खर्च का परिशोधन	0.30
2. धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व	1.63
	1.93
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ [तुलन-पत्र के 'आस्तियाँ' पक्ष में 'अन्य आस्तियों' में शामिल]	0.57

15. संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था	देश	धारिता का प्रतिशत	
		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लिमिटेड	भारत	28%	26%

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में हित से संबंधित आस्तियों, देयताओं और आय तथा व्यय की कुल राशि निम्नलिखित है :

(मिलियन ₹)

देयताएँ	2010-11	2009-10	आस्तियाँ	2010-11	2009-10
पूँजी एवं आरक्षित निधियाँ	14.46	11.75	अचल आस्तियाँ	0.29	0.31
ऋण	0.00	0.00	निवेश	7.25	6.10
अन्य देयताएँ	0.21	0.85	अन्य आस्तियाँ	7.13	6.19
कुल	14.67	12.60	कुल	14.67	12.60

आकस्मिक देयताएँ : शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये)

(मिलियन ₹)

व्यय	2010-11	2009-10	आय	2010-11	2009-10
अन्य व्यय	6.82	7.23	परामर्शी आय	8.92	9.51
प्रावधान	0.84	0.99	ब्याज आय तथा निवेश से आय	0.49	0.77
			अन्य आय	0.01	0.00
			प्रतिलेखित की गई आस्थगित कर देयता	—	—
कुल	7.66	8.22	कुल	9.42	10.28

16. आस्तियों का अनर्जन

बैंक की आस्तियों में से अधिकांश आस्तियाँ वित्तीय आस्तियाँ हैं जिन पर 'आस्तियों के अनर्जन' संबंधी लेखामानक-28 लागू नहीं होता है। बैंक के मत से यथा 31 मार्च, 2011 को आस्तियों का कोई अनर्जन नहीं हुआ है जिससे इस लेखा मानक के अंतर्गत प्रावधान किया जाए।

17. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संगठन द्वारा कर्मचारी लाभों पर, यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखामानक-15 (आर) को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है जिसमें तुलन-पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) बैंक के तुलन-पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(बिलियन ₹)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
निधिक देयताओं का वर्तमान मूल्य	0.18	0.03
आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	0.23	0.05
गैर-निधिक देयताओं का सही मूल्य	0.05	0.02
हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	—	—
आस्ति के रूप में हिसाब में न ली गई राशि	—	—
निवल देयता	0.05	0.02

ख) बैंक के लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(बिलियन ₹)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
वर्तमान सेवा लागत	0.01	0.00
परिभाषित लाभ देयता पर ब्याज	0.01	0.00
आयोजनागत आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	0.01	0.00
वर्ष के दौरान निवल उपचय गत हानि/(लाभ)	0.03	0.02
विगत सेवा लागत - गैर निजी लाभ निधि	—	—
विगत सेवा लाभ - निजी लाभ हिसाब में लिया गया	—	—
कुल ''कर्मचारी लाभ खर्च'' में शामिल	0.05	0.02
नियोक्ता द्वारा योगदान	0.01	—

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
बट्टा ब्याज (प्रति वर्ष)	8.25%	8.25%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने वर्ष 2010-2011 के लिए निधिक देयताओं के वर्तमान मूल्य में वृद्धि के लिए तुलन-पत्र में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार छुट्टी नकदीकरण के लिए ₹ 0.01 बिलियन का प्रावधान किया है और तदनुसार छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ देयता ₹ 0.04 बिलियन हो गई है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹ 0.005 बिलियन की राशि का योगदान कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि खाते में किया गया है।

18. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। जिन मामलों मे भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार पहली बार प्रकटन किया गया है, उन मामलों में गतवर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. ए. रंगनाथन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रभाकर दलाल
कार्यपालक निदेशक

डॉ. कौशिक बसु
श्री प्रतीप चौधरी

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **श्री आर. एम. मल्ला**
श्री एम. डी. मल्या
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते उमेद जैन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 119250डब्ल्यू

(सी ए यू. एम. जैन)
साझेदार (एम. सं. 70863)

मुंबई
दिनांक : 25 अप्रैल, 2011

संगठन संरचना

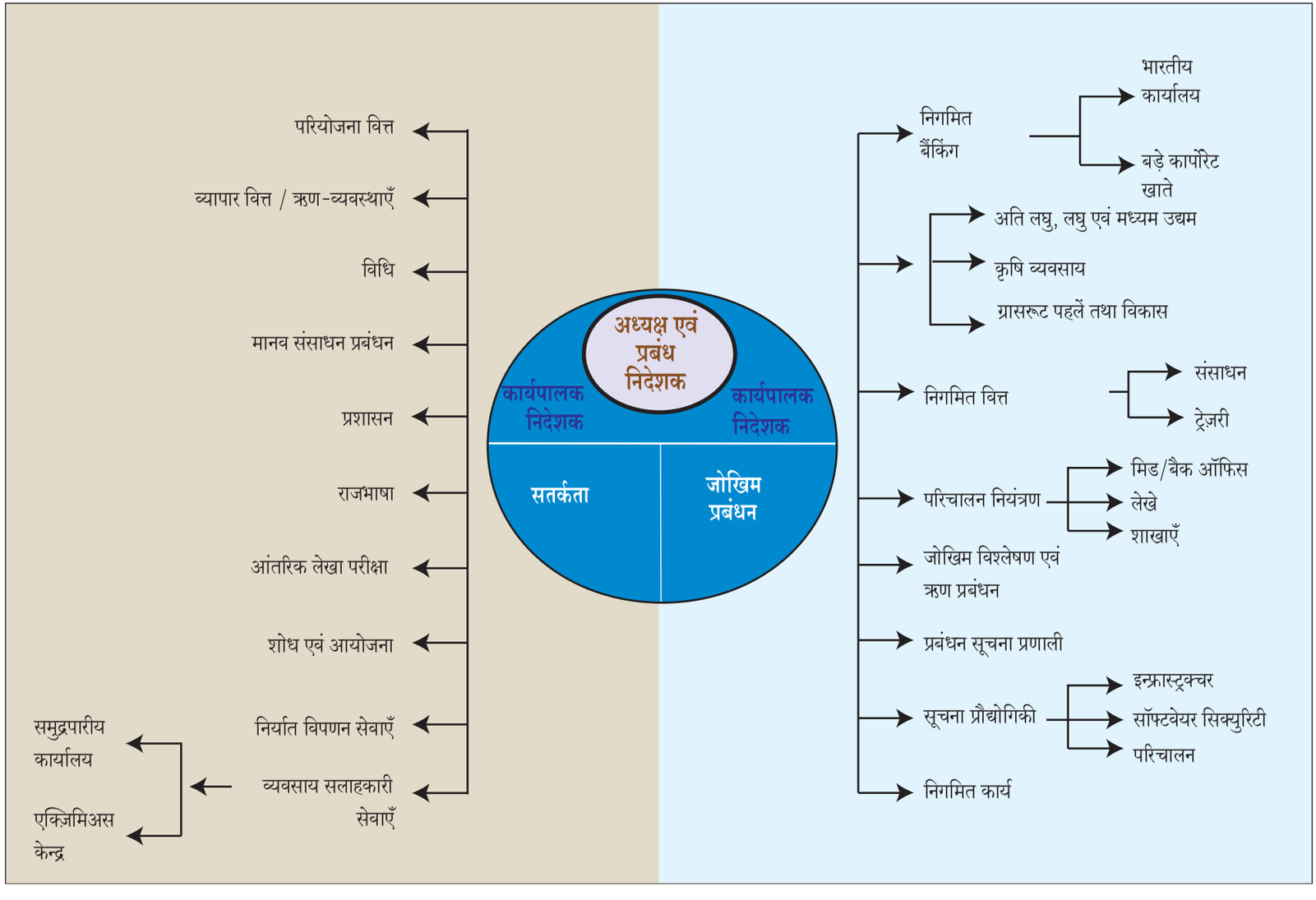
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कार्यपालक निदेशक
कार्यपालक निदेशक
सतर्कता
जोखिम प्रबंधन
परियोजना वित्त
व्यापार वित्त / ऋण-व्यवस्थाएँ
विधि
मानव संसाधन प्रबंधन
प्रशासन
राजभाषा
आंतरिक लेखा परीक्षा
शोध एवं आयोजना
निर्यात विपणन सेवाएँ
व्यवसाय सलाहकारी सेवाएँ
समुद्रपारीय कार्यालय
एक्ज़िमिअस केन्द्र
निगमित बैंकिंग
भारतीय कार्यालय
बड़े कार्पोरेट खाते
अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम
कृषि व्यवसाय
ग्रासरूट पहलें तथा विकास
निगमित वित्त
संसाधन
ट्रेज़री
परिचालन नियंत्रण
मिड/बैक ऑफिस
लेखे
शाखाएँ
जोखिम विश्लेषण एवं ऋण प्रबंधन
प्रबंधन सूचना प्रणाली
सूचना प्रौद्योगिकी
इन्फ्रास्ट्रक्चर
सॉफ्टवेयर सिक्युरिटी
परिचालन
निगमित कार्य

प्रबंधन दल / Management Team

बाँए से बैठे हुए:
सी. पी. रवींद्रनाथ, मुख्य महाप्रबंधक
आर. डब्ल्यू. खन्ना, मुख्य महाप्रबंधक
एन. शंकर, कार्यपालक निदेशक
टी. सी. ए. रंगनाथन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
प्रभाकर दलाल, कार्यपालक निदेशक
डेविड रस्कीना, मुख्य महाप्रबंधक
टी. वी. राव, महाप्रबंधक

Sitting from left:
C. P. Ravindranath, Chief General Manager
R.W. Khanna, Chief General Manager
N. Shankar, Executive Director
T. C. A. Ranganathan, Chairman & Managing Director
Prabhakar Dalal, Executive Director
David Rasquinha, Chief General Manager
T. V. Rao, General Manager

बाँए से खड़े हुए:
नदीम पंजेतन, महाप्रबंधक
मुकुल सरकार, महाप्रबंधक
डेविड सिनाटे, महाप्रबंधक
दया चंद्रहास, महाप्रबंधक
सुनीता सिंदवानी, महाप्रबंधक
संगीता शर्मा, महाप्रबंधक
एस. श्रीनिवास, महाप्रबंधक
सैम्युअल जोसेफ, महाप्रबंधक
प्रह्लादन एस. अय्यर, महाप्रबंधक

Standing from left:
Nadeem Panjetan, General Manager
Mukul Sarkar, General Manager
David Sinate, General Manager
Daya Chandrahas, General Manager
Sunita Sindwani, General Manager
Sangeeta Sharma, General Manager
S. Srinivas, General Manager
Samuel Joseph, General Manager
Prahalathan S. Iyer, General Manager

प्रधान कार्यालय टीम / Head Office Team

भारत स्थित क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offices in India

अहमदाबाद / Ahmedabad

बैंगलोर / Bangalore

चंडीगढ़ / Chandigarh

चेन्नै / Chennai

गुवाहाटी / Guwahati

हैदराबाद / Hyderabad

भारत स्थित क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offices in India

कोलकाता / Kolkata

मुंबई / Mumbai

नई दिल्ली / New Delhi

पुणे / Pune

विदेश स्थित शाखा / Overseas Branch

लंदन / London

विदेश स्थित कार्यालय / Overseas Offices

अदिस अबाबा
सचिन मोरे
Addis Ababa
Sachin More

डकार
ओ'नील राने
Dakar
O'Neil Rane

दुबई
रिकेश चंद
Dubai
Rikesh Chand

डरबन
विनोद गोयल
Durban
Vinod Goel

सिंगापुर
मेघना जोगलेकर
Singapore
Meghana Joglekar

वाशिंग्टन डी. सी.
टी. डी. सिवाकुमार
Washington D.C.
T. D. Sivakumar

एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संवर्द्धन करना है। यह प्रतीक चिन्ह इस उद्देश्य को प्रकट करता है। इस प्रतीक चिन्ह का दोतरफा वैशिष्ट्य है। आयात से संबंधित भुजा निर्यात वाली भुजा से पतली है। यह चिन्ह निर्यातों में मूल्य योजन के उद्देश्य को भी प्रकट करता है।

The Exim Bank aims to promote India's international trade. The Logo reflects this.The Logo has a two-way significance. The import arrow is thinner than the export arrow. It also reflects the aim of value addition to exports.

उद्देश्य

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना " देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है..."

: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981.

Objectives

The Export-Import Bank of India was established "for providing financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade ..."

: The Export-Import Bank of India Act, 1981.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

मुख्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005.
फोन: (91 22) 22172600 फैक्स: (91 22) 22182572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in

HEADQUARTERS

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre
Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005.
Phone: (91 22) 22172600 Fax: (91 22) 22182572
E-Mail : cag@eximbankindia.in
Website : www.eximbankindia.in

लंदन शाखा कार्यालय

88/90, टेम्पल चेंबर्स, 3-7, टेम्पल एवेन्यु,
लंदन ई सी 4 वाई ओ एच पी, यूनाइटेड किंगडम,
फोन : (44 20) 73538830
फैक्स : (44 20) 20 73538831
ई-मेल : eximlondon@eximbankindia.in

LONDON BRANCH OFFICE

88/90, Temple Chambers, 3-7, Temple Avenue,
London EC4Y OHP, United Kingdom.
Phone : (44 20) 73538830
Fax : (44 20) 73538831
E-mail : eximlondon@eximbankindia.in

कार्यालय OFFICES

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार II,पहली मंज़िल,
एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के आगे,
एलिसब्रिज पी. ओ., अहमदाबाद 380 006.
फोन : (91 79) 26576852/43
फैक्स : (91 79) 26577696
ई-मेल : eximahro@eximbankindia.in

बैंगलोर
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल,
18, एम. जी. रोड, बैंगलूर 560 001.
फोन : (91 80) 25585755/25589101-04
फैक्स : (91 80) 25589107
ई-मेल : eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़
पीएचडी हाउस, पहली मंज़िल,
सेक्टर 31 - ए, दक्षिण मार्ग,चंडीगढ़ 160 031
फोन : (91 172) 2641910/12/39/49
फैक्स : (91 172) 2641915
ई-मेल : eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै
यू टी आई हाउस, पहली मंज़िल,
29,राजाजी साल्लै, चेन्नै 600 001.
फोन : (91 44) 25224714/49
फैक्स : (91 44) 25224082
ई-मेल : eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
सन्मति प्लाज़ा, चौथी मंज़िल,
सेंटिनेल बिल्डिंग के पास,
जी.एस. रोड, गुवाहाटी 781 005.
फोन : (91 361) 2462951 / 2450618
फैक्स : (91 361) 2462925
ई-मेल : eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल,
6-3-639/640, राज भवन रोड,
खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004.
फोन : (91 40) 23307816-21
फैक्स : (91 40) 23317843
ई-मेल : eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल,
(अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016.
टेली. : (91 33) 22833419/22833420
फैक्स : (91 33) 22891727
ई-मेल : eximkro@eximbankindia.in

मुंबई
मेकर चेंबर्स IV, आठवीं मंज़िल,
222, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.
फोन : (91 22) 22823320/92/94
फैक्स : (91 22) 22022132
ई-मेल : eximwrro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
स्टेट्समैन हाउस, तल मंज़िल,
148, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110 001.
फोन : (91 11) 23326625/6254
फैक्स : (91 11) 23322758/23321719
ई-मेल : eximndro@eximbankindia.in

पुणे
44, शंकरशेठ रोड, पुणे 411 037.
फोन : (91 20) 26403000
फैक्स : (91 20) 26458846
ई-मेल : eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

अदिस अबाबा
बोले कीफले केटेमा, केबेले-19 (03/05),
हाउस नं. 015-बी, अदिस अबाबा, इथियोपिया
फोन : (00 251) 116 630079
फैक्स : (00 251) 116 610170
ई-मेल : sachin@eximbankindia.in

डकार
पहली मंज़िल, 7, रूए फेलिक्स फाउरे,
बी. पी. 50666, डकार, सेनेगल
फोन : (221 33) 8232849
फैक्स : (221 33) 8232853
ई-मेल : eximdakar@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं.3,
दुबई इंटरनेशनल फाइनेंसियल सेंटर,
पो ओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यू ए ई
फोन : (97 14) 3637462
फैक्स : (97 14) 3637461
ई-मेल : eximdubai@eximbankindia.in

जोहॉनिस्बर्ग
दूसरी मंज़िल, सैंटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट,
सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3, सैंटन, 2196
जोहॉनिस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका
फोन : (27 11) 3265103/13
फैक्स : (27 11) 7844511
ई-मेल : eximjro@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कॉलियर की, # 10-02, तुंग सेंटर,
सिंगापुर 049319.
फोन : (65) 65326464
फैक्स : (65) 65352131
ई-मेल : eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंग्टन डी.सी.
1750 पेनसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू,
सूइट 1202, वाशिंग्टन डी. सी. 20006,
संयुक्त राज्य अमेरिका.
फोन : (1 202) 2233238
फैक्स : (1 202) 7858487
ई-मेल : eximwashington@eximbankindia.in

INDIAN OFFICES

Ahmedabad
Sakar II, Floor 1,
Next to Ellisbridge Shopping
Centre, Ellisbridge P.O.,
Ahmedabad 380 006.
Phone : (91 79) 26576852/43
Fax : (91 79) 26577696
E-mail : eximahro@eximbankindia.in

Bangalore
Ramanashree Arcade, Floor 4,
18, M. G. Road, Bangalore 560 001.
Phone : (91 80) 25585755/25589101-04
Fax : (91 80) 25589107
E-mail : eximbro@eximbankindia.in

Chandigarh
PHD House, Floor 1, Sector 31-A,
Dakshin Marg, Chandigarh 160 031
Phone : (91 172) 2641910/12/39/49
Fax : (91 172) 2641915
E-mail : eximcro@eximbankindia.in

Chennai
UTI House, Floor 1,
29, Rajaji Salai, Chennai 600 001.
Phone : (91 44) 25224714/49
Fax : (91 44) 25224082
E-mail : eximchro@eximbankindia.in

Guwahati
Sanmati Plaza, Floor 4,
Near Sentinel Building,
G. S. Road, Guwahati 781 005.
Phone : (91 361) 2462951/2450618
Fax : (91 361) 2462925
E-mail : eximgro@eximbankindia.in

Hyderabad
Golden Edifice, Floor 2,
6-3-639/640, Raj Bhavan Road,
Khairatabad Circle, Hyderabad 500 004.
Phone : (91 40) 23307816-21
Fax : (91 40) 23317843
E-mail : eximhro@eximbankindia.in

Kolkata
Vanijya Bhawan Floor 4,
(International Trade Facilitation Centre),
1/1 Wood Street, Kolkata 700 016.
Tel : (91 33) 22833419/22833420
Fax : (91 33) 22891727
E-mail : eximkro@eximbankindia.in

Mumbai
Maker Chambers IV, Floor 8,
222, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Phone : (91 22) 22823320/92/94
Fax : (91 22) 22022132
E-mail : eximwrro@eximbankindia.in

New Delhi
Statesman House, Ground Floor,
148, Barakhamba Road,
New Delhi 110 001.
Phone : (91 11) 23326625/6254
Fax : (91 11) 23322758/23321719
E-mail : eximndro@eximbankindia.in

Pune
44, Shankarseth Road,
Pune 411 037.
Phone : (91 20) 26403000
Fax : (91 20) 26458846
E-mail : eximpro@eximbankindia.in

OVERSEAS OFFICES

Addis Ababa
Bole Kifle Ketema, Kebele-19, (03/05)
House No. 015-B,
Addis Ababa, Ethiopia
Phone : (00 251) 116 630079
Fax : (00 251) 116 610170
E-mail : sachin@eximbankindia.in

Dakar
Floor 1, 7, rue Félix Faure, B.P. 50666,
Dakar, Senegal.
Phone : (221 33) 8232849
Fax : (221 33) 8232853
E-mail : eximdakar@eximbankindia.in

Dubai
Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct
Building No.3, Dubai International
Financial Centre,
PO Box No. 506541, Dubai, UAE.
Phone : (97 14) 3637462
Fax : (97 14) 3637461
E-mail : eximdubai@eximbankindia.in

Johannesburg
Floor 2, Sandton City Twin Towers East,
Sandhurst Ext. 3 Sandton 2196,
Johannesburg, South Africa
Phone : (27 11) 3265103/13
Fax : (27 11) 7844511
E-mail : eximjro@eximbankindia.in

Singapore
20, Collyer Quay, # 10-02,
Tung Centre, Singapore 049319.
Phone : (65) 65326464
Fax : (65) 65352131
E-mail : eximsingapore@eximbankindia.in

Washington D.C.
1750 Pennsylvania Avenue NW,
Suite 1202, Washington D.C. 20006,
U.S.A.
Phone : (1 202) 2233238
Fax : (1 202) 7858487
E-mail : eximwashington@eximbankindia.in

संयुक्त उद्यम • ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कंसल्टैंट्स लि., मुंबई, वेबसाइट : www.gpcl.in

Joint Venture • Global Procurement Consultants Ltd., Mumbai, Website: www.gpcl.in